(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 11] पंचम् विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का 26वां दिवस [संख्या 21

शुक्रवार,
दिनांक 2 अप्रेल, 1976

विधान सभा की बैठक म०पू० 11 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(उद्योग, राजस्व, भाषा, कृषि, सामान्य प्रशासन, शिक्षा, विधि, गृह, अकाल राहत एवं चुनाव विभाग)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न संख्या 604.

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री रतीराम यादव ।

तहसीलदार एवं नायब-तहसीलदारों के पदों पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों की पदोन्नति

605. **श्री रतीराम यादव** (तिजारा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 1970 से पूर्व के कितने तहसीलदार एवं नायब - तहसीलदार जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के हैं, कार्यवाहक के रूप में कार्य कर रहे हैं ? उनकी नामवार सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

(2) क्या उपरोक्त तहसीलदार व नायब-तहसीलदारों को 10 फरवरी, 1975 के आदेश के अन्तर्गत सुरक्षित स्थानों पर रोस्टर क्रमानुसार पदोन्नत किया है ? यदि हां, तो उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

राज्य मन्त्री, राजस्व (श्री मूलचन्द मीणा) : (1) सन् 1970 से 4 तहसीलदार अनुसूचित जाति के एवं दो तहसीलदार अनुसूचित जनजाति के कार्यवाहक रूप में कार्य कर रहे हैं । सूची संलग्न है। सन् 1970 के पूर्व का कोई अनुसूचित जाति एवं जनजाति का नायब-तहसीलदार कार्यवाहक रूप से कार्य नहीं कर रहा है ।

(2) जी नहीं, 1 जुलाई, 1974 में तहसीलदारों के चयन के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हुई थी जिसमें उपरोक्त 6 तहसीलदारों के मामलों पर भी विचार किया गया था जिनमें से विभागीय

Page No 2

(2)

(श्री मूलचन्द मीणा)

पदोन्नति समिति द्वारा एक अनुसूचित जाति एवं एक अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति का चयन कर लिया गया है। अन्य चार व्यक्तियों का चयन नहीं किया गया।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री रतीराम यादव : उपाध्यक्ष महोदय, या तो माननीय मंत्रीजी यह सूची दिलायें अन्यथा उनके नाम ही बता दें।

श्री मूलचन्द मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, उन 6 व्यक्तियों के नाम इस प्रकार हैं :—

अनुसूचित जाति

(1) श्री लक्ष्मीचन्द गर्वा दिनांक 1-3-67

(2) श्री सुगनचन्द गोठवाल दिनांक 18-7-60

(3) श्री रतनलाल बैरवा दिनांक 8-7-60

(4) श्री कल्याणसहाय वर्मा दिनांक 20-11-69

अनुसूचित जन जाति

(1) श्री बीरबल सिंह दिनांक 5-4-71

(2) श्री खैरातीराम मीणा दिनांक 6-1-69

श्री रतीराम यादव : उपाध्यक्ष महोदय, उनमें से वह कौन कौन से दो व्यक्ति हैं जिनकी पदोन्नति समिति द्वारा चयन कर दी गई है।

श्री मूलचन्द मीणा : कौन से नाम ?

श्री रतीराम यादव : आपने फर्माया कि दो आदमियों का चयन कर लिया गया। जो छांटे गये हैं, उनके नाम।

श्री मूलचन्द मीणा : श्री लक्ष्मीचन्द वर्मा और....

श्री उपाध्यक्ष : श्री जनार्दनसिंह गहलोत।

भाषा नीति

606. **श्री जनार्दनसिंह गहलोत** (गान्धीनगर, जयपुर) : क्या मन्त्री, भाषा विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने कोई भाषा नीति घोषित की है ? यदि हां, तो वह क्या है ? विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या उक्त भाषा नीति पर पूर्णरूपेण आचरण करने के सम्बन्ध में कोई अवधि निश्चित कर ली है ? यदि हां, तो क्या ?

(3) क्या उक्त अवधि के अनन्तर पूर्व घोषित नीति के अनुसार आचरण आरम्भ हो गया है ? यदि हां, तो किस प्रकार ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार ने भाषा नीति पर अमल करने के लिए कोई विशेष कदम उठाये हैं ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(5) क्या भाषा नीति पर अमल कराने में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों का अनुभव किया है ? यदि हां, तो क्या उसके निवारणार्थ सरकार ने निर्धारित अवधि के दौरान कोई प्रयत्न किये हैं ? यदि किये हैं, तो उनका क्या परिणाम निकला ?

राज्य मन्त्री, शिक्षा (श्री फारूक हसन) : (1) जी हां, हिन्दी राजभाषा घोषित

Page No 3

(3)

(श्री फारूक हसन)

की गई है। राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां, 26 जनवरी, 1968 तक सम्पूर्ण हिन्दी करने का निर्णय लिया गया था। आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां, कुछ तकनीकी, कानूनी एवं वित्तीय मामलों को छोड़कर अधिकांश कार्यों में यथासम्भव हिन्दी का प्रयोग प्रारम्भ हो गया है।

(4) सरकार ने प्रशासन में हिन्दीकरण की देखरेख हेतु भाषा विभाग की स्थापना की जिसके द्वारा राजभाषा के प्रयोग और परिवर्तन के लिए कार्य निरन्तर किये जा रहे हैं। गत कुछ वर्षों में भाषा नीति पर अमल कराने के लिए जो विशेष कदम उठाये उनका विवरण इस प्रकार है :–

1) राजस्थान राज-पत्र में समस्त प्रशासनिक सामग्री हिन्दी में ही प्रकाशित हो इसका निश्चय।

2) राज्य सेवा के लिए हिन्दी ज्ञान की अनिवार्यता शासन द्वारा घोषित की जा चुकी है।

3) समस्त आदेश, परिपत्र, विज्ञप्तियां, अधिसूचनाएं, कोड, मैनुअल, नियमोपनियम हिन्दी में जारी करने तथा समस्त टिप्पणी, प्रारूप, पत्र-व्यवहार हिन्दी में करने हेतु आदेश।

4) हस्ताक्षर हिन्दी में करना अनिवार्य किया गया है।

5) सरकार ने आदेश जारी कर दिये हैं कि 17 मार्च, 1976 से अंग्रेजी की रबड़ मुहरों का इस्तेमाल अनियमित माना जाएगा।

6) तार हिन्दी में भेजने के आदेश जारी किये गये हैं।

7) भारत सरकार तथा करार किये गये राज्यों से हिन्दी में पत्र-व्यवहार करने हेतु विभागों को आदेश दे दिये गये हैं।

8) समस्त समारोहों, गोष्ठियों व बैठकों की कार्यवाही व व्याख्यान हिन्दी में होना आवश्यक है।

9) राजस्थान उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ न्यायालयों को छोड़कर राज्य के समस्त न्यायालयों, जिनमें राजस्व मण्डल, वाणिज्य कर आदि सभी न्यायालय शामिल हैं के समस्त कार्य हिन्दी में किये जाने की व्यवस्था है।

राजस्व मण्डल के निर्णयों में हिन्दी भाषा के उपयोग का क्रम आरम्भ कर दिया गया है। सभी समीक्षाएं हिन्दी में निकाली जाती हैं।

राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय को लिखा है कि नई सी आर. पी. सी. के अधीन अधीनस्थ न्यायालयों में निर्णय आदि हिन्दी में दिये जायें।

10) अंग्रेजी प्रशासनिक सामग्री का अब तक 14,388 पृष्ठों का हिन्दी

Page No 4

(श्री फारूक हसन)
अनुवाद राजकीय विभागों के लिए किया गया है।

11) हिन्दी में काम करने में सहायक तथा सन्दर्भ सामग्री प्रकाशित कर निःशुल्क वितरित की गई। अब तक 21 प्रकाशन निकल चुके हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

12) हिन्दी टंकण यन्त्र विभागों को उपलब्ध कराये गये। हिन्दी टंककों तथा शीघ्रलिपिकों को प्रशिक्षित किया गया। अब तक 1,300 हिन्दी टंकण यन्त्र वितरित किये जा चुके हैं तथा 1,600 टंकक तथा 1,300 शीघ्रलिपिक प्रशिक्षित किये जा चुके हैं। राज्य सरकार ने आदेश जारी किये हैं कि भविष्य में हिन्दी के टंकण यन्त्र की खरीद की जावे। अंग्रेजी टंकण यन्त्र अपरिहार्य परिस्थितियों में पूर्व अनुमति लेकर ही खरीदे जा सकेंगे।

13) हिन्दीकरण के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए सरकारी, गैर सरकारी, सदस्यों की समितियां गठित की गई हैं।

14) राज्य को समस्त प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र अब अंग्रेजी के बजाय द्विभाषी होंगे।

15) राजस्थान लोकसेवा आयोग के साक्षात्कारों में अधिकाधिक हिन्दी का प्रयोग किया जायेगा।

16) एक समिति समस्त राजकीय प्रतियोगिता परीक्षाओं के पाठ्यक्रमों की पुनरीक्षा कर रही है ताकि हिन्दी को समुचित स्थान दिया जा सके।

17) सचिवालय तथा विभागाध्यक्षों से प्राप्त अंग्रेजी के पत्रों का जवाब जिला अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थों को हिन्दी में ही दिया जाये, ऐसे आदेश भी जारी कर दिये गये हैं।

18) जब तक सम्पूर्ण समाज में अंग्रेजी के मोह त्यागने की तथा हिन्दी प्रयोग के प्रति सम्मान की भावना नहीं बढ़ेगी तब तक सरकार के प्रयासों के बावजूद भी पूर्ण हिन्दीकरण वांछित गति से सम्भव नहीं हो पाएगा।

19) हिन्दी टंकण यन्त्रों का उत्पादन भारत में बहुत ही कम हो रहा है। अतः यह भी एक व्यवहारिक कठिनाई है।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : इस पर सप्लीमेन्ट्री भी तो पूछे जाएंगे।

एक माननीय सदस्य : हम इसका जवाब मान लेते हैं।

श्री विजयसिंह : यह कौनसी पुस्तक है?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह क्या भाषा विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन है? यह बजाय प्रस्तुत करने के पढ़ा जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : फिर आप समझेंगे कैसे?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज!

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, इस वार्षिक प्रतिवेदन के पढ़ने में कितना और वक्त लगेगा?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

Page No 5

(5)

श्री फारूकहसन : (20) भारत सरकार के कई विभागों से अंग्रेजी में पत्र-व्यवहार करना पड़ता है। इसी प्रकार हिन्दी भाषी राज्यों से भी पत्र-व्यवहार अंग्रेजी में करना पड़ता है। कुछ महत्वपूर्ण केन्द्रीय आयोगों से तकनीकी पत्राचार में अंग्रेजी का प्रयोग ही शीघ्र परिणाम दायक रहता है।

(5) कानूनी एवं तकनीकी विषयों में अभी सम्पूर्ण हिन्दी प्रयोग में कठिनाई है। इन कठिनाइयों के निवारणार्थ विभाग अनेक आवश्यक कदम उठाता रहा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, आखिर यह कब तक पढ़ा जाएगा ?

एक माननीय सदस्य : धीरज रखिए।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री फारूक हसन : 1) समय समय पर उच्चस्तरीय सम्मेलनों व गोष्ठियों में देश-विदेश के विद्वानों व अधिकारियों एवं इस राज्य के मुख्य मन्त्री द्वारा हिन्दी प्रयोग को राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक मानकर अधिकाधिक प्रयोग के लिए प्रेरणा दिलवाई गई। राजस्थान के तीनों विश्व-विद्यालयों से हिन्दी को हर स्तर पर शिक्षण एवं परीक्षण का माध्यम स्वीकार करने हेतु सम्पर्क किया जा रहा है।

राजस्थान लोकसेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं की परीक्षाओं में हिन्दी अनिवार्य विषय रखे जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा चुका है एवं शीघ्र ही आदेश जारी किये जाने की सम्भावना है।

2) हिन्दी के लिए उचित परिवेश निर्माण करने के लिए विभागीय पत्रिका 'भाषा परिचय' का प्रकाशन किया गया तथा जनमानस तैयार करने हेतु विभिन्न पोस्टर्स और स्टिकर्स व हैंगर्स आदि का प्रकाशन वितरण किया गया।

हिन्दी की समृद्धि-सक्षमता प्रदर्शित करने के लिए समय समय पर प्रदर्शनियों का समायोजन किया गया।

(प्रति व सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान राज-पत्र में जो भी सूचनाएं प्रकाशित हुई हैं और जो भी आदेश निकले हैं, इस विषय में क्या माननीय मन्त्रीजी जानकारी कर सकेंगे कि गजट में बहुत सारी सूचनाएं अंग्रेजी में प्रकाशित हो रही हैं उसके लिये आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ? राजस्थान सरकार के बहुत से नोटिफिकेशन्स ऐसे हैं आज की तारीख में जो कि अंग्रेजी में प्रकाशित किये जाते हैं, उनको रोकने के लिये आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं, यह मैं माननीय मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं ?

श्री फारूक हसन : ऐसा है कि कुछ नोटिफिकेशन्स ऐसे हैं जो अनिवार्य रूप से अंग्रेजी में निकालने पड़ते हैं, वे ही गजट में छाया हो रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : शायद नहीं, मैं स्पेसिफिक हवाला चाहता हूं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (भीनमाल) : शायद नहीं, शाया का हवाला दिया है।

श्री फारूक हसन : बेहतर नोटिफिकेशन हिन्दी में ही शाया किये गये हैं।

Page No 6

(6)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, नोटिफिकेशन क्या बला है ?

श्री फारूक हसन: कहीं कहीं पर हिन्दी में नोटिफिकेशन नहीं निकल रहे हैं, उन विभागों को हिन्दी में निकालने के लिये और लिखा जायगा ।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में हिन्दी को प्रोत्साहन देने के लिये एक हिन्दी विधायी समिति का गठन किया गया है, उसका काम है जो कानून अंग्रेजी में बने हुए हैं या जो नियम बने हुए हैं उनकी हिन्दी में ट्रान्सलेशन करना ताकि कानून की जो भाषा है उसका प्रयोग हिन्दी में किया जा सके । उस कमेटी ने अब तक 150 नियमों और एक्ट का हिन्दी में अनुवाद किया है, उसका न तो इसमें कहीं जिक्र आया है और न उसका कोई उपयोग किया जा रहा है, इसके बारे में मन्त्री महोदय को क्या कहना है ?

श्री फारूक हसन : जिन कानूनों और नियमों का हिन्दी में अनुवाद हो गया है, उनका अवश्य लाभ मिल रहा है। इसके अलावा कुछ कठिनाइयां भी सामने आई हैं जिनकी वजह से कुछ का ट्रान्सलेशन नहीं हो सकता है, फिर भी जिनका नहीं हो सकता है, उनका ट्रान्सलेशन करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आप उनको छपवाकर बाजार में बिकवाने का भी प्रबन्ध करा दीजिये जिससे लोगों को फायदा हो सके ।

श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दी विधायी समिति की जो बात कही गई है उसका मैं भी सदस्य हूं लेकिन आज तक तो उसकी कोई मीटिंग नहीं हुई है। क्या मन्त्री महोदय यह बता सकते हैं कि इस समिति की आज तक कितनी मीटिंग हुई और क्या निर्णय लिये गये ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्रिमण्डल की बैठकें होती हैं, उनमें सभी आदेश हिन्दी में निकाले जाते हैं और निर्णय लिये जाते हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अधिसूचनाओं को हिन्दी में प्रसारित करने के लिए आदेश जारी किये गये हैं और क्या उनकी पूरी पालना हो रही है ? नम्बर (2) यह कि जिन नियमों और विधेयकों का अनुवाद किया गया है क्या उनको समझने के लिये कोई विशेष शब्दकोष का भी निर्माण किया गया है ?

श्री फारूक हसन : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक हिन्दी विधायी समिति की मीटिंगों का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि इसकी बहुत सी मीटिंग हुई हैं और काफी एक्ट और नियमों का भी ट्रान्सलेशन किया गया है और वे मार्केट में अवेलेबल भी हैं । जहां तक मन्त्रिमण्डल के आदेशों का ताल्लुक है मेरा ख्याल है कि ज्यादातर लोग हिन्दी में ही आदेश देते हैं, और हिन्दी में काम करने का आदेश 3 अगस्त, 1966 का निकला हुआ है ।

(शोरगुल : अश्रव्य)

एक माननीय सदस्य : ख्याल नहीं, सही बात कहिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनू) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भाषा मन्त्री महोदय स्वयं हिन्दी में आदेश देते हैं और हिन्दी में ही नोटिंग करते हैं ?

श्री मनोहर कोठारी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से हिन्दी विधायी समिति की कोई बैठक नहीं हुई है, मन्त्री महोदय स्पष्ट करें। मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि मैं इस समिति का सदस्य हूं और मेरे पास किसी भी मीटिंग की कोई सूचना नहीं आई है। केवल नामजद किया गया था, उसकी सूचना आई है।

श्री फारूक हसन : उपाध्यक्ष महोदय, मीटिंग यकीनन होती रही है। उसका मैं भी सदस्य हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि मीटिंग हुई हैं। जहां तक हिन्दी में काम करने का ताल्लुक है, मैं यकीनन तौर से कह सकता हूं कि बेशतर हिन्दी का ही इस्तेमाल होता है, बहुत कम अंग्रेजी काम में आती है।

श्री ओंकारलाल चौहान (डग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समिति की मीटिंग कब हुई है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि अनुवाद सम्बन्धी जो भी काम हो रहा है कानूनों का, उसमें किस भाषा का प्रयोग हो रहा है ? वह सरल हिन्दी में न होकर संस्कृत के रूप में हिन्दी होती है जिससे जनसाधारण को बहुत कठिनाई होती है ! मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार के इस सम्बन्ध में बार बार आदेश आये हैं कि सरल हिन्दी का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे आम जनता उसको समझ सके।

श्री ओंकारलाल चौहान : उपाध्यक्ष महोदय,.....

मुख्य मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : एक मिनट, यह सम्भव नहीं है कि बोल चाल की भाषा में कानूनी शब्दावली बनाई जाय, इसलिए मूल शब्द जो भी होगा कानून का, उसका उपयोग तो करना ही पड़ेगा।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की हिन्दी के प्रति काफी रुचि है, ऐसा मालूम हो रहा है, राजस्थान सरकार ने भी हिन्दी के विषय में अपनी नीति निर्धारित की है लेकिन उसके प्रचार और प्रसार के लिये जितने प्रयत्न किये जाने चाहिए, जितनी तत्परता बरती जानी चाहिए वह नहीं बरती जा रही है। इसलिए माननीय सदस्यों की इस ओर मन्त्री महोदय का ध्यान खींचने की ओर रुचि है कि क्या सरकार इसके सम्बन्ध में कोई प्रयास करने का विचार रखती है जिससे इसका अधिक प्रचार किया जा सके ? इसके उपयोग के लिये कोई कठोर नीति निर्धारित करना चाहती है ?

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य आप बहुत देर से तशरीफ लाये हैं ! कई बातों का जवाब पहले हो चुका है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय नेता महोदय, माननीय सदस्यों ने जो रुचि दिखाई है, उससे मालूम पड़ता है कि—

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री ओंकारलाल चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि मीटिंग कब कब हुई ?

श्री हरिदेव जोशी : अलग से प्रश्न है ?

श्री हाजी जान मोहम्मद (पिड़ावा): हिन्दी और हिन्दुस्तानी में क्या फर्क है ?

श्री हरिदेव जोशी : हिन्दी संस्कृत निष्ठ भाषा है जब कि हिन्दुस्तानी में उर्दू फारसी और दूसरी भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग होता है ।

प्रश्न संख्या 607

श्री उपाध्यक्ष: नैक्स्ट ! श्री गिरधारीलाल भार्गव ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री हाजी जान मोहम्मद : यह बताया गया है........

(अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ! आप बिराजिये ।

(व्यवस्था–सूचक घंटी)

नैक्स्ट: ! श्रीमती गौरी पूनिया !

ग्राम परवड़ी प्राइमरी स्कूल

608. **श्रीमती गौरी पूनिया** (मकराना): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) ग्राम परवेड़ी (पंचायत समिति कुचामन सिटी), जिला नागौर की जनसंख्या कितनी है तथा इस ग्राम में अब तक प्राइमरी स्कूल न खुलने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार इस सत्र में इस गांव में प्राइमरी स्कूल खोलने का विचार रखती है ?

(3) जिला नागौर में तीन हजार जनसंख्या के कितने गांव हैं ? जिनमें अब तक प्राइमरी स्कूल नहीं खोले गये हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

शिक्षा मन्त्री (श्री खेतसिंह): (1) 1971 की जनगणना के अनुसार परवेड़ी की जनसंख्या 1,343 थी। प्राइमरी स्कूल खोले जाने के लिये प्रायः प्राथमिकता पंचायत समिति ही तय करती है । इस बारे में समिति की सिफारिश न होना ही प्रमुख कारण हो सकता है ।

(2) विकास विभाग की मार्फत इस पंचायत समिति के विभिन्न ग्रामों की जनसंख्या, स्कूलों की संख्या तथा छात्र संख्या का पता लगाया जायेगा और किसी अनार्थिक शाला को दूसरे ग्राम से हटा कर यहां प्रारंभ करने का प्रयत्न किया जायेगा ।

(3) ऐसे 32 ग्राम हैं और सभी में स्कूलें हैं । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखिए)

श्रीमती गौरी पूनिया : उपाध्यक्ष महोदय, 25 साल से वहां पर प्राइमरी स्कूल खोलने की मांग जारी है, यह क्या बात हुई कि पंचायत समिति नहीं खोलना चाहती तो वहां की जनता की मांग को नहीं माना जाय वहां पर प्राइमरी स्कूल नहीं खोला जाय इसके लिए आपको आज स्पष्ट अश्योरेन्स देना चाहिए ।

Page No 9

(9)

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया था पहले भी कि बजट में इस साल कोई प्राइमरी स्कूल खोलने का प्रावधान नहीं है लेकिन यह बहुत ही दर्दनाक बात है कि 1,343 की जनसंख्या वाले आबादी के गांव में भी प्राइमरी स्कूल नहीं है। यह जरूर होना चाहिए। इसके पीछे कोई राजनीतिक बात है जिसके फलस्वरूप वहां पर अभी तक नहीं खोला गया है लेकिन मैं प्रयत्न करूंगा कि नया सत्र जब शुरू होगा तो इस पंचायत समिति का वह स्कूल, जिसमें लड़के कम हैं और ज्यादा डिस्टेन्स नहीं है, उस गांव में स्कूल हो जहां बच्चे जा सकते हैं। वहां पर शिफ्ट करके वहां स्कूल लगा देंगे।

प्रश्न संख्या 609

श्री उपाध्यक्ष : श्री केदार नाथ !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री रमेशचन्द्र सैनिक !

हिण्डोली में मुंसिफ मजिस्ट्रेट का न्यायालय

610. **श्री रमेशचन्द्र सैनिक** (हिण्डोली) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि हिण्डोली तहसील की जनता को न्याय पाने के लिये नैनवा मुन्सिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय में जाना पड़ता है ?

(2) यदि हां, तो हिण्डोली तहसील के कितने मामले मुन्सिफ न्यायालय में विचाराधीन हैं ? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सत्य है कि हिण्डोली से नैनवा बूंदी होकर जाना पड़ता है जो काफी दूर है और न्यायार्थियों को अधिक समय नष्ट करके काफी खर्च के बाद पहुंचना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार हिण्डोली की जनता को सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के लिये तहसील स्तर पर प्रति मास अस्थाई कैंप खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

विधि मंत्री (श्री खेतसिंह) : (1) जी हां।

(2) जी हां। 560 मुकदमे विचाराधीन हैं।

(3) जी हां। हिण्डोली से नैनवा बूंदी होकर जाना पड़ता है। हिण्डोली में नये न्यायालय खोलने के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय से राय मांगी गई है। जिसकी राय प्राप्त होने पर निर्णय लिया जा सकेगा और अस्थाई कैम्प कोर्ट लगाने हेतु उच्च न्यायालय से निवेदन किया जायेगा।

श्री ओंकारलाल चौहान : मैं जानना चाहता था कि उच्च न्यायालय से निवेदन किया गया है, कब तक इस पर विचार हो जायेगा ? क्या मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में आश्वासन दे सकते हैं ?

श्री खेतसिंह : जी हां। इस प्रश्न का उल्लेख करके एक लेटर एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब को लिखूंगा।

एक माननीय सदस्य : उसमें क्या लिखेंगे ?

श्री रमेशचन्द्र सैनिक (हिण्डोली) : तहसील की जितनी ग्रामीण जनता है उसका पैसा और समय बचाने के लिए और सुविधापूर्ण न्याय देने के लिए मुंसिफ मजिस्ट्रेट, नैनवा से हटा कर बूंदी कर दिया गया है ?

श्री खेतसिंह : यह अलग से प्रश्न है। मैं नहीं कह सकता कि हिण्डोली से नैनवा कितनी दूर है। आपने पूछा है कि हिण्डोली की जनता को नैनवा बूंदी होकर जाना पड़ता है वह मैंने स्वीकार किया है। मैंने निवेदन किया है इस बारे में हाई कोर्ट को लिखा गया है। मैंने यह भी निवेदन किया है कि कैम्प कोर्ट चाहते हैं उसके बारे में हम लिख रहे हैं। मेरे ख्याल से इससे आपको संतोष होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्रीमती सुमित्रा सिंह !

मण्डावा में भूतपूर्व जागीरदारों की भूमि

611. **श्रीमती सुमित्रासिंह** (झुंझुनू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मण्डावा (झुंझुनू) के भूतपूर्व जागीरदारों ने सीलिंग कानून के तहत कुछ कृषि भूमि मण्डावा में छोड़ी है ? यदि हां, तो क्या उक्त भूमि का मण्डावा में किसी को अलाटमेंट हुआ है ? कृपया नामों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि में से मण्डावा पुलिस स्टेशन के पूर्व की जमीन पर कुछ व्यक्तियों ने गैर कानूनी कब्जा किया है ?

(3) क्या यह भी सही है कि अगस्त, 1975 में मंत्री, गांधी विकास सेवा समिति, मण्डावा ने तथा बाद में अन्य व्यक्तियों ने जिले के उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह भी सही है कि उपयुक्त जमीन पर कब्जा करने वाला परिवार मण्डावा निवासी नहीं है जब कि मण्डावा में भूमिहीन बहुत हैं।

(5) क्या राज्य सरकार ने इस गैर-कानूनी कब्जे को हटाने के लिये कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? तथा अब उक्त व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री मूलचन्द मीणा) : (1) यह सही नहीं है कि मण्डावा के भूतपूर्व जागीरदारों ने सीलिंग कानून के अन्तर्गत कुछ कृषि भूमि मण्डावा में समर्पित की है। ऐसी दशा में अलाटमेंट का प्रश्न नहीं उठता।

(2) प्रश्न पैदा नहीं होता।

(3) भूमि खसरा नं० 603/55 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा पर हो रहे अतिक्रमण के सम्बन्ध में मामला ध्यान में लाया गया है। जांच पर पाया गया कि यह भूमि खातेदारी की है। सरकारी भूमि पर कोई नाजायज कब्जा न होने से कार्यवाही की आवश्यकता नहीं थी।

(4) भूमि खसरा नं० 603/55 सर्व श्री जयसिंह व भीमसिंह की खातेदारी में दर्ज है, पर श्री हरलाल पुत्र भूराराम जाट, निवासी वाजिदसर काबिज है। वह कस्बा मण्डावा का निवासी नहीं है।

(5) यह भूमि सरकारी भूमि नहीं है इसलिए कोई कार्यवाही वांछित नहीं है।

Page No 11

(11)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, एक तरफ सरकार कह रही है, यह सरकारी भूमि नहीं है, दूसरी तरफ मान रही है, भूतपूर्व जागीरदार की भूमि है, जो सीलिंग के तहत छोड़ी है। स्पष्ट बतायें इनमें से कौनसी बात सही है ?

श्री मूलचन्द मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न स्पष्ट है, उसका उत्तर मैंने दिया है, "यह सही नहीं है कि मण्डावा के भूतपूर्व जागीरदारों ने सीलिंग कानून के अन्तर्गत कुछ कृषि भूमि मण्डावा में समर्पित की है। ऐसी दशा में अलाटमेंट का प्रश्न नहीं उठता" अब जो मामला अतिक्रमण का सामने आया, 603/55 का आया, उसकी जांच की उसमें 1 बीघा 7 बिस्वा पर एन्क्रोचमेंट पाया गया। वह एक्चुअली सरकार की जमीन नहीं थी, वह जमीन खातेदारी की थी। इसमें कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : सीलिंग में छोड़ दी है, इसलिए सरकार को चाहिए, एन्क्रोचमेंट के खिलाफ कार्यवाही करें।

राजस्व मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : मण्डावा के भूतपूर्व जागीरदार ने अपनी भूमि सीलिंग में न समर्पित की है, न अधिकारीगण एस० डी० ओ० ने अधिग्रहित की है। यह खातेदारी की जमीन है, किसी दूसरी पार्टी ने ट्रेसपास किया है। सरकारी भूमि न होने की वजह से दो पार्टी का इन्टरनल मामला है। वह कोर्ट में जाकर डिसाइड कराना चाहिए। सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है।

प्रश्न संख्या 612

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री सुरेशचन्द्र शर्मा !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री भुवनेश चतुर्वेदी !

हिन्दुस्तान स्टील यार्ड, कोटा

613. **श्री भुवनेश चतुर्वेदी** (कोटा) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कोटा से हिन्दुस्तान स्टील यार्ड हटाया जा रहा है ?

(2) क्या कोटा में हिन्दुस्तान स्टील यार्ड द्वारा चाही गई सुविधायें उपलब्ध कराने में राज्य सरकार ने उदासीनता बतलाई ?

(3) क्या राज्य सरकार हिन्दुस्तान स्टील यार्ड के कोटा से शिफ्ट होने की सम्भावनाओं को दूर करने हेतु केन्द्रीय सरकार से सम्पर्क करेगी ?

राज्य मंत्री, उद्योग (श्री गुलाब सिंह शक्तावत):

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : 'जी नहीं' के बाद कुछ नहीं कहना। लेकिन कोटा में आशंका है। यह अखबारों में भी छपा है। मुख्य मंत्री जी इस पर अपने विचार फर्मायें।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आशंकाओं से नहीं घबराना चाहिए।

श्री ओंकारलाल चौहान : हिन्दुस्तान स्टील यार्ड, कोटा से हटाया जा रहा है, इस तरह की कोटा में बात की जा रही है। वहां की जनता इस सम्बन्ध में बहुत भयभीत

(श्री ओंकारलाल चौहान)

चिन्तित है, औद्योगिक दृष्टि से। औद्योगिक दृष्टि से सरकार को विचार करना चाहिए और इस सम्बन्ध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करके वहीं रखने का प्रयास करना चाहिए।

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : राज्य सरकार ने न कभी सोचा है, न हिन्दुस्तान स्टील ने हमसे मांगा है, इस प्रकार की बात कही है। इसलिए अनावश्यक भयभीत, आशंकित और सशंकित हों—इसका इलाज क्या है।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : यू० आई० टी० से जमीन मांगी है।

श्री हरिदेव जोशी : इसलिए सोच रहे हैं कि एक दूसरा स्टील यार्ड भरतपुर में खोलने की चर्चा चल रही है। वह दूसरा होगा।

श्री ओंकारलाल चौहान : अखबारों में ऐसा निकला है, ऐसी चर्चा है—इसलिए निवेदन किया।

श्री हरिदेव जोशी : जो कोटा का स्टील यार्ड है वह वैसा का वैसा ही रहेगा। भरतपुर में एक और ब्रोड गेज पर खोलने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री मीठालाल मीणा : क्या यह निश्चित हो गया है ? सवाई माधोपुर और भरतपुर की चर्चा थी, क्या भरतपुर का निश्चित हो चुका है ?

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : राजस्थान में इतनी सेंसरशिप होने के बाद भी इस प्रकार की अफवाह अखबारों में कैसे छप जाती है ? यह बताने का कष्ट करें।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : माननीय सदस्य कैसे बोलते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री रामानन्द अग्रवाल !

ईटराना रूंध, अलवर

614. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ईटराना रूंध, जिला अलवर महाराजा अलवर ने अपने दूसरे लड़के श्री यशवन्त सिंह को जागीर में दी हुई थी ?

(2) यह रूंध जो जागीर में दी हुई थी इसका कुल रकबा कितना है ?

(3) क्या यह सही है कि सन् 1952 में जागीरदारी उन्मूलन अधिनियम के तहत इस जागीर को रिज्यूम नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने इस रूंध की भूमि और उसमें बनी हुई कोठी को भारत सरकार के लिये सेना की छावनी बनाने के लिये वाप्त कर लिया है ? यदि हां, तो इस रूंध और कोठी का मुआवजा अलग अलग कितना कितना आंका गया है ?

(5) क्या यह सही है कि जिलाधीश, अलवर ने इस रूंध की अवाप्ति विज्ञप्ति को निरस्त करने बाबत सुझाव दिया था ? यदि हां, तो अलवर जिलाधीश के इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को लिखे गये पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि जिलाधीश अलवर ने इस रूंध का भारत सरकार से

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
मिलने वाला मुआवजा श्री यशवन्त सिंह को न देने की सलाह दी थी ? इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने क्या निर्णय लिया ?

(7) क्या इस रूंध का भारत सरकार से पूरा मुआवजा मिल चुका है ? यदि हां, तो कितना मुआवजा महाराजकुमार को अदा किया है और क्यों ?

(8) क्या राज्य सरकार इस केस को रीओपन करके पुनर्विचार करने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री मूलचन्द मीणा) : (1) जी हां।

(2) इस रूंध का कुल रकबा 2,533 एकड़ है, एवं एक कोठी है।

(3) जी हां। क्योंकि राजस्व मण्डल, अजमेर ने निर्णय दिनांक 23-10-63 द्वारा इस सम्पति को जागीरदार की निजी सम्पत्ति माना है।

(4) रूंध की 2,404 एकड़ भूमि को अवाप्त किया गया है। मुआवजा अभी तक नहीं आंका गया है। काम्पीटेन्ट आथोरिटी द्वारा इसका सालाना किराया 18,962) रुपये आंका गया है। कोठी मय 129 एकड़ भूमि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 30-3-60 को तीन लाख रुपये में खरीद की गई थी।

(5) जी हां। पत्र में उठाये गये कानूनी विन्दुओं की विधि विभाग से राय लेने के उपरान्त जिलाधीश के सुझाव को अस्वीकार कर दिया गया।

(6) जी हां। मामला आरबीट्रेटर के समक्ष विचाराधीन है।

(7) जी नहीं।

(8) मामला आरबीट्रेटर के समक्ष विचाराधीन होने के कारण अभी इस विषय पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रश्न (1) में आपने इसको जागीर माना है और फिर (3) में यह कह कर कि जागीरदारी उन्मूलन एक्ट के तहत इसलिए इसको अवाप्त नहीं किया गया क्योंकि रेवेन्यू बोर्ड ने इसको उनकी निजी सम्पत्ति माना है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्या राज्य सरकार इस बात को गलत नहीं समझती कि काल्यूसिव तरीके से यह फैसला लिया गया जिससे ढाई हजार एकड़ भूमि जो रूंध है, अपर्टिनेन्ट टू कोठी मान कर, इस प्रकार पड़ती है, उस रूप में जमीन को एक्जेम्प्ट किया गया है अवाप्ति से ? जागीरदारी उन्मूलन एक्ट में इस प्रकार फैसला दे दिया गया। मैं माननीय राजस्व मंत्री से कहूंगा, इस फैसले का खुद अध्ययन करें और फिर जिस तरह सीलिंग एक्ट के तहत रीओपन केस किये जाने, या जागीर उन्मूलन एक्ट के तहत रीओपन करने की गुंजाइश है—उस तहत कर लें वरना कानून में संशोधन करके भी रीओपन करें यह केस काल्यूसिव तरीके से तय हुआ है और ढाई हजार एकड़ जमीन कोठी में अपर्टिनेन्ट कह कर अवाप्त नहीं की गई—यह सरासर राज्य सरकार के साथ धोखा है।

राजस्व मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) प्रश्न के भाग (1) में राज्य सरकार ने उत्तर 'जी हां' इसलिए दिया है कि भूतपूर्व महाराजकुमार यशवन्तसिंह को यह भूमि फ्री ग्रान्ट के बतौर दी गई उस वक्त के हिजहाईनेस के द्वारा। प्रश्न (2) के सम्बन्ध में यह बात कही है, वह रेवेन्यू बोर्ड का जजमेंट है, क्योंकि यह

(श्री परसराम मदेरणा)
फ्री ग्रान्ट है इसलिए जागीर रिजम्पशन एक्ट के सेक्शन 23 की परिभाषा में नहीं आता है इसलिए जब रेवेन्यू बोर्ड का जजमेंट हो गया तो कार्यवाही करने की बात सोची भी जा सकती थी लेकिन नहीं की गई क्योंकि कानूनी मुद्दे हैं आया फ्री ग्रान्ट जागीर की परिभाषा में आएगी या बिस्वेदारी की परिभाषा में आएगी। सब्सीक्वेंट म्यूटेशन्स भी हुए हैं। जिस समय मल्टीपर्पजेज के लिए जमीन का रिक्वीजीशन किया गया था, एक्वीजीशन की कार्यवाही चली थी, जैसा प्रश्न के भाग 2 में उत्तर दिया है, इस सम्बन्ध में पूरे मामले की जांच कराने के आदेश मैंने विधि विभाग को दे दिए हैं और They are seized of the matter.

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामसिंह कुड़ी।

नागौर जिले में ए० पी० डी० पी० के अन्तर्गत किए गए कार्यों पर व्यय की गई राशि

615. **श्री राम सिंह कुड़ी** (जायल): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नागौर जिले की ए० पी० डी० पी० परियोजना के लिए गठित समिति के सदस्यों की नामावली सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इस परियोजना में विभिन्न योजनाओं की स्वीकृतियां अंतिम रूप से करने का अधिकार किसको है?

(3) इस परियोजना की स्कीमों को बनाने, सर्वे एवं भिन्न स्तरों पर स्वीकृत करने की विधियां किस प्रकार हैं? सूक्ष्मतम आधार क्या?

(4) इस परियोजना की स्कीमों पर विभिन्न विभागों का कितना व किस किस प्रकार का प्रशासनिक नियंत्रण एवं सम्बन्ध है?

(5) इस परियोजना में भिन्न स्कीमों पर कितना कितना व्यय वर्ष 1975-76 तक हो चुका है एवं अब कब तक के लिए कितनी कितनी राशि शेष स्वीकृत हुई तथा कितनी व्यय हेतु रखी हुई है?

(6) इस परियोजना की कार्यविधियों की देख रेख के लिए कौन प्रशासनिक अधिकारी राज्य स्तर पर जिम्मेदार है?

कृषि मंत्री (श्री शिव चरण माथुर): (1) सूची संलग्न है।

(2) नागौर परियोजना में विभिन्न योजनाओं को अंतिम रूप से स्वीकृत करने का अधिकार भारत सरकार को है।

(3) सामान्यतया परियोजना की विभिन्न स्कीमों के अनुमान, प्रारूप व सर्वे आदि जिला विकास अधिकरण के निर्देशानुसार विभागीय अधिकारियों द्वारा विभागीय प्रणाली के मुताबिक किए जाते हैं। स्कीमों का आधार स्वीकृत परियोजना प्रतिवेदन है। समय समय पर नीति निर्देशन संबंधी सिद्धांत व अन्य हिदायतें भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जिला विकास अधिकरण व विभागाध्यक्षों को सूचित किए जाते हैं सामान्य रूप से जिला विकास अधिकरण, राज्य सरकार की सिफारिशों पर भारत सरकार स्वीकृति प्रदान करती है। आम तौर में सूक्ष्मतम आधार विभागीय अधिकारी व जिला विकास अधिकरण होते हैं।

(4) परियोजना की योजनाओं पर प्रशासनिक व वित्तीय नियंत्रण जिला विकास

(श्री शिवचरण माथुर)
अधिकरण का है। तकनीकी मार्गदर्शन का उत्तरदायित्व विभागाध्यक्षों का है। राज्य स्तर पर विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित विभागाध्यक्ष व प्रशासनिक सचिवों की है। इस परियोजना का समन्वय व नियंत्रण विशिष्ठ योजना संगठन करता है।

(5) वर्ष 1974-75 से फरवरी, 1976 तक के मदवार व्यय के अंतरिम आंकड़े निम्नलिखित हैं:—

क्र० सं०	मद	व्यय (लाख रु० में)
1.	कृषि	9.57
2.	भू-जल	40.99
3.	वन विकास	2.04
4.	लघु सिंचाई	19.78
5.	भेड़ विकास	3.68
6.	पशु एवं दुग्ध विकास	6.15
7.	संस्थापन	3.18
		85.39

नागौर जिले की अब तक कुल आवंटित राशि में से शेष लगभग 27.55 लाख रुपए मार्च, 1976 व वर्ष 1976-77 में स्वीकृत योजनाओं के लिए उपयोग किए जायेंगे।

(6) राज्य स्तर पर विशिष्ठ योजना संगठन इसे परियोजना की कार्यविधियों की देखरेख के लिए जिम्मेदार है।

(नामावली के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

श्री उपाध्यक्ष : श्री नारायणसिंह चौधरी।

भू० पू० हैड कान्स्टेबल को पेन्शन का मामला

616. **श्री नारायण सिंह चौधरी** (दांतारामगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री हरदेवा राम हैड कान्स्टेबल नम्बर 1980 सन् 1953 में अलवर में राजस्थान पुलिस में सर्विस करता था ?

(2) क्या यह भी सही है कि उन्हीं दिनों में उक्त व्यक्ति डकैतों की मुठभेड़ में मारा गया था ?

(3) क्या इनको पेन्शन दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? और इतने दिनों तक पेन्शन न देने का क्या कारण है ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री गुलाब सिंह शक्तावत) : (1) जी नहीं। श्री हरदेवा राम, हैड कान्स्टेबल का नं० 505 था।

(2) जी नहीं। दिनांक 11-2-1953 को बीमारी (हेमरेज) के कारण मृत्यु हुई थी।

(3) जी नहीं। श्री हरदेवा राम, हैड कान्स्टेबल का सेवा काल 22 वर्ष का था। अतः उस समय के सेवा नियमों के तहत इसको कोई पारिवारिक पेन्शन देय नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह प्रश्न एक बार पहले भी सदन में आ चुका है और मेरे सवाल के जवाब में उस समय बताया गया कि इस केस को हमने ए० जी० को रेफर किया है। 22 साल की सर्विस है, डकैतों

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

की मुठभेड़ में मारा गया है, इस बात को सदन में स्वीकार किया गया था। 22 साल की अवधि कम नहीं होती है और मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है, मैं तो उससे संतुष्ट नहीं हूं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : हमने स्वीकार नहीं किया था कि मुठभेड़ में मारा गया है। प्रश्न के उत्तर में यही कहा था कि बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हुई थी। उस समय सदन में कहा था कि पेन्शन का मामला ए० जी० को भेजा गया है लेकिन चूंकि नियमों के तहत जब तक 25 साल की क्वालिफाइंग सर्विस पूरी नहीं करते तब तक पेन्शन नहीं दी जाती। 25 वर्ष की सेवा न होने के कारण फैमिली पेन्शन देना संभव नहीं है।

श्री पूनम चन्द बिश्नोई : 20 साल की सेवा पर जिनको कम्पलसरी रिटायर कर रहे हैं उनको आपने पेन्शन दी है?

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी): जिनको कम्पलसरिली रिटायर करते हैं वह एक बात है। गवर्नमेंट रूल्स से बंधे हुए हैं जो उस समय एग्जिस्ट करते थे। आज तो अमेंड हो गए। इसलिए वह आदमी क्वालीफाई नहीं करता था।

(शोरगुल)

श्री गुरदयाल सिंह संधु : हेमरेज हुआ गोली लगने के कारण?

श्री हरिदेव जोशी : आज के रूल्स लिबरल हैं, इसलिए लिबरली दे रहे हैं। उस समय दूसरे रूल्स थे इसलिए कुछ नहीं कर सकते थे।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कर दें।

श्री हरिदेव जोशी : इन्डिविजुअल केसेज में ऐसा करने लग जायेंगे तो फिर ठीक नहीं होगा।

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस केस को सिम्पेथिटीकली देख कर किसी प्रकार से भी उन के परिवार को राहत देने की व्यवस्था करें।

श्री हरिदेव जोशी : वह दूसरी बात है। रूल्स को अमेन्ड करना और बात है।

श्री नारायण सिंह चौधरी : उस समय मंत्रीजी ने जवाब दिया था कि हैड कान्स्टेबल की विडो नहीं मिल रही है इसलिए भुगतान नहीं किया गया है। उसके बाद मैंने पत्र लिखा है, पता दिया है। मैंने लिखा था कि वह कहीं नहीं गई है, उसी गांव में है। मंत्रीजी ने जवाब दिया था कि नागौर और जोधपुर की तरफ विडो चली गई है, इसलिए भुगतान नहीं किया गया।

श्री हरिदेव जोशी : यह सही है। मगर सारी चीज को थोरोली एग्जामिन किया गया और अब पोजीशन यह है कि क्योंकि उस समय के नियमों से यह केस कवर नहीं होता था इसलिए पेन्शन देना एक बात है, मगर एक्स-ग्रेश्या पेमेंट देना दूसरी बात है। सरकार के कन्सीडरेशन में है कि कोई मदद की जाए।

(शोरगुल)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उस समय कहा था कि विडो नहीं मिल रही है।

श्री शंकर सिंह रावत : अब क्योंकि कानून में संशोधन हो गया है तो उसका लाभ उसको मिल गया है ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रीराम गोटेवाला ।

राजस्थान न्यायिक सेवा में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के सदस्यों का आरक्षण

617. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान न्यायिक सेवा अधिकारियों की पदोन्नति में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षण लागू कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) राजस्थान न्यायिक सेवा में कुल कितने अधिकारी (आर० जे० एस० ऑफिसर) हैं और इनमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कितने हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) राजस्थान न्यायिक सेवा में क्या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकारियों को पदोन्नति में आरक्षण के आधार पर पदोन्नति दी गई है ? यदि हां, तो ऐसे कितने अधिकारी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि सेवा अवधि के आधार पर पदोन्नति प्राप्ति के अधिकारी हो जाने पर भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को पदोन्नति नहीं दी गई है ? यदि हां, तो क्यों और इन अधिकारियों के क्या नाम हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(5) उक्त सेवा में पदोन्नति में आरक्षण लागू कर दिये जाने पर आरक्षण प्रतिशत के अनुसार सेवा काल के आधार पर कुल कितने अनुसूचित जाति/जन जाति के अधिकारी पदोन्नत किए जाने योग्य हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) अनुसूचित जाति । अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को छोड़ कर क्या अन्य जाति के ऐसे न्यायिक अधिकारी हैं जिनके विरुद्ध विभागीय आरोप होने या विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही होने के बाद भी पदोन्नति दी गई है ? यदि हां, तो कारण बताते हुए सूची सदन की मेज पर रखें ।

(7) जिन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के न्यायिक अधिकारियों को अब तक बिना आरक्षण के सामान्य रूप से सेवा काल की वरीयता के आधार पर पदोन्नत किया गया है उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

विधि मंत्री (श्री खेतसिंह) : इसको स्थगित करने के लिए मेरा निवेदन है । इसमें जो सूचना चाही गई है इसमें हाई कोर्ट, सैशन्स कोर्टस् सब जगह के जजों की जानकारी मंगानी है, वह प्राप्त नहीं हो सकी है । इसलिए मजबूरन मैं चाहता कि इसको स्थगित किया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित किया गया ।

श्री विजयसिंह ।

पटवार सर्किल, पीथास के पटवारी के विरुद्ध कार्यवाही

618. **श्री विजयसिंह राठौड़** (मांडल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील मांडल के पटवार सर्किल पीथास के पटवारी, श्री मोहन लाल ने 1) श्री पन्ना पुत्र श्री घीसा, 2) श्री पन्ना पुत्र श्री छोगा दरोगा, 3) श्री चुन्ना पुत्र श्री मोड़ा लुहार को लगान वसूली के वक्त जूतों एवं डंडों से पीटा ?

(2) क्या काश्तकारों के साथ इस प्रकार मार पीट करने पर उक्त पटवारी, यदि जुर्म बनाता है तो इस पटवारी के विरुद्ध कोई जुर्म नहीं बनता है ? क्या कार्यवाही की गई और की जा रही है ?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री मूलचंद मीणा) : (1) यह सही नहीं है ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामसिंह विश्नोई।

राज्य सरकार के कृषि फार्म

619. **श्री राम सिंह विश्नोई** (लूणी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कृषि विभाग के अंतर्गत कितने कृषि फार्म चल रहे हैं प्रत्येक की जिलेवार सूची लाभ-हानि ब्यौरा व 1967 से आज दिन तक प्रत्येक फार्म पर कितना कितना नुकसान विभाग को उठाना पड़ा ? किसी एक आदर्श कृषि फार्म का उदाहरण देते हुए बतावें कि अमुक कृषि फार्म पर खर्चा मय ब्याज, जमीन कीमत, मजदूरी देने के अमुक लाभ विभाग को प्राप्त हुआ ?

(2) राजस्थान में प्रत्येक चार बीघा पर गेहूं की फसल प्राप्त करने में किसान को कितना खर्चा उठाना पड़ता है ? जिसमें जमीन कीमत, कुओं, बिजली, खाद, दवाइयों, मजदूरी, खड़ाई, कटाई, गेहूं पकने बाद निकलवाई आदि तमाम कुछ जोड़ने के बाद चार बीघा पर जो खर्चा होता है जोड़ कर बतावें व उसके बाद जो पैदावार आए चार बीघा से क्या प्राप्त होती है ?

(3) क्या यह सही है कि गेहूं पैदा करने में जो खर्चा किसान को उठाना पड़ता है आमदनी पैदावार उससे कम होती है ? क्या राज्य सरकार किसानों को आर्थिक सहायता देने हेतु केन्द्रीय सरकार को 105 रु० प्रति क्विन्टल के बजाय 150 रु० प्रति क्विन्टल की सिफारिश करना उचित नहीं समझती ?

कृषि मंत्री (श्री शिव चरण माथुर): इस प्रश्न की सूचना आने में देरी हो गई, इसलिए स्थगित किया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित किया गया ।

श्री चुन्नी लाल इन्दलिया ।

राज्य में माचिस फैक्ट्री

620. **श्री चुन्नी लाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कितनी माचिस

Page No 19

19

(श्री चुन्नी लाल इन्दलिया)
फैक्ट्रीज है एवं इनमें कितनी फैक्ट्रीज चल रही हैं ?

(2) राजस्थान में जो फैक्ट्रियां चल रही हैं उनमें कितनी फैक्ट्रियां आबादी की भूमि पर हैं एवं कितनी औद्योगिक भूमि में ?

(3) क्या माचिस फैक्ट्री कुटीर उद्योग में आती है ? अगर हां, तो सरकार इसे उद्योगों को बढ़ाने के लिए क्या सहयोग दे रही है ?

राज्य मन्त्री, उद्योग (श्री गुलाब सिंह शक्तावत) : (1) राजस्थान में 14 माचिस फैक्ट्रियां हैं जिनमें 9 इकाइयां कार्यरत हैं ।

(2) केवल एक इकाई औद्योगिक भूमि पर है ।

(3) माचिस फैक्ट्री लघु उद्योग में सम्मिलित है तथा इसका कार्य खादी तथा ग्रामोद्योग मंडल द्वारा भी देखा जाता है । उद्योग विभाग में पंजीकृत इकाइयों को राज्य सरकार की घोषित नीति के अनुसार सभी प्रकार की सहायता एवं सुविधा दी जाती है ।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित प्रश्न । श्री बनवारी लाल ।

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 19 मार्च, 1976)
विभागीय जांच आयुक्त के पास पेंडिंग मामले

184. **श्री बनवारी लाल** (धौलपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1 अप्रेल, 1970 से लेकर अब तक विभागीय जांच आयुक्त को किस-किस वर्ष में कितने मामले जांच हेतु दिए गए और उनमें से कितने मामलों की जांच पूर्ण हुई ? अब किस किस वर्ष के कितने मामलों में किन किन अधिकारियों के विरुद्ध जांच हो रही है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) जिन मामलों की जांच में एक वर्ष से अधिक का समय लगा है, उनके प्रत्येक के क्या क्या कारण हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें विभागीय जांच आयुक्त के निर्णय को पूर्णतया स्वीकार नहीं किया गया ? प्रत्येक के कारणों सहित सरकार द्वारा अंतिम रूप से की गई कार्यवाही का विवरण देते हुए तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

राज्य मन्त्री, नियुक्ति (श्री गुलाब सिंह शक्तावत) : माननीय सदस्य ने जो सूचना मांगी है वह 6 वर्षों की विस्तृत सूचना मांगी है । जब प्रश्न आया था तो भी मैंने मांग की थी कि समय दिया जाए लेकिन फिर एक सप्ताह बाद मांगी गई है । अतः इसको स्थगित करने की कृपा करें ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, 22 दिन में भी एक सामान्य प्रश्न का जवाब नहीं आ सका और मन्त्री महोदय इस प्रश्न को पोस्टपोन करवाना चाहते हैं । यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है इसमें राज्य सरकार के पास जितनी भी जानकारी है उतना तो जवाब दे दिया जावे ।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आपने प्रश्न का जवाब विस्तार से मांगा है इसलिए

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत) मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न को पोस्टपोन किया जाये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप संक्षेप में ही बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न को पोस्टपोन किया जाता है।

नेक्स्ट। श्री मनोहर कोठारी।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 28 मार्च, 1976)

राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा पुस्तकों का प्रकाशन

277. **श्री मनोहर कोठारी** (नाथद्वारा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान साहित्य अकादमी ने स्थापना से 1975-76 तक कितनी पुस्तकों का प्रकाशन किया ? तालिका लेखक के नाम सहित सदन के पटल पर रखें।

(2) कितने लेखकों को पुस्तक प्रकाशन के लिये कितनी कितनी राशि प्रदान की ? तालिका लेखक के नाम सहित सदन के पटल पर रखें।

(4) विभिन्न लेखकों को पुस्तकों के एवज में एक मुश्त व रायल्टी स्वरूप कितनी कितनी राशि उक्त अवधि में दी है ? तालिका लेखक के नाम सहित सदन के पटल पर रखें।

(5) क्या राजस्थान साहित्य अकादमी पुस्तक प्रकाशन की सन्तोषजनक रूप से भूमिका निभा सकी है ? यदि हां, तो किस दृष्टि से ? और नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा मन्त्री (श्री खेतसिंह) : (1) 92 पुस्तकें प्रकाशित की हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) अकादमी को मार्च, 1975 तक पुस्तकों की बिक्री के रूप में 74,475.05 रुपये की आय हुई है।

(4) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) जी हां। अपने सीमित साधनों के अनुकूल उचित भूमिका निभाई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मनोहर कोठारी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं, आपकी साहित्य अकादमी की चयन समिति के पास किये बिना ही सन् 60 में श्री गणेशचन्द्र जोशी की एक पुस्तक को, जिसे बैन कर दिया था उस पुस्तक को छपाने के लिये 500 रुपये का अनुदान दिया ? उपाध्यक्ष महोदय, इस पुस्तक की समीक्षा किस व्यक्ति ने लिखी थी ? पुस्तक 'जनकजा' जब प्रतिबन्धित थी तो राज्य सरकार ने इसे क्यों खरीदा ?

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि यह पुस्तक 'जनकजा' साहित्य अकादमी द्वारा 500 रुपये का अनुदान देकर छपवाई गई थी। इस पुस्तक के लेखक श्री गणेशचन्द्र मन्वन्तर थे। उन्होंने इस पुस्तक को श्री मंगल सक्सेना, जो उस वक्त साहित्य अकादमी का सेक्रेट्री था, को समीक्षा

(**श्री खेतसिंह**)
लिखने के लिये दी और मंगल सक्सेना ने ही उसकी समीक्षा लिखी थी। बाद में जब पता पड़ा कि यह पुस्तक अश्लील है तो इस पुस्तक को बैन कर दिया गया। श्री मंगल सक्सेना ने ही समीक्षा लिखकर उस समय के साहित्य अकादमी के अध्यक्ष, श्री जनार्दन-राय नागर से 500 रुपये की राशि का अनुदान दिलाया।

श्री मनोहर कोठारी : क्या यह बात सही है कि जिस अनुदान पुस्तक को दिया जाता है वह पहले चयन समिति के सामने जाती है। तो क्या यह पुस्तक चयन समिति के सामने रखी गई थी ? क्या उन्होंने इस पुस्तक को देखने के बाद इसकी स्वीकृति दी या चयन समिति के सदस्यों के देखे बिना ही उनको अनुदान दिया गया ?

श्री खेतसिंह : मैंने निवेदन किया था कि इस पुस्तक की मंगल सक्सेना ने समीक्षा लिखी थी। कमेटी के सामने गयी थी समीक्षा की रिपोर्ट पर श्री जनार्दनराय नागर ने इसके लिये 500 रुपये का अनुदान दिया।

श्री मनोहर कोठारी : क्या साहित्यिक दृष्टि से इस पुस्तक को उचित मानते हैं आप ?

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी): उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सवाल साहित्यिक दृष्टिकोण का लेखा-जोखा करने का है इसमें मतभेद हो सकता है। आप एक साहित्यकार हैं, आप अपना अलग दृष्टिकोण रखें दूसरा अपना अलग दृष्टिकोण रखें।

श्री मनोहर कोठारी : क्या यह पुस्तक अश्लील नहीं है ? क्या मंगल सक्सेना की निगाहों में यह अश्लील नहीं थी ?

श्री हरिदेव जोशी : जहां तक सवाल अश्लील का है इसमें भी सीमायें होती हैं। जैसे फिल्मों में सेन्सरशिप होती है उसमें सीमा होती है उसी प्रकार इसमें सीमायें हो सकती हैं। एक सीमा तक सेन्सर किसी फिल्म में वह चीज चलने देती है बाद में उसे काट देती है। उसी प्रकार साहित्य की दृष्टि में अश्लील साहित्यकार होने की सीमा हो सकती है उसमें भी डिफरेन्स आफ ओपीनियन हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री मनोहर कोठारी : उपाध्यक्ष महोदय, तो इसका मतलब यह हुआ कि इस प्रकार की पुस्तकों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये ?

श्री हरिदेव जोशी : प्रोत्साहन देने का सवाल नहीं है। यह तो एक प्रकार की राय है और इसमें डिफरेन्स आफ ओपीनियन हो सकता है। पर जब अश्लील पब्लिक ओपीनियन में आयी तो उसको बन्द कर दिया गया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरा प्रश्न यह है कि क्या उस पुस्तक की रायल्टी उस व्यक्ति को दी गयी ? क्या मंगल सक्सेना के खिलाफ में कोई एक्शन लिया गया ? क्या उस पुस्तक को चयन समिति के समक्ष रखा गया था ? क्या उस पुस्तक को बिना चयन समिति के सामने रखे रायल्टी दी गयी ? यह क्या वॉयलेशन आफ रूल्स नहीं है ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मेरा भी एक सप्लीमेन्ट्री प्रश्न है उसका भी जवाब मन्त्री महोदय दें

(श्री मनोहर कोठारी)

दें । क्या इस पर्टीक्यूलर पुस्तक को 500 रुपये दिये गये थे छपवाने के लिये ? क्या इस पुस्तक के चयन करने के लिये कोई व्यक्ति विशेष के लिये नियमों का उल्लंघन किया गया था ? क्या इस राइटर की इस पुस्तक को बाद में बैन किया गया ?

श्री मनोहर कोठारी : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं। क्या श्री मन्वन्तर ने एक और दूसरी पुस्तक 'अशोक वासनी' नाम से लिखी थी ? उस पुस्तक को भी अश्लील होते हुए भी खरीदा गया और राज्य सरकार ने इस पुस्तक की भी रायल्टी उस लेखक को दी ?

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, उस पुस्तक की कोई रोयल्टी नहीं दी गयी। पहले उस पुस्तक को छपाने के लिये 500 रुपये का अनुदान साहित्य अकादमी द्वारा मंगल सक्सैना के समीक्षा लिखने पर, जो कि साहित्य अकादमी का सेक्रेट्री था, उसने जनार्दनराय नागर, जो कि अध्यक्ष थे, से 500 रुपये सेंक्शन करवाये थे। उन्होंने एक साहित्यकार का साहित्य मानते हुए दिया। पर जब बाद में इस पुस्तक को विश्वविद्यालय के कोर्स में रखा गया था तब इस पुस्तक को पढ़ने से लोगों की धार्मिक भावना को ठेस लगी तो इस पुस्तक को बैन कर दिया गया। इसमें कोई बात नहीं ।

श्री मनोहर कोठारी : तो अगर इसमें कोई बात नहीं है तो आप तोता-मैना के राइटर को भी अनुदान दें।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन । श्री श्रीराम गोटेवाला ।

स्थगित प्रश्न

(**दिनांक** 23 **मार्च**, 1976)

सेवा निवृत्त अध्यापकों की पेन्शन

280. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में 1973-74 एवं 1974-75 में शिक्षा विभाग के कितने वरिष्ठ एवं सहायक अध्यापकों को सेवा निवृत्त किया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या सभी सेवा निवृत्त अध्यापकों (अनिवार्य सेवा निवृत्त एवं सेवा निवृत्त) को पेन्शन मिलना शुरू हो गया है ? यदि नहीं, तो किस किस को और इसके क्या कारण हैं ? उपरोक्त सेवा निवृत्त अध्यापकों को अब पेन्शन कब तक दिलवा दी जायेगी ?

शिक्षा मन्त्री (श्री खेतसिंह) : (1) उपलब्ध सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) दोनों अनिवार्य सेवा निवृत्त वरिष्ठ अध्यापकों के पेन्शन प्रकरण निर्णित हो चुके हैं। 73-74, 74-75 में आयु पर सेवा निवृत्त अध्यापकों के पेन्शन के संबंध में उपलब्ध ब्योरा सदन की मेज पर रख दिया गया है। शेष सेवा निवृत्त अध्यापकों के पेन्शन प्रकरण शीघ्र निपटाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री श्रीराम गोटेवाला : ये शीघ्र आप कब तक पेन्शन कैसेज को निपटा देंगे ? आज बेचारे लोगों को रिटायर हुए दो साल होने

Page No 23

(23)

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

को आये हैं उनकी पेन्शन का पता नहीं आखिर कोई निश्चित तारीख तो होनी चाहिये। लोगों में असन्तोष बढ़ रहा है।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की व्याकुलता से बिलकुल सहमत हूं। तृतीय ग्रेड के अध्यापक वास्तव में बिना पेन्शन के परेशान हो रहे होंगे। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं आज ही आपकी सूचना अनुसार सेक्रेटेरियेट में जाकर डाइरेक्टर एजूकेशन को पेन्शन के पैन्डिंग मामलों को जल्दी निपटाने के आदेश दे रहा हूं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : हम तो इसकी अवधि चाहते हैं आखिर एक महीना, दो महीना या साल भर, आपको रिटायर्ड पेन्शनर्स के प्रति सहानभूति बरतनी चाहिये।

श्री खेतसिंह : मैं इससे बिलकुल सहमत हूं और इसी आधार पर इन्सट्रक्शन्स एजूकेशन डाइरेक्टर को दे रहा हूं। लेकिन पेन्शन केसेज तैयार करने में समय तो लगता ही है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप मेरी भावनाओं से चाहे सहमत नहीं हों लेकिन आप कब तक करा देंगे यह बता दें, कोई निश्चित तारीख बता दें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने कहा कि समय तो लगता ही है लेकिन आप अवधि बतायें, कोई निश्चित अवधि बतायें तीन महीने में करा देंगे या छः महीने में करा देंगे ताकि उन लोगों को पता लग जाये कि इतने दिनों में उनको पेन्शन मिल ही जायेगी।

श्री खेतसिंह : मैं आपकी सूचना पर विचार करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री रामानन्द अग्रवाल।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 23 मार्च, 1976)

शिक्षा निरीक्षक, अलवर के विरुद्ध शिकायतें

292. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि श्री भीमसिंह तंवर, प्रधानाध्यापक मोरसराय स्कूल, अलवर ने श्री घासीलाल शर्मा, निरीक्षक, शिक्षा विभाग, जिला अलवर के विरुद्ध सरकारी धन का दुरुपयोग करने, चपरासी से घर पर काम लेकर वेतन विद्यालय से दिलाने आदि की शिकायतें की थीं ? यदि हां, तो उक्त शिकायत की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त शिकायतों में एक शिकायत यह भी थी कि श्री सुखलाल नामक चपरासी, मोरसराय स्कूल, अलवर में उक्त प्रधानाध्यापक के तहत काम करता था उसे उक्त स्कूल से अनुपस्थित रख कर एक अन्य शिक्षा अधिकारी द्वारा घर पर उससे काम लिया जाता था और श्री भीमसिंह तंवर, प्रधानाध्यापक द्वारा अपने स्कूल से उसका वेतन न देने पर उक्त चपरासी को एक दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया और उसी स्कूल से उसे पिछले माह का वेतन दिला दिया जब कि उस दूसरे स्कूल में पिछले महीने में उसकी नियुक्ति भी नहीं की गयी थी ?

Page No 24

(२५)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(3) क्या श्री घासीलाल शर्मा, निरीक्षक, शिक्षा विभाग के विरुद्ध इस शिकायत या अन्य शिकायतों की कोई जांच की गयी ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ? जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें। यदि जांच नहीं की गयी, तो क्यों नहीं की गयी?

(4) क्या यह सही है कि श्री भीमसिंह तंवर, प्रधानाध्यापक, मोरसराय स्कूल, अलवर को उक्त श्री सुखलाल चपरासी को वेतन न देने और नाहक परेशान करने के सम्बन्ध में 13-2-74 को चार्जशीट अन्य अभियोगों के साथ दी गयी ? क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में अभी तक कोई जांच नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ? चार्जशीट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त श्री घासीलाल शर्मा, निरीक्षक, शिक्षा विभाग ने उक्त श्री भीमसिंह तंवर, प्रधानाध्यापक, मोरसराय स्कूल, अलवर का ट्रान्सफर और निलम्बन इस शिकायत करने के बाद किया और उक्त अध्यापक को निर्वाह भत्ता भी नहीं चुकाया जिसके कारण श्री भीमसिंह तंवर को अदालत की शरण लेनी पड़ी और अदालत ने 31-5-74 को निरीक्षक, शिक्षा विभाग का सामान कुर्क किया तभी निर्वाह भत्ते की अदायगी हुई ?

(6) क्या राज्य सरकार द्वारा उक्त निरीक्षक, शिक्षा विभाग के विरुद्ध, उक्त अध्यापक को निर्वाह भत्ता की अदायगी न करने जिसके कि कारण विभाग के सामान की कुर्क होने तक की नौबत आयी, कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

शिक्षा मंत्री (श्री खेतसिंह) : (1) जी हां। उपलब्ध शिकायत की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी हां। श्री सुखलाल नामक चपरासी के सम्बन्ध में शिकायत थी।

(3) जिला सतर्कता समिति, अलवर ने 27-2-75 को जांच की। इस समिति ने दोनों पक्षों का रिकार्ड देखा तथा श्री भीमसिंह को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी दिया। समिति इस निर्णय पर पहुंची कि कमेटी द्वारा उक्त पत्रावली पर कोई कार्यवाही नहीं की जानी है। जांच की रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(4) जी हां। चार्जशीट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) जी नहीं। निर्वाह भत्ता समय पर न मिलने का कारण इनके द्वारा जीविका कमाने के लिये कुछ न करने का प्रमाण-पत्र न देना था। यह सही है कि मुन्सिफ कोर्ट, अलवर ने निरीक्षक, शिक्षा विभाग का सामान कुर्क करने के आदेश दिये थे किन्तु सैशन जज ने उसे निरस्त कर दिया।

(6) उपलब्ध जानकारी के अनुसार विद्यालय निरीक्षक ने समय समय पर निर्वाह भत्ता देने की कार्यवाही की किन्तु उचित आवश्यक प्रमाण-पत्र न दिये जाने तथा मुख्य स्थान पर उपस्थित न होने के कारण चुकारे में विलम्ब हुआ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रश्न संख्या 2 का उत्तर आपने 'जी हां' में दिया है। इसका मतलब साफ है कि सुखलाल चपरासी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
इस मोरसराय स्कूल में चपरासी नहीं था, उसका वेतन दूसरे स्कूल से, जहां वह कार्यरत नहीं रहा, पिछले महीने दिलाया गया। इसको कैसे उचित समझते हैं ?

श्री खेतसिंह : मैंने यह मालूम किया है कि डिस्ट्रिक्ट पूल होता है उसमें फोर्थ क्लास को पेमेन्ट होता है। आपके प्रश्न से मुझे संदेह हुआ कि चपरासी घर पर कार्य करता होगा और इसीलिये फेवरेटिज्म दिखाया। इस प्रश्न के आने के बाद आश्वासन देता हूं कि पूरे मामले की, जिसमें गीमसिंह, चपरासी भी शामिल होंगे, जांच कराऊंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : घासीलालजी भी शामिल होंगे ? घासीलालजी के यहां काम करता था।

श्री रामगोपाल : यह क्या मतलब हुआ ऐसा (अंगुली का इशारा करते हुए) करने का ?

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

नेक्स्ट।

श्री रघुनाथ विश्नोई।

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 23 मार्च, 1976)

सांचोर के स्कूलों के भवन

299. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि सांचोर उच्च माध्यमिक पाठशाला, उच्च प्राथमिक पाठशाला रेबारियों का गोलिया, उच्च प्राथमिक कन्या पाठशाला, सांचोर में पर्याप्त भवनों का अभाव है ? और हां, तो कब से ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि पाठशाला भवनों की मरम्मत एवं भवनों के निर्माण हेतु स्थानीय विकास समिति ने हाल ही में करीबन 20,000) रु० स्थानीय जनता से चन्दा इकट्ठा किया है ? अगर हां, तो चन्दे की रकम कब तक इकट्ठी की गयी है ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि राज्य सरकार ने स्थानीय जनता का जन सहयोग होते हुए भी अभी तक कोई अनुदान मंजूर नहीं किया है ? अगर हां, तो क्यों ? अब सरकार उक्त जन सहयोग की धनराशि के बराबर पाठशाला भवन के निर्माण के लिये अनुदान कब तक मंजूर करेगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री खेतसिंह) : (1) जी हां। सन् 1973 से।

(2) पाठशाला के भवन हेतु स्थानीय विकास समिति से प्रधानाध्यापक को आश्वासन प्राप्त हुआ था परन्तु राशि की जानकारी नहीं है।

(3) अन्य प्रस्तावों के साथ इस पर भी अवश्य विचार किया जावेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह राशि तो बैंक में जमा करा दी गयी है। आश्वासन का मतलब क्या हुआ ? इकट्ठी भी हो गयी और जमा भी हो गयी ?

श्री खेतसिंह : मेरे डिपार्टमेंट के पास जानकारी नहीं थी। विधायक महोदय को जानकारी होगी। चन्दा इकट्ठा करने में आप स्वयं भी होंगे। विभाग को जानकारी नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : प्रधानाध्यापक और शिक्षा निरीक्षक स्वयं शामिल थे। मैं भी था। प्रयत्न करके पैसा इकट्ठा किया। बरसात हो रही थी, बच्चे बाहर बैठे हुए थे। 20 हजार रुपया इकट्ठा करके बैंक में जमा करा दिया। जानकारी नहीं होने का क्या कारण है ?

श्री खेतसिंह : जानकारी हो या न हो, माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि चन्दा किया उसके अनुरूप राजकीय सहायता मिले। जैसा कि सदन को मालूम है माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कृपापूर्वक धनराशि रखी है उसमें से कुछ सहायता देंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : 20 हजार रुपया डिपार्टमेन्ट दे। पब्लिक से तो 20 हजार आ गया।

श्री खेतसिंह : यह तय नहीं किया है कि पब्लिक देगी उतना हम भी दे देंगे। झुंझुनू से आयी माननीय सदस्या एक लाख रुपया इकट्ठा कर दें तो मैं लाख रुपया कैसे दे सकता हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह तो पब्लिक से सौ सौ दो दो सौ रुपया इकट्ठा करके चन्दा किया गया है।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : माननीया सुमित्रासिंह के सवाल का भी आप ने जवाब दे दिया।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी।

स्थगित प्रश्न

(**दिनांक** 23 **मार्च**, 1976)

अध्यापकों के तबादले

307. **श्री भुवनेश चतुर्वेदी** (कोटा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग में दिसम्बर, 1975, जनवरी व फरवरी, 1976 में अध्यापकों के तबादले हुए हैं ?

(2) दिसम्बर, 1975, जनवरी व फरवरी, 1976 में कुल कितने तबादले हुए हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

शिक्षा मंत्री (श्री खेतसिंह) : (1) जी हां।

(2) उपलब्ध सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने स्थगन प्रश्नों का रिकार्ड तोड़ दिया है।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : सदन को आश्वासन तो दें कि जनवरी-फरवरी में तबादले नहीं करेंगे, हम कहेंगे, तब भी ?

श्री खेतसिंह : आप सब यह तय कर लें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : बोलिये ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 24 मार्च, 1976)

चौधरी जिनिंग और प्रेसिंग फैक्ट्री की भूमि में प्लाट्स की नीलामी

326. श्री **योगेन्द्रनाथ** हांडा (सूरतगढ) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) हनुमानगढ जंक्शन पर चौधरी जिनिंग और प्रेसिंग फैक्ट्री कब लगाई गई तथा इसके कौन कौन हिस्सेदार हैं ? इस मिल का एरिया कुल कितना है तथा यह किसके द्वारा किस प्रकार, किस मूल्य पर अलॉट किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त प्रेसिंग जिनिंग और फैक्ट्री के अन्तर्गत आने वाले प्लाट्स सरकार द्वारा नीलाम किये जा चुके थे ? यदि हां, तो कितने प्लाट्स थे तथा किस मूल्य पर नीलाम हुए थे ? क्या यह सही है कि इन प्लाट्स की नीलामी के बाद इनका एडवान्स मनी भी जमा करा लिया गया था यदि हां, तो कितनी ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त प्लाट्स की नीलामी के बाद नीलामी कैंसिल कर दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त नीलामी खारिज की जाने के बाद ये प्लाट्स चौधरी जिनिंग और प्रेसिंग फैक्ट्री को, कहीं कम कीमत पर अलॉट कर दिये गये ? यदि हां, तो किस कीमत पर तथा किन नियमों के तहत ? क्या इस पक्षपात के कारण राज्य सरकार को काफी हानि हुई और इस हानि का जिम्मेवार कौन है ? क्या राज्य सरकार उस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

राज्य मंत्री उद्योग (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) मैसर्स चौधरी जिनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्ट्री ने अपना कार्य 1 फरवरी, 1974 से प्रारम्भ किया है। फैक्ट्री में तीन भागीदार हैं, जिनके नाम श्री पृथ्वीराज, श्री विजय कुमार व श्रीमती धन कंवर हैं। भूमि का क्षेत्रफल 8 एकड़ है। भूमि राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 के अन्तर्गत उद्योग विभाग द्वारा 99 वर्ष की लीज पर दी गयी है। वार्षिक लेज रेन्ट 30 रुपये प्रति एकड़ है। पार्टी से 200 रु० प्रति एकड़ की दर से 1,600 रुपये विकास शुल्क भी वसूल किया गया है।

(2) जी हां। आवंटित भूमि तथा इससे लगती हुई दूसरी भूमि, दोनों प्लाट्स जिनका कुल क्षेत्रफल 717 एकड़ था, वर्ष 19,64 में 49280 रुपये में नीलाम हुई थी। नीलामी की अग्रिम राशि 13,03750 जमा करा दी गयी थी।

(3) जी हां। आवंटिती द्वारा निर्धारित समय में शेष राशि जमा नहीं कराने के कारण इस भूमि को पुनर्ग्रहण किया गया।

(4) जी नहीं। प्लाटों को बेचा नहीं गया है। केवल नियमों के अन्तर्गत वार्षिक लीज पर दिया गया है। राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 के अन्तर्गत 30 रुपये प्रति एकड़ वार्षिक लीज रेन्ट पर आवंटन किया गया है। क्योंकि आवंटन नियमानुसार किया गया है किसी भी अधिकारी की जिम्मेदारी तथा उसके विरुद्ध कार्यवाही का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने प्रश्न संख्या 2 में कहा है कि यह सही है कि एडवान्स राशि भी जमा करा दी गयी थी। नीलामी को कैंसिल करने का क्या कारण था, जब राशि जमा करा दी गयी थी ? 49 हजार में आक्शन भी कर दिया था। मनी भी डिपोजिट हो गया था।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : प्रश्न के भाग 2 में मैंने यह निवेदन किया था कि 49,280 रुपये में भूमि का विक्रय हुआ था और उसका 1/4 जो नियम के तहत होते हैं वह 13,037.50, वह जमा भी हो गये। नियमों के अन्तर्गत एक महीने के बाद 15 पर्सेन्ट और राशि जमा करानी थी, वह उन्होंने जमा नहीं करायी। 15 पर्सेन्ट जमा करा देते तो बाकी की बची हुई राशि 6 पर्सेन्ट होती उसकी किश्तें की जा सकती थीं। चूंकि उन्होंने समय पर जमा नहीं करायी इसलिये ओक्शन हुआ था उसको कैंसिल कर दिया गया और भूमि को वापिस अधिग्रहण कर लिया गया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या आप जांच करेंगे कि 60 पर्सेन्ट राशि जमा करा दी गयी थी और इस जमीन के चारों तरफ की गयी चाहर दिवारी को तोड़ कर कब्जा किया गया ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यदि आप इन्फोर्मेशन देंगे तो मैं निश्चित रूप से जांच करवाऊंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं इन्फार्मेशन दे रहा हूं कि 60 पर्सेन्ट जमा करा दी है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : किस किस तारीख को किस पार्टी के द्वारा कितना कितना रुपया जमा कराया गया ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह सब दे दिया जावेगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री गुरबचनसिंह संधु : मेरा एक प्रश्न था। न्याय नहीं मिल रहा है। मैं चाहूंगा कि उत्तर दिला दीजियेगा।

श्री महेन्द्र कुमार : मेरे हमेशा प्रश्न रह जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ओर्डर प्लीज। ओर्डर प्लीज।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

उद्योगपतियों से ऋण की वसूली

604. **श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा** (फागी) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार का ऋण किन किन उद्योगपतियों पर बकाया है ? वर्षवार तथा व्यक्तिवार सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त उद्योगपतियों से ऋण वसूली की क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा बड़े उद्योगों/उद्योगपतियों को दिये गये ऋण की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) प्रश्न भाग 1 के संदर्भ में दी गई सूची के कॉलम 7 में सूचना अंकित

(उद्योग मंत्री)
कर दी गई है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

राजस्थान मरु विकास मण्डल

607. श्री **गिरधारी लाल भार्गव** (हवामहल, जयपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान मरु विकास मण्डल को क्या क्या कार्य सौंपे गये हैं ?

(2) योजनाओं और कार्य को पूरा करने के लिये क्या वित्तीय प्रावधान किया गया है ?

(3) मण्डल ने अब तक क्या कार्य किये हैं ?

(4) इस मंडल में कौन कौन सदस्य हैं और वे किस आधार पर लिये गये हैं ?

उत्तर

(1) मण्डल मरु क्षेत्रों के विकास के लिये नीति सम्बन्धी दिशा का निर्देश देगा और मरु स्थल विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन का समय-समय पर पुनर्विलोकन करता रहेगा ।

(2) कोई वित्तीय प्रावधान नहीं है ।

(3) मण्डल की प्रथम बैठक अब होगी ।

(4) सूची संलग्न है । मरु क्षेत्र के समस्त लोक सभा सदस्य एवं विधेयक इस मण्डल में मनोनीत किये गये हैं । इनके अतिरिक्त विशेषज्ञों को भी इस मण्डल का सदस्य बनाया गया है ।

(सूची प्राप्त नहीं हुई)

गंगानगर जिले में 21-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला स्तर कमेटी का निर्माण

609. श्री **केदारनाथ** (गंगानगर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

गंगानगर जिले में 21-सूत्री कार्यक्रम को अमल में लाने के लिये जिला स्तर कमेटी का निर्माण कब हुआ ? कमेटी की आज तक कितनी बैठकें हुई और क्या निर्णय लिये गये ?

उत्तर

गंगानगर जिले में 21-सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय समिति का गठन दिनांक 1-12-75 को किया गया ।

आज तक कमेटी की चार बैठकें हो चुकी हैं जिनका कार्य विवरण संलग्न है ।

(कार्य विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

कोटपूतली तहसील में चोरी के मुकदमें

612. श्री **सुरेशचन्द्र शर्मा** (कोटपूतली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

कोटपूतली तहसील में जनवरी;

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)
1975 से अब तक कितने चोरी के मुकद्दमें दर्ज हुये हैं और इनमें से कितनों में माल बरामद हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

तहसील कोटपूतली में सन् 1975 से अब तक (माह फरवरी, 1976) चोरी के कुल 205 मुकद्दमात दर्ज हुए हैं । वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

मालपुरा चिलिंग प्लान्ट

333. **श्री अजीतसिंह** (टोंक) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) टोंक जिला में मालपुरा चिलिंग प्लान्ट कब से कार्य शुरू करेगा ?

(2) चिलिंग प्लान्ट की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए क्या इस वर्ष डेयरी स्कीम लागू कर दी जावेगी ?

(3) क्या टोंक जिले में दूध उत्पादन संघ द्वारा दूध उत्पादक समितियां बनाने हेतु नियम बन चुके हैं ? यदि हां, तो बाईलाज की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) चिलिंग प्लान्ट, मालपुरा का कार्य वित्तीय वर्ष 1976–77 में चालू हो जावेगा ।

(2) डेयरी स्कीम वित्तीय वर्ष 1976-77 में लागू कर दी जावेगी ।

(3) राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम द्वारा जिले में दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियां बनाने हेतु उपनियम बना लिये गये हैं । बाईलाज की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(प्रतिलिपि विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

प्रधानाध्यापक प्रवेशिका और उपाध्याय के वेतनमानों में असंगति

334. **श्री हनुमानसहाय व्यास** (बैराठ) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि देवपुरा समिति ने प्रधानाध्यापक प्रवेशिका और उपाध्याय विद्यालय के वेतनमानों की असंगति के निराकरण की सिफारिश की है ? यदि हां, तो क्या ? सिफारिश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि इस असमानता को समाप्त करने में 10 हजार रुपये से अधिक मासिक व्यय नहीं आता ? यदि हां, तो इस सिफारिश पर अमल करने पर सरकार क्या विचार रखती है और वह कब तक स्वीकार कर ली जावेगी ?

उत्तर

(1) देवपुरा समिति की अंतिम रिपोर्ट राज्य सरकार को अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

(2) जी नहीं ।

शिक्षा मंत्री का लाडनूं का दौरा

335. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 1-7-75 को या उसके बाद माननीय शिक्षा मंत्री लाडनूं में दौरे पर पधारे थे ? यदि हां, तो किन किन शिक्षण संस्थाओं में प्रोग्राम था एवं किन किन संस्थाओं में तारीख 1-7-75 के बाद लाडनूं शहर में किस किस काम से किस किस के निमन्त्रण पर पधारे ?

(2) क्या यह सही है कि श्री जे. बी. हायर सैकन्डरी स्कूल लाडनूं में भी पधारे थे ? यदि हां, तो किस तारीख को व किस के निमन्त्रण पर तथा किस मकसद से ?

(3) श्री जे. बी. हायर सैकन्डरी स्कूल लाडनूं के प्रधानाध्यापक एवं केशियर कौन कौन है एवं कब कब से हैं ?

उत्तर

(1) जी हां, व्यवस्थापक, जे. बी. उ० मा० वि० लाडनूं के अनुरोध पर शिक्षा मंत्री महोदय दिनांक 28-9-75 को उनके विद्यालय में पधारे थे ।

(2) जी हां। दिनांक 28-9-75 को। व्यवस्थापक के अनुरोध पर ।

(3) श्री पूनम चन्द 1-11-75 से प्रधानाध्यापक व श्री गोपाल जुलाई 1974 से केशियर के पद पर कार्यरत है।

शिक्षा निरीक्षक जयपुर द्वारा अध्यापक की नियुक्ति

336. **श्री हनुमान सहाय व्यास** (बैराठ) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि वर्ष 1974-75 में शिक्षा निरीक्षक (द्वितीय जयपुर) की नियुक्ति की गई थी ? यदि हां, तो कब और कब तक सेवा में रखा गया तथा राज्य सेवा से कब पृथक् किया गया और क्यों तथा पुनः कब नियुक्ति दी गई और नहीं दी गई तो क्यों नहीं तथा किन नियमों एवं कानून के अन्तर्गत ?

(2) क्या यह सच है कि राज्य सरकार द्वारा सन् 1973 में सेवा नियमों में कुछ संशोधन करके आयु सम्बन्धी छूट दी गई है ? यदि हां, तो इन संशोधित नियमों के तहत नियुक्ति नहीं दिये जाने का दोष किस अधिकारी का है ?

उत्तर

(1) जी हां । श्री भागीरथ प्रसाद को दिनांक 18-2-75 को नियुक्ति दी गई। इन्हें 15-5-75 अर्थात् सत्र के अन्तिम दिन तक रखा गया। 4 माह से कम सेवा वाले अध्यापकों को निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के स्थाई आदेश 7/73 (संशोधित) के तहत सेवा मुक्त किया गया था ।

(2) इन्हें पुनः नियुक्ति 26-3-76 को दी गई है ।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय अनुदान

337. **श्री अमृतलाल गहलोत** (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि राजस्थान में कई राजकीय अनुदान प्राप्त उच्चतर

(श्री अमृतलाल गहलोत)
माध्यमिक विद्यालय हैं जिन्हें दसवीं कक्षा तक के व्यय का 80 पर्सेन्ट एवं ग्यारहवीं कक्षा के व्यय का 50 प्रतिशत अनुदान स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो इनकी पूर्ण सूची मय नाम के सदन के पटल पर रखें ।

(2) क्या यह सत्य है कि यदि उपरोक्त विद्यालय केवल दसवीं कक्षा तक ही शिक्षा देवें और छात्रों की संख्या इस समय दसवीं कक्षा तक है उतनी ही रहे तो उन्हें वर्तमान में ग्यारहवीं कक्षा तक के व्यय की दी जाने वाली अनुदान राशि से अधिक धनराशि अनुदान के रूप में दी जायेगी क्योंकि माध्यमिक से उच्चतर माध्यमिक क्रमोन्नत होने पर पाठशाला पर होने वाला व्यय लगभग ड्योढ़ा हो जाता है परन्तु अनुदान राशि पहिले से कम दी जाती है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(3) क्या यह उचित है कि उपरोक्त विद्यालयों को, यदि वे दसवीं तक ही शिक्षा देवें और छात्रों की संख्या इस समय दसवीं कक्षा तक है उतनी ही रहे, उस व्यय का 80 प्रतिशत एवं ग्यारहवीं कक्षा के लिए किये गये अतिरिक्त व्यय का 50 प्रतिशत मिलाकर अनुदान देना चाहिये ? यदि हां, तो उन्हें भूतकाल में इससे कम दिया गया अनुदान कब तक दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) कुछ अनुदान प्राप्त संस्थाओं के मामलों में सही हो सकता है ।

(3) जी नहीं । इस प्रश्न को संस्थावार जांचना होगा ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

शिक्षा सेवा अधिनियम, 1970 की अनुसूची में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की अर्हताएं

338. **श्री गौरीशंकर** (खानपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) शिक्षा विभाग में कतिपय पदों के लिए निम्न पद से शत-प्रतिशत केवल पदोन्नत द्वारा ही नियोजन का प्रावधान है तथापि निम्न पद हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हताओं की अपवंचना (evade) करते हुए उन्हें उच्चतर पद के लिए भिन्न अर्हताएं विहित की गई है ? क्या ऐसी व्यवस्था कर सकना किसी भी कारण से संभाव्य है ? क्या उच्चतर पद की अर्हताओं में पूर्ववर्ती निम्न पद की न्यूनतम अर्हता समाविष्ट नहीं होनी चाहिए ?

(2) यदि हां, तो शिक्षा सेवा अधिनियम, 1970 की अनुसूची (शिड्यूल) के जो वर्ग (ग्रुप) में पद क्रमांक 2 में वाइस-प्रिन्सिपल, शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की अर्हताओं में निम्न पद की न्यूनतम अर्हताएं समाविष्ट न करने का क्या कारण है ?

(3) क्या वाइस-प्रिन्सिपल, शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय के पद हेतु राजस्थान शिक्षा सेवा अधिनियम, 1970 में एतदर्थ भिन्न अर्हताओं के बिन्दु पर राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय के प्राध्यापक वर्ग ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है ?

(श्री गौरीशंकर)

(4) यदि हां, तो कितने समय से तथा सरकार ने इसका क्या उत्तर दिया है ?

(5) यदि क्रमांक 1 का उत्तर हां है तो राजस्थान शिक्षा सेवा अधिनियम, 1970 की एतदर्थ अंकित भिन्न अर्हताओं के आधार पर कितने व्यक्तियों को अनियमित लाभ पहुंचाया गया है ?

(6) क्या इन अर्हताओं से अनियमित पदोन्नत व्यक्तियों की ओर राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय के प्राध्यापकों ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है ?

(7) यदि हां, तो कितने समय से तथा सरकार ने क्या उत्तर दिया है ?

(8) क्या वाइस-प्रिन्सिपल, शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय के पद पर वर्तमान आसीन व्यक्ति की पदोन्नति इन्हीं योग्यता के आधार पर की गई है ?

(9) क्या वाइस-प्रिन्सिपल, शारीरिक शिक्षा के पद पर वर्तमान आसीन व्यक्ति की पदोन्नति पर शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय के प्राध्यापक वर्ग ने अर्हताओं के आधार पर ध्यान आकर्षित किया है ?

(10) यदि हां, तो कितने समय से तथा सरकार ने क्या उत्तर दिया है ?

(11) इस अनियमितता को बनाए रखने में कौन कौन दोषी हैं ?

(12) इस अनियमितता से अनियमित पदोन्नत व्यक्तियों को कितना अतिरिक्त आर्थिक लाभ पहुंचाया गया है तथा नियमित व्यक्तियों को कितनी आर्थिक हानि हुई है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि शिक्षा विभाग में कतिपय पदों के लिए शत-प्रतिशत केवल पदोन्नति द्वारा ही नियोजन का प्रावधान है। ऐसे पदों की सूची संलग्न है। इस सूची में पदों हेतु निर्धारित योग्यता आदि तथा निम्न पदों का जिनसे पदोन्नति की जाती है, का उल्लेख भी कर दिया गया है। सूची के देखने से प्रतीत होता है कि शिक्षा सेवा के कई पदों हेतु पदोन्नति के लिए योग्यता निम्न पद की योग्यता से ऊंची रखी गई है। ऐसे उच्च पदों की गरिमा जिम्मेदारी आदि को दृष्टिगोचर रखते हुए किया गया है। उच्च पदों की अर्हताओं में पूर्ववर्ती निम्न पदों की न्यूनतम अर्हताएं तो सामान्यतया समाविष्ट होती है क्योंकि उच्च पद की अर्हताएं निम्न पद की अर्हताओं से उच्च ही होती हैं।

(2) इसका उत्तर प्रश्न के उत्तर संख्या (1) में समाविष्ट है।

(3) राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय के प्राध्यापक वर्ग के श्री प्रेमशंकर गुप्ता, वरिष्ठ व्याख्याता, शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय द्वारा सरकार का ध्यान इस सम्बन्ध में आकर्षित किया गया था।

(4) राज्य सरकार ने अपने पत्र क्रमांक एफ० 2 (II) शिक्षा।ग्रुप-2।74, दिनांक 17-10-74 से उक्त श्री गुप्ता का पत्र निदेशालय को टिप्पणी हेतु प्रेषित किया गया। श्री गुप्ता को निदेशालय द्वारा लिखा गया कि वे अपने प्रस्ताव प्रधानाचार्य शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय के माध्यम से भेजें ताकि उन पर उचित विचार कर राज्य सरकार को नियमों में संशोधन हेतु, अन्य

(शिक्षा मंत्री)

संशोधनों के साथ प्रस्ताव भेजे जा सकें। परन्तु श्री गुप्ता की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।

(5) किसी व्यक्ति को अनियमित लाभ नहीं पहुंचाया गया है।

(6) सारी पदोन्नतिया नियमान्तर्गत ही की गई हैं अतः अनियमित पदोन्नति दिए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(7) इसका उत्तर प्रश्न (6) के उत्तर में समाविष्ट है।

(8) हां।

(9) वर्तमान उप-प्रधानाचार्या, श्रीमती शान्ति मेहता की पदोन्नति के संदर्भ में सर्वश्री प्रमाशंकर गुप्ता, टी० एन० भार्गव एवं सम्पतलाल भार्गव द्वारा आपत्ति-पत्र प्रस्तुत किये गये थे। इन आपत्ति-पत्रों को निदेशालय के पत्र क्रमांक शिविरा। संस्थापना।ए 6355।68-69।270, दि० 18-6-75 के अन्तर्गत शिक्षा आयुक्त महोदय को निर्णयार्थ अग्रेषित कर दिया गया।

(10) राज्य सरकार द्वारा उक्त आपत्तिकर्ताओं को क्या उत्तर भेजा गया इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(11) कोई अनियमितता नहीं हुई है।

(12) चूंकि कोई अनियमितता नहीं हुई है अतः किसी को हानि अथवा अनियमित लाभ का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

सीधी भर्ती में आरक्षण

339. **श्री सुन्दर लाल** (सूरजगढ़): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने सेवा में पदोन्नति में रिजर्वेशन का प्रावधान किया है किन्तु जहां सीधी भर्ती 50 प्रतिशत से ज्यादा हो वहां यह रिजर्वेशन लागू नहीं होता? यदि हां, तो क्यों जब कि कुल मिलाकर हर दशा में रिजर्वेशन 28 प्रतिशत ही रहता है?

(2) किन किन सेवा नियमों में 50 प्रतिशत से अधिक सीधी भर्ती में आरक्षण का प्रावधान है? क्या राज्य सरकार उन प्रावधानों को ठीक कराने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) अब तक जो हानि पदोन्नति न होने से हुई है क्या राज्य सरकार उसकी क्षति पूर्ति के लिए भी प्रावधान रखेगी?

उत्तर

(1) जी हां। लागू नहीं होता क्योंकि आरक्षण (रिजर्वेशन) का यह प्रावधान भारत सरकार के नियमों के अनुरूप किया गया है।

(2) जिन सेवा नियमों में 50 प्रतिशत से अधिक सीधी भर्ती का प्रावधान है उनकी सूची संलग्न है परन्तु पदोन्नति में आरक्षण केवल उन्हीं पदों र लागू किया गया है जिन पर सीधी भर्ती 50 प्रतिशत अथवा इससे कम होती है। प्रावधान ठीक है और किसी प्रकार के संशोधन का प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

झालरापाटन के चन्द्रभागा मेले में तीर का लाइसेन्स

340. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झालरापाटन में गत वर्ष सन् 1975 में चन्द्रभागा मेले में शूटिंग, जिसमें तीर फेंका जाता है और पैसे लिये जाते हैं, का लाइसेंस दिया गया था ? यदि हां, तो किन किन व्यक्तियों को दिया गया ?

(2) क्या यह सही है कि तीर न लगने पर पैसे वह दुकान वाला ले लेता है ? यदि हां, तो क्या यह जूए की परिभाषा में नहीं आता है ? यदि आता है, तो लाइसेन्स क्यों दिया गया ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं। कोई लाइसेन्स नहीं दिया गया ।

राज्य सचिवालय के फर्राश एवं स्वीपर का वेतन

341. **श्री चुन्नीलाल इंदलिया** (नोखा) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि राजस्थान राज्य सचिवालय में फर्राश एवं स्वीपर का कार्य करने वाले व्यक्तियों को डेली वेजेज पर रखा हुआ है ? यदि हां, तो ऐसे कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और उनको कितना रुपया प्रति माह चुकाया जा रहा है ?

(2) क्या यह भी सच है कि उक्त वेतन नियमों के अनुसार नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) डेली वेजेज पर 14 व्यक्ति फर्राश एवं 21 व्यक्ति हरिजन का कार्य कर रहे हैं । उनको प्रति दिन के लिये 3.85 पैसे की दर से भुगतान किया जाता है ।

(2) जी नहीं । दैनिक श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत श्रम विभाग द्वारा दरें स्वीकृत है लेकिन वह आदेश सचिवालय पर लागू नहीं है । सचिवालय में कार्यरत दैनिक भत्ते वाले मजदूरों का कार्य समय अन्य मजदूरों के समय से कम है एवं इनसे लिये जाने वाले कार्य को देखते हुये रु० 3.85 पैसे प्रति दिन की दर से मजदूरी के दिये जा रहे हैं।

मैसर्स मान इण्डस्ट्रीयल कार्पोरेशन लि० एवं मैसर्स स्ट्रक्चरल लि०, जयपुर

342. **श्री केशरीमल** (ब्यावर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मैसर्स मान इन्डस्ट्रीयल कार्पोरेशन लि०, जयपुर एवं मैसर्स मान स्ट्रक्चरल लि०, जयपुर का हिस्सा पूंजी में 33% (15 लाख रु०) की राज्य सरकार की भागीदारी है ? यदि हां, तो क्या कभी राज्य सरकार को इस उद्योग से लाभ मिला है अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार को जानकारी है कि उपरोक्त कम्पनी के प्रबन्धकों राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात के विद्युत बोर्ड

Page No 36

(36)

(श्री केशरीमल)

का इस्पात (लोहा) तथा जिन्क बेच डाला है तथा उनके स्टाक में नहीं है और इस सारे इस्पात का बाजार मूल्य लगभग 85 लाख रुपया है तथा राज्य वित्त निगम का 10.5 लाख का कर्ज भी है ? यदि हां, तो राज्य सरकार के दो मनोनीत निदेशक होने के बाद कम्पनी की आर्थिक स्थिति खराब हुई तो राज्य सरकार प्रबन्धक मंडल के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

(3) क्या यह सही है कि मैसर्स मान इन्डस्ट्रीयल का० लि०, जयपुर तथा मैसर्स मान स्ट्रक्चरल लि०, जयपुर के द्वारा निम्नलिखित मदों पर सरकारी खजाने में पैसा न जमा कराने के आरोप हैं:—

1. कर्मचारी भविष्य निधि;
2. अनिवार्य बचत कानून के तहत;
3. सी. टी. डी. अकाउन्ट्स (पोस्ट आफिस);
4. जीवन बीमा निगम द्वारा जारी (S.C.S.) के तहत जारी जीवन बीमा पालिसियां;
5. ई. एस. आई. का पैसा।

यदि हां, तो कुल रकम कितनी है ? मदवार सूची पेश करायें। उसकी वसूली के लिये राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) मान इन्डस्ट्रीयल कार्पोरेशन लि० (दिनांक 31-3-75 को) राज्य सरकार का 15.00 लाख रुपये का विनियोजन (10 लाख के प्रिफरेन्स शेयर्स व 5 लाख रुपये इक्वीटी शेयर्स के रूप में) है जो कम्पनी की कुल पेड-अप केपीटल 40 लाख रुपये का 37 1|2 प्रतिशत है। मान स्ट्रक्चरल लि० में राज्य सरकार की कोई हिस्सा पूंजी विनियोजित नहीं है।

(2) राज्य सरकार को अभी तक मान इण्डस्ट्रीयल कार्पोरेशन से लाभांश के रु० 7,42,316.25 प्राप्त हुये हैं। 1-4-66 के पश्चात् कम्पनी द्वारा लाभांश घोषित नहीं किया गया है। यह सही नहीं है। प्रश्न नहीं उठता। फिर भी मान स्ट्रक्चरल लि० में राजकीय संचालकों के सुप्रयास से 1971 में प्रबन्ध व्यवस्था में परिवर्तन किया गया नव प्रबन्ध व्यवस्था, यदि इस्पात उद्योग की सामान्य स्थिति में राष्ट्रीय स्तर पर अवहास (डिटिरियोरेशन) नहीं होता तो कम्पनी की दशा में सुधार ले आती।

(3) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। संबंधित विभाग इस विषय में आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं। कुछ मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

मैसर्स मान इन्डस्ट्रीयल कार्पोरेशन लि० तथा मैसर्स मान स्ट्रक्चरल लि०, जयपुर के व्यवस्थापकों के विरुद्ध मुकदमें

343. श्री केशरीमल (ब्यावर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

मैसर्स मान इन्डस्ट्रीयल कार्पोरेशन लि०, जयपुर तथा मैसर्स मान स्ट्रक्चरल लि०, जयपुर के व्यवस्थापकों के विरुद्ध रीजनल प्राविडेन्ट फन्ड कमिश्नर द्वारा चलाये

Page No 37

(37)

(श्री केशरीमल)
गये फौजदारी के मुकदमों में जारी किये गये सम्मन व वारन्टों की तामील कराने में सदर थाना, गांधीनगर व माणक चौक थानों के अधिकारियों द्वारा जानबूझ कर क्यों देरी की जा रही है और सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

कोई देरी नहीं की जा रही है।

रामगढ़ी (जयपुर) के आरक्षी केन्द्र में पानी की सप्लाई

344. **श्री अजीतसिंह (टौंक) :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जयपुर में रामगढ़ी में विशेष आरक्षी केन्द्र में पानी सप्लाई हेतु कुए का निर्माण किया गया था ? यदि हां, तो कब और इस पर कितना व्यय हुआ ?

(2) कुए से पानी सप्लाई करने हेतु क्या मोटर व नल वगैरह की खरीद की गई ? यदि हां, तो इन पर कितना खर्चा हुआ ?

(3) क्या आज इस कुए से पानी आरक्षी केन्द्र पर पहुंच रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। सन् 1970-71 में कुए का निर्माण कराया गया जिस पर 1,080) रु० का व्यय हुआ।

(2) जी हां। कुए से पानी सप्लाई करने हेतु एक मोटर पम्प व 9 पाइप खरीद करने पर 2,955) रुपये खर्च किये गये।

(3) जी नहीं। कुए को केवल पानी मिलने तक ही खोदा गया था और पानी मिलते ही उसका चीफ पब्लिक एनालिस्ट, राजस्थान, जयपुर से परीक्षण कराया गया। परीक्षण उपरान्त पानी पीने योग्य नहीं पाये जाने पर कुए को गहरा किये जाने का कार्य बन्द कर दिया गया।

टौंक में हस्तशिल्प के विकास की योजना

345. **श्री अजीतसिंह (टौंक) :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) टौंक जिले में हस्तशिल्प के कच्चे माल, भण्डार एवं डिजाइन विकास केन्द्र की क्या योजना है ?

(2) टौंक शहर में गलीचा, नमदा व रेजी रेवा पर छपाई के विकास हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(3) क्या टौंक जिले में राजस्थान हाथकर्घा प्रोजेक्ट बोर्ड द्वारा बुनकरों को ट्रेनिंग दिलाने, उनके लिये सूत, पूंजी की व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो किस प्रकार ?

उत्तर

(1) टौंक जिले में हस्तशिल्प के विकास हेतु अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड द्वारा कारपेट वीविंग ट्रेनिंग सेन्टर चलाया जा रहा है। हस्तकला सम्बन्धित कच्चा माल बाजार में सुगमता से उपलब्ध है। अतः वर्तमान में कोई विशेष भण्डार टौंक जिले में खोलने की योजना नहीं है।

(2) गलीचा एवं नमदा के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा मार्केटिंग सुविधा प्रदान की जा रही है।

[redacted]

38

(उद्योग मंत्री)
रेजी तथा रेवा की छपाई के विकास की अभी कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

(3) जिलेवार योजना तैयार नहीं हुई है । पूरे राज्य के लिए योजना तैयार की जा रही है जिसकी विशेषताएं निम्न हैं:—

1. पुराने करघों का परिवर्तन, नये करघों की खरीद तथा आधुनिकरण के लिए ऋण व अनुदान का प्रावधान किया जाना ।

2. बुनकरों के लिए कार्यशील पूंजी का प्रावधान ।

3. बैंक द्वारा बुनकरों को दिये जाने वाले ऋण को ब्याज-पत्र पर अनुदान ।

4. बुनकरों को प्रशिक्षण ।

5. नई डिजाइन और नयी प्रक्रियाओं के विकास हेतु केन्द्र की स्थापना ।

6. सामूहिक सघन कार्यक्रम स्थानों पर बुनाई के पूर्व तथा बाद की प्रक्रियाओं के लिए अनुदान का प्रावधान ।

7. बिक्री हेतु सहायता:—9 हजार हाथकरघों के लिए सघन योजना बनाई गयी है जिस पर लगभग 1 करोड़ 38 लाख रुपये खर्च होंगे । हाथकरघा निर्यात प्रोत्साहन के क्रम में 1 हजार करघों का समावेश किया गया है, जिस पर लगभग 38 लाख रुपये खर्च होने की संभावना है ।

सेवा निवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा ज्ञापन

346. **श्री रणजीतसिंह** (ओसियां) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में सन् 1975-76 में किस किस विभाग के किन किन अधिकारियों/कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किया गया ?

(2) किन किन अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में विभागाध्यक्ष स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अनिवार्य सेवा निवृत्ति के लिए सिफारिश करने के उपरान्त भी राज्य सरकार द्वारा सेवा निवृत्त के आदेश नहीं निकाले गये ?

(3) कितने सेवा निवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों ने ऐसे निवृत्ति आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार को ज्ञापन दिया है ?

(4) ऐसे ज्ञापनों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई और किस प्रकार ?

(स्थगित किया गया)

विभिन्न संस्थानों में गैर-सरकारी व्यक्तियों की नियुक्ति

347. **श्री रणजीत सिंह** (ओसियां) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) 1 अप्रेल, सन् 1974 से लेकर अब तक राज्य के विभिन्न संस्थानों, आयोगों, समितियों, मण्डलों, निगमों आदि में किन किन गैर-सरकारी व्यक्तियों को कब कब से नियुक्त या मनोनीत किया गया ?

(2) ऐसे नियुक्त सदस्यों की क्या क्या योग्यता है और इनको ऐसी नियुक्ति या मनोनयन के कारण वेतन, भत्ता व अन्य प्रकार की क्या क्या सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं ?

(स्थगित किया गया)

भू-सीलिंग में प्राप्त भूमि का आवंटन

348. **श्री शंकर लाल** (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

पाली तहसील से भू-सीलिंग के तहत कितनी भूमि पर सरकार द्वारा किन किन गांवों में कब्जा कर लिया गया है और कितनी भूमि किन किन गांवों में आवंटित कर दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

पाली तहसील में भू-सीलिंग के तहत 14,840 बीघा भूमि पर सरकार द्वारा कब्जा कर लिया गया है जिसमें से 1,698)4 बीघा भूमि आवंटित कर दी गई है । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

भू. पू. जागीरदार, भगतपुरा (सीकर) द्वारा तहसील रायसिंहनगर में भूमि बेचने की अनुमति

349. **श्री गोरधनसिंह** (सीकर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भूतपूर्व जागीरदार, श्री भंवर सिंह पुत्र लालसिंह, निवासी भगतपुरा (सीकर) को चक नं० 7 पी० टी० डी० के अन्तर्गत तहसील रायसिंहनगर में खुदकाश्त के लिए कितनी भूमि कौनसी साल में अलाट हुई थी ?

(2) उपरोक्त जमीन की ग्राम्ट की सारी किश्तें क्या उपरोक्त भूतपूर्व जागीदार ने जमा करवा दी है ?

(3) क्या उपरोक्त जागीरदार को उपरोक्त भूमि का खातेदार घोषित कर दिया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) क्या उपरोक्त जागीरदार ने कोई दरख्वास्त अपनी इस भूमि को बेचने की अनुमति के लिए दे रखी है ? यदि हां, तो कब ?

(5) क्या उपरोक्त जागीरदार को अपनी इस भूमि को बेचने के लिए कोलोनाइजेशन अधिकारियों द्वारा अनुमति दे दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

बीकानेर जिले में अनुसूचित जाति के काश्तकारों की भूमि पर अन्य व्यक्तियों का कब्जा

350. **श्री पन्नीलाल डूडलिया** (नोखा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि बीकानेर जिले के अनुसूचित जाति के काश्तकारों की खातेदारी भूमि पर अन्य जाति के व्यक्तियों ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है ? अगर हां, तो कृपया ऐसे जबरदस्ती कब्जा किए हुए व्यक्तियों के नाम, वल्दियत एवं ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखी जाय ।

उत्तर

यह सही नहीं है कि बीकानेर जिले में अनुसूचित जाति के काश्तकारों की खातेदारी भूमि पर अन्य जाति के व्यक्तियों ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है ।

Page No 40

(५०)

अध्यापकों के स्थानान्तरण

351. **श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** (गंगापुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि आपने यह घोषणा की थी कि 30 नवम्बर, 75 के पश्चात् अध्यापकों के साधारणतया स्थानान्तरण नहीं किये जायेंगे और केवल विशेष परिस्थितियों में ही राज्य सरकार के आदेश से किये जायेंगे ?

(2) जिला सवाई माधोपुर में 30 नवम्बर, 75 के पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी एवम् वरिष्ठ उप-निरीक्षक, सवाई माधोपुर के द्वारा कितने तबादले किये गये हैं ?

(3) क्या उक्त तबादले राज्य सरकार के आदेश से किये हैं या अधिकारियों ने अपने आप किये हैं ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि कुछ अध्यापकों के तबादले 3–4 माह में 2–3 बार किये गये हैं ? अगर हां, तो क्यों और इन अध्यापकों के नाम बताने की कृपा करें ?

(5) क्या राज्य सरकार के ऐसे स्पष्ट आदेश हैं कि 2 वर्ष पूर्व किसी भी अध्यापक का तबादला राज्य सरकार की अनुमति के बगैर नहीं किया जाना चाहिये एवम् विशेष परिस्थिति में ही किया जाना चाहिये, अगर हां, तो प्रधान अध्यापक, मिडिल स्कूल, श्री राजमल जैन, वेहतेड़, जिला सवाई माधोपुर एवम् श्री सुरेश चन्द शर्मा, मलारणा चौड़ का तबादला क्यों किया ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जिला शिक्षा अधिकारी, करौली द्वारा 30 नवम्बर, 75 के पश्चात् द्वितीय श्रृंखला के 12 तथा तृतीय श्रृंखला के 16 स्थानान्तरण किये गये हैं ।

(3) उक्त तबादलों में से आठ पारस्परिक, 10 प्रशासनिक तथा 10 उच्चाधिकारियों के आदेश से किये गये हैं ।

(4) जिला शिक्षा अधिकारी, करौली के कार्यालय द्वारा इस प्रकार के कोई तबादले नहीं किये गये हैं ।

(5) प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरण किए गये ।

सहकारी समितियों के नाम की खातेदारी पर सरचार्ज

352. **श्री शंकरलाल** (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सहकारी समितियों के नाम की खातेदारी पर सरचार्ज वसूल नहीं करने का सरकारी आदेश है ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

जी हां । आदेश की प्रति संलग्न है

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ठ 10 देखिये)

आर० सी० पी०, सूरतगढ़ में भूमि का मामला

353. **श्री अमृतलाल गहलोत** (सरदारपुरा, जोधपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भारत सरकार के पुनर्वास विभाग के सेटलमेंट आफिसर कार्यालय, श्रीगंगानगर के दिनांक 24 सितम्बर, 1975 के आदेशानुसार श्री चंदनगीर, पुत्र श्री देवगीर को गांव उदयपुर गोपाराम व गोपानगर में 78 बीघा जमीन, तलवाड़ा में एलाट की गई भूमि के एवज में एलाट की गई थी और तहसीलदार, आर० सी० पी०, सूरतगढ़ को उपरोक्त जमीन का कब्जा श्री बूलसिंह से वापिस लेकर उक्त श्री चंदनगीर को देने के आदेश दिये गये थे ?

(2) क्या यह सही है कि तहसीलदार, आर० सी० पी०, सूरतगढ़ को कई बार प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर भी चंदनगीर को उक्त भूमि का कब्जा नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों और अब कब्जा कब तक दे दिया जायेगा ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 12-3-67)

मुस्लिम अल्प संख्यकों का राजकीय सेवाओं में प्रतिशत

6. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान में मुस्लिम अल्प संख्यकों की कितनी जनसंख्या है ? यह राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है ?

(2) राज्य की फर्स्ट क्लास, सैकण्ड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास सर्विसेज में उनकी अलग अलग संख्या कितनी कितनी है ? इन सर्विसेज में कुल कितने कितने लोग कार्यरत हैं और इनमें मुस्लिम अल्प संख्यकों की तादाद कितने प्रतिशत है ?

(3) क्या पुलिस में मुस्लिम अल्प संख्यकों की भर्ती करने में राज्य सरकार ने कोई रोक लगाई हुई है ? यदि नहीं, तो गत 5 वर्षों में पुलिस विभाग की विभिन्न श्रेणीयों में कितने कितने लोग भर्ती किये गये हैं ? और उसमें मुस्लिम अल्प संख्यकों का प्रतिशत कितना कितना है ? कृपया सूची विवरण सहित देने का कष्ट करें।

(4) क्या राज्य सरकार मुस्लिम अल्प संख्यकों के लिये राज्य सेवाओं में कोई न्यूनतम कोटा निर्धारित करने पर विचार करेगी ?

उत्तर

(1) वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार राजस्थान प्रदेश में मुस्लिम अल्प संख्यकों की जनसंख्या 17,78,275 है जो कि कुल जनसंख्या का 6.9 पर्सेन्ट है।

(2) अब तक एकत्रित सूचना के आधार पर राज्य की फर्स्ट क्लास, सैकण्ड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास सर्विसेज में मस्लिम अल्प संख्यकों सहित कुल

Page No 42

(४२)

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

कर्मचारियों की संख्या की सूचना निम्न प्रकार है:—

श्रेणी	कुल कार्यरत कर्मचारी	मुस्लिम कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत में
1	2	3	4
1	3527	64	1.81
2	52271	4025	7.70
3	27451	1285	4.68
4	15402	1166	7.57

(3) जी नहीं। गत पांच वर्षों में पुलिस विभाग की विभिन्न श्रेणियों में मुस्लिम अल्प संख्यकों सहित भर्ती किये गये कुल कर्मचारियों की सूचना निम्न प्रकार है:—

क्र. सं.	विगत पांच वर्षों में नई कुल भर्ती	विगत पांच वर्षों में अल्प संख्यकों की संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4
1	23	1	4.35
2	7094	557	7.85
3	156	7	4.49
4	245	13	5.30

(4) ऐसा कोई मामला राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 12-3-76)

श्री गंगानगर के भूमिहीनों को राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि

17. **श्री गुरदयाल सिंह संधु** (करणपुर): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान नहर क्षेत्र में आज तक कितने भूमिहीनों को कितनी भूमि बांटी गई ? इसमें से जिला श्री गंगानगर के भूमिहीनों को कितनी तथा श्रीगंगानगर के बाहर के भूमिहीनों को कितनी कितनी भूमि दी गई ?

(2) क्या सरकार जितनी भूमि श्रीगंगानगर के बाहर के भूमिहीन लोगों को दी है उतनी ही भूमि श्रीगंगानगर के भूमिहीन निवासियों को दूसरे जिलों में देने के लिये तैयार है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान नहर क्षेत्र में फरवरी, 76 तक 39,183 भूमिहीनों को 5,12,087 एकड़ भूमि स्थाई रूप से आवंटित की गई है।

(उपनिवेशन मंत्री)
इसमें से जिला श्रीगंगानगर के भूमिहीनों को 3,97,317 एकड़ भूमि तथा श्रीगंगानगर से बाहर के भूमिहीनों को 18,192 एकड़ भूमि दी गई है।

(2) यह प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि भूमि का आवंटन उपनिवेशन या राजस्व नियमानुसार किया जाता है और प्राथमिकता के अनुसार भूमिहीन अन्य जिलों में भूमि उपलब्ध होने पर भूमि पा सकते हैं।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 19-3-76)

अनुसूचित जाति तथा जन-जाति के कर्मचारियों की पदोन्नति

75. **श्री हरिकिशन** (राजगढ़) :

श्री रमेशचन्द्र सैनिक (हिण्डोली) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि कार्मिक विभाग (क-5) के आदेश संख्या एफ. (19) कार्मिक (क-5) 74, दिनांक 10 फरवरी, 75 द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि प्रत्येक क्लास/कैटेगरी/ग्रुप के पदों की पदोन्नतियों में 40 पाइन्ट रोस्टर निश्चित किया है ?

(2) उक्त आदेश जारी होने के पश्चात् राजस्थान सरकार के प्रत्येक विभाग में किस किस क्लास/कैटेगरी/ग्रुप में पदोन्नतियों के लिये कितने कितने पद पदोन्नति हेतु उपलब्ध हुए हैं तथा उनमें से अनुसूचित जातियों/जन-जातियों के कितने कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है ?

विभाग का नाम	नाम पद	पदोन्नति तिथि	रोस्टर पाइंट संख्या	पदोन्नत किये गये कर्मचारियों का नाम	अनुसूचित जाति/जन-जाति है अथवा नहीं
1	2	3	4	5	6

(3) क्या सभी विभागों द्वारा सभी प्रकार की पदोन्नतियों में भी रोस्टर रजिस्टर तैयार किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) क्या पदोन्नतियां करते समय मूल वरिष्ठता सूची में से अनुसूचित जाति/जन-जाति के कर्मचारियों की सूची अलग से तैयार की जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 25-3-76)

गांव जीवनदेसर (तहसील पदमपुर) में पंचायत द्वारा ग्रामीणों को भू-खण्ड

197. **श्री गुरदयालसिंह संधु** (करणपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

चक 44 एल०एन०पी० का गांव जीवनदेसर, तहसील पदमपुर पंचायत द्वारा ग्रामीणों को कितने कितने भू-खण्ड पिछले वर्षों में आवंटित किये गये हैं और उनमें कितने ऐसे भू-खण्ड हैं जिन्हें राज्य सरकार ने कृषि भूमि में परिवर्तित करके भूमिहीनों को आवंटित किये हैं जब कि मौके पर मकान बने हुए हैं ? सरकार उन बने हुए मकानों को किस आधार पर उठायेगी जब कि उन

(श्री गुरदयालसिंह संधु)
लोगों ने आबादी भूमि की कीमत दे रखी है और मौके पर मकान बना रखे हैं ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 26-7-67)

स्वतन्त्रता सैनानियों को पेन्शन

214. **श्री मोहरसिंह** (सादुलपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के विभिन्न जिलों में केन्द्र की तरफ से कितने स्वतन्त्रता सैनानियों को पेन्शन मिल रही है तथा राजस्थान सरकार की तरफ से कितनों को और केन्द्र तथा राज्य सरकार दोनों की तरफ से कितनों को और कम से कम कितनी तथा ज्यादा कितनी माहवारी पेन्शन मिल रही है ? सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखें ।

(2) इनमें से आजाद हिन्द फौज के सैनानियों की तादाद कितनी है ? कृपया जिलेवाइज सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) आजाद हिन्द फौजी के तौर पर जेल जाकर आने के पश्चात् राजाशाही जेलों में उनमें से जाने वाले कितने सैनानियों की पेन्शन हुई, कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) उपरोक्त दोनों किस्म के स्वतन्त्रता सैनानियों में से किस जिले में कितने कितने स्वतन्त्रता सैनानियों को कहां कहां, कितनी कितनी असिंचित व सिंचित भूमि कितनी कीमत में, कितनी किश्तों में कीमत चुकाने हेतु मिली है ? कृपया जिलेवाइज सूची सदन की मेज पर रखें ।

(5) कितने स्वतन्त्रता सैनानियों के मामले अभी पेन्शन पाने हेतु विचाराधीन पड़े हैं और उनका कब तक फैसला किया जायेगा ?

(6) जेलों के बाहर सामाजिक व राजनैतिक क्षेत्रों में भयानक कठिनाइयां उठाकर जागृति पैदा करने वाले कार्यकर्त्ताओं को स्वतन्त्रता सैनानियों की श्रेणी में रखने के लिए क्या सरकार विचार कर रही है ? अगर हां, तो कब तक नियमों में इस हेतु परिवर्तन किया जा सकेगा ?

उत्तर

(1) राजस्थान के विभिन्न जिलों में केन्द्र की तरफ से अब तक 969 स्वतन्त्रता सैनानियों एवं उनके आश्रितों को पेन्शन स्वीकृत की गई है तथा राजस्थान सरकार द्वारा 833 व्यक्तियों को पेन्शन स्वीकृत की गई है । केन्द्र तथा राज्य सरकार दोनों की तरफ से विभिन्न जिलों के 59 व्यक्तियों की पेन्शन स्वीकृत की गई है । पेन्शन की राशि कम से कम स्वीकृत की गई वह 20/- रु० और अधिक से अधिक 400/- रु० की है । जिलेवार सूचियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं ।

(2) इनमें से आजाद हिन्द फौज के एवं उनके आश्रितों की संख्या 413 है ।

(3) इस प्रकार की अलग से सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(4) भूमि आवंटन संबंधी 68 व्यक्तियों के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी किये गये हैं । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(मुख्य मंत्री)

(5) राज्य सरकार के विचाराधीन कुल 47 मामले हैं जिनमें से 41 मामलों में संबंधित जिलाधीशों से आवश्यक/वांछित सूचना प्राप्त की गई है। तत्संबंधी आवश्यक सूचना प्राप्त होने पर इन मामलों को उनके गुणावगुण के आधार पर विचार कर यथा: शीघ्र निपटाने की कार्यवाही की जावेगी।

(6) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : उद्योग मंत्री जी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मंत्री, उद्योग) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619ए की उप-धारा (3) के भाग (बी) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड, जयपुर का दशम् वार्षिक प्रतिवेदन एवं 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वर्ष की बेलेंस शीट सदन की मेज पर रखता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

कस्बा भुसावर, जिला भरतपुर में डाक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को खंडित करना

श्री उपाध्यक्ष : श्री नत्थासिंह।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : (राज्य मंत्री, गृह) उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मुझे पूर्ण तथ्यों की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है इसलिए मैं इस संबंध में चाहूंगा कि इस को कल ले लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : कल के लिए डेफर किया जाता है।

आधे घंटे की चर्चा

आनन्द स्वरूप सेठ, भूतपूर्व अध्यापक, लाल बहादुर शास्त्री कालेज की राज्य सरकार द्वारा पुनः नियुक्ति

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय ने 29 तारीख को उठाये गये प्रश्न संख्या 460 के संबंध में आधे घन्टे की चर्चा उठाई है। इस प्रश्न से अनेकों मुद्दे निकलते हैं, उन मुद्दों को मैं सदन के अन्दर प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस प्रश्न का उत्तर देते समय बहुत से आवश्यक मुद्दे जो कि इस प्रश्न से पैदा होते हैं उन मुद्दों को इस सदन से छुपाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, 7-11-75 को राज्य सरकार के द्वारा एक आदेश जारी किया गया। उस आदेश के अनुसार डाक्टर सेठ, जो कि जूलॉजी के प्रोफेसर थे का अपाइन्टमेन्ट लाल बहादुर शास्त्री कालेज के अन्दर वैध मानते हुए उनका अपाइन्टमेन्ट किये जाने के आदेश किये गये और उस आदेश में यह भी कहा गया कि अगर यह अपाइन्ट-मेन्ट नहीं किया गया तो ग्रान्ट इन एड, जो कि लाल बहादुर शास्त्री कालेज को राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है, बन्द कर दी जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद एक आदेश राज्य सरकार द्वारा 12 फरवरी, 1976 को जारी हुआ जिसमें कि राज्य सरकार ने अपने 7-11-75 को जारी किये हुए आदेश को स्थगित कर दिया, स्टे कर दिया और ग्रान्ट इन एड को जारी कर दिया। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार के इस आदेश से, उपाध्यक्ष महोदय, जहां इस पुनीत सदन की

Page No 46

(46)

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

अवहेलना की गयी है, इस पुनीत सदन का अपमान हुआ है वहां जुडीशियरी को भी अपमानित किया गया है । मैं उन सारे तथ्यों की गहराई में नहीं जाऊंगा जो कि इस सदन में लाल बहादुर शास्त्री कालेज के बारे में अनेकों बार उठे हैं और वहां के भ्रष्टाचार की चर्चायें, वहां के प्रतिक्रियावादी लोगों की चर्चायें, वहां पर वनमैन रूल की चर्चायें, वहां पर श्री तिवाड़ीजी के रिश्तेदारों की मैनेजिंग कमेटी की चर्चायें हुईं इन सारे तथ्यों के बारे में मैं विस्तृत रूप से नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि यह तथ्य अनेकों बार सदन में आये हैं, लेकिन दो कमेटियां जो कि इसी सिलसिले में राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त की गयीं उन कमेटीज का रेफरेन्स मैं अवश्य देना चाहूंगा-- एक तो कक्कड़ कमेटी और एक भार्गव कमेटी । एक कमेटी इस संस्था के अपाइन्टमेन्ट्स के प्रश्नों को लेकर और दूसरी कमेटी इस संस्था के जो नियम हैं, जो विधान है जिसका कि रजिस्ट्रेशन काफी वर्षों पहले 1963 के अन्दर किया गया उनके अन्दर भी अमेन्डमेन्ट्स बारे में, टर्म्स आफ रेफरेन्स के बारे में इस कमेटी ने डेलीबरेशन दिये हैं, इस सदन के अन्दर मैं उनको प्रस्तुत करूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर इस प्रश्न के उत्तर के दौरान में माननीय मुख्य मंत्री द्वारा यह कहा गया कि यह कमेटी है जिसके अन्दर कि एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी है, जिसमें जुडीशियल ओपीनियन भी मौजूद है और जिसमें ऐसी एडवान्स एडमिनिस्ट्रेटिव ओपीनियन भी मौजूद है उस कमेटी के निर्णयों को हम किस तरह से गलत मान सकते हैं । कोई जस्टिफिकेशन, मुख्य मंत्रीजी, इस बात का नहीं है । इसलिए जस्टिफिकेशन नहीं है कि चीफ सेक्रेटरी उस कमेटी के सदस्य थे वह उस कमेटी के सदस्य नहीं रहे । उन्होंने बहुत पहले इस्तीफा दे दिया और जितने निर्णय लिये गये उसमें जस्टिस भण्डारी कहीं भी उपस्थित नहीं हैं । उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में कक्कड़ कमेटी की रिपोर्ट के अलावा जो कुछ जुडीशियल प्रोनाउन्समेन्ट हुए हैं मैं समझता हूं वह अपने आपके अन्दर इस कालेज के विरुद्ध बहुत स्ट्रांगरेस्ट्रिक्चर्स हैं । वह प्रोनाउन्समेन्ट भी और कोई नहीं डिस्ट्रिक्ट एण्ड सैशन्स जज के लेवल के व्यक्ति द्वारा दिये गये । मैं उन प्रोनाउन्समेन्ट्स को इस सदन के अन्दर प्रस्तुत करना चाहूंगा ।

"It is quite clear in this case that the period of probation of one year came to an end on 6-7-1971. Further extension came four months after the expiry of the initial period of extension. This is in violation of condition 9 of the agreement and, therefore, cannot be taken note of, and Dr. Anand Swaroop has to be treated as a person confirmed in his appointment. His services also cannot be terminated without following the procedure and except upon the charges of insubordination, neglect of duty, serious mis-conduct or commission of an offence. This has also not been done and, therefore, the order of termination is also in violation of the terms of the agreement and also of the terms of grant-in-aid rules,"

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

यह एक जुडिशियल प्रोनाउन्समेन्ट है जो कि बहुत क्लियर है ।

"I quite agree that the appellant will suffer irreparable and considerable inconvenience, if he is turned out on the street after serving the defendant institution with devotion for two years."

यह डिस्ट्रिक्ट एण्ड सैशन जज ने माना है । कि कोई मिस-कन्डक्ट नहीं है :

"He has served with absolute devotion."

यह डिस्ट्रिक्ट एण्ड सैन्स जज के बहुत क्लियर प्रोनाउन्समेन्ट्स हैं :

"I also agree that the management, acting against the provisions of the rules under which they are obtaining assistance from the Government, are clearly acting against the public policy. The Government allows aid to private institutions by granting them sums of public in the interest of the community at large. It seems quite obvious that the student community cannot be served efficiently and properly unless the teacher has the security of his job. Indeed no Government in India will spend money on private educational institutions unless it is assured itself that the money will be spent properly and for the benefit of the community, where in an educational institution teachers are appointed and dismissed at the whims of the management, the amount of grant-in-aid received by them shall be a sheer waste of public money. But all these considerations, though having considerable weight, cannot entitle the plaintiff to succeed."

अब, उपाध्यक्ष महोदय, डिस्ट्रिक्ट और सैशन्स जज इस आधार के ऊपर कि जो कन्डीशन्स थीं, जिसके ऊपर कि अपॉइन्टमेंट डा० सेठ का हुआ, उनका टोटल उन्होंने वायलेशन किया, यह साबित नहीं कर सके कि उसका कोई मिस-कण्डक्ट था । वे बेस्ट कैंडीडेट्स थे, उनके पास बेस्ट सर्टिफिकेट्स हैं, उसके प्रमाण हैं लेकिन सैशन्स जज के हैंड मजबूत नहीं कर सकते । उन्होंने कहा कि वह डैमेजेज ले सकते हैं । "He is entitled to damage." लेकिन मैं इस सिलसिले में 12 तारीख को आगरा (इलाहाबाद) हाई कोर्ट का एक जजमेंट हुआ है उसका मैं रेफरेंस दूंगा । यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रोफेसर महोदय के केस के समय वह जजमेंट नहीं आया था । लेकिन इसी 12 मार्च का एक जजमेंट बड़ा क्लियर इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया है और अगर यह जजमेंट, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का 12 मार्च, 1976 को आया है; अगर यह जजमेंट सैशन जज की कोर्ट के सामने होता तो क्लियरली सैशन्स जज पनिश करता, सेशन्स जज आर्डर करता इस बात का जैसा कि कक्कड़ ने किया । इलाहाबाद हाई कोर्ट का प्रोनाउन्समेंट इस प्रकार है :

Page No 48

(48)

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

"The Allahabad High Court today quashed an order passed by the District Inspector of Schools, Aligarh, terminating the services of Mr. Om Parkash Palival, a teacher in Gopi Ram Palival Intermediate College, on the grounds that Mr. Palival was not given any opportunity of hearing before the impugned order was passed. Allowing the writ petition of Mr. Palival, Mr. Justice K. N. Singh said that he was of the opinion that the order terminating the services of the petitioner was issued in violation of the principles of natural Justice and, as such, the impugned order was void."

तो उपाध्यक्ष महोदय, यह बात एस्टेब्लिश हो चुकी है और अगर आप चाहें तो मैं डाक्यूमेंट के जरिये इन बातों को एस्टेब्लिश कर दूंगा। मेरे पास सारे डाक्यूमेंट मौजूद हैं। कहीं भी डाक्टर सेठ को हियरिंग का कोई चांस नहीं दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस प्रश्न का सवाल कि यह ला डिपार्टमेंट द्वारा एग्जामिन किया जा रहा है कि यह कक्कड़ कमेटी की रिपोर्ट जो है उसको विटनेसेज लेने का अधिकार था या नहीं था। कक्कड़ कमेटी की रिपोर्ट बहुत स्पष्ट है। कक्कड़ कमेटी की रिपोर्ट में बहुत स्पष्ट कहा गया है इस बात को कि परमानेंट सर्विसेज थी, कोई मिस-कण्डक्ट नहीं था। जहां तक कि मैरिट का क्वैश्चन है 18 कैंडीडेट्स के अन्दर मिस्टर सेठ बेस्ट कैंडीडेट थे और यह जो इन लोगों ने प्रूव करने की कोशिश की कि मिस-कन्डक्ट है। मिस-कण्डक्ट प्रूव करने का सारा का सारा प्रयास फ्लोट हो गया। इस सदन में इस बात को भी कहा गया कि 7 इंस्टीट्यूशन्स के अन्दर इससे पहले मिस्टर सेठ को निकाल दिया गया और कैसे निकाल दिया गया। मैं इस तथ्य को फुल्ली चैलेंज करता हूं। मिस्टर सेठ सबसे पहले गवर्नमेंट डिग्री कालेज, आगरा के अन्दर लेक्चरार अपोइन्ट हुए। आगरा के अन्दर केवल दो साल सर्विस की। आगरा कालेज का सर्टिफिकेट मेरे पास है अगर माननीय मंत्री महोदय उस सर्टिफिकेट को पढ़ना चाहें तो मैं उनको पढ़ा सकता हूं। मैं सदन का समय नहीं लूंगा उनकी एक्स्ट्रा आर्डिनरी सर्विसेज हैं.....

एक माननीय सदस्य : समय का सदन या सदन का समय।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सदन का समय नहीं लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इसी प्रकार मिस्टर सेठ फिशरीज डिपार्टमेंट में रहे। एक सर्टिफिकेट है फिशरीज डिपार्टमेंट का जिसको बार बार प्रोड्यूस उनके अगेंस्ट किया जा सकता है और एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें उन्होंने काम किया उस अजमेर की एक इंस्टीट्यूशन भी बड़ी मिस्टीरियस है इंस्टीट्यूशन का सर्टिफिकेट है। वह अजमेर की संस्था भी इन्हीं के भाई भतीजों की

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

इंस्टीट्यूशन है जो एक एक्स्ट्रा आर्डिनरी इंस्टीट्यूशन है हिन्दुस्तान के अन्दर 1/3 जिस इंस्टीट्यूशन के अन्दर एक लाइफ लांग चेयरमैन सलेक्ट हुआ है और जिसकी एक्जीक्यूटिव कमेटी के बारे में डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्द जज ने एसपर्शन दिया है, जिसके बारे में कक्कड़ कमेटी ने एसपरशन दिया है। एक वह सर्टीफिकेट है दूसरे फिशरीज डिपार्टमेंट के अन्दर डॉक्टर सेठ ने सर्व किया। डॉक्टर सेट ने तीन वर्ष के लिए फिशरीज डिपार्टमेंट में सर्व किया। उसका 9 फरवरी, 72 को सर्टीफिकेट अबेटेन किया गया जिसको जगह जगह मैनेजमेंट दिखाता है और वह सर्टीफिकेट है :—

"Dr. Seth has worked in our Department as Assistant Fisheries Officer. His officers have not spoken good, about his behaviour towards his colleagees."

यह सर्टीफिकेट देने वाले पी० डी० माथुर जब डॉ० सेठ ने फिशरीज डिपार्टमेंट में काम किया उस समय डायरेक्टर नहीं थे। उस समय गोपाल सिंह राठौड़ डायरेक्टर थे. . . .

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : जो सर्टीफिकेट पेश किया जाता है उस समय वे डिप्टी डायरेक्टर थे। तो वह मैरीटोरियस सर्टीफिकेट मेरे पास मौजूद है।

श्री उपाध्यक्ष : आधा घण्टा आप ही ले लेंगे तो जवाब नहीं सुनेंगे क्या ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं यही कहना चाहूंगा कि सारे केस के अन्दर कोई भी जस्टीफिकेशन नहीं है। एक तरफ ज्युडिशियल प्रोनाउंसमेंट, दूसरी तरफ कक्कड़ कमीशन की रिपोर्ट और तीसरी तरफ इस सम्माननीय सदन के अन्दर माननीय मंत्री महोदय का आश्वासन है। आज अगर हम इस तरह का लचर आश्वासन दें, जो कि दिया गया है, तो न वह ज्युडिशियरी के लिए सम्मानजनक होगा और न ही सदन के लिए सम्मानजनक होगा। शिक्षा मंत्रीजी ने बड़ी मजबूती के साथ इस सदन के अन्दर घोषणा की कि लाल बहादुर शास्त्री कालेज की हम सारी एड बन्द कर रहे हैं। भार्गव कमीशन की रिपोर्ट इस सदन में डिस्कस की, लाखों रुपयों के घोटाले हुए हैं, फर्नीचर और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। साढ़े तीन सौ बोरियां सीमेंट की पानी के अन्दर बह गई। 1 लाख 40 हजार रुपये इस संस्था को यहां के विभाग द्वारा इनकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए दिए गए उसका काम नहीं हुआ। उसकी मैचिंग ग्राण्ट सारी की सारी दूसरे विभागों से ली गई इस ग्राण्ट के अगेंस्ट। मेरे पास और दूसरी दलील नहीं है. . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : दो मिनिट।

मैं कहना चाहूंगा कि जो दलील अब इंस्टीट्यूशन दे रही है वह दलील यह है, कि एस० सी० गुप्ता को डॉक्टर सेठ की जगह अपॉइंट किया गया है वह एस० सी० गुप्ता बहुत काबिल हैं। इन गुप्ता की काबिलयत क्या है, इस काबलियत को सारा राजस्थान जानता है। कोटपूतली के अन्दर एस० सी० गुप्ता साहब ने क्या किया यह बात छुपी हुई नहीं

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)
है। फर्स्ट ईयर टी०डी०सी० की कापियां एस० सी० गुप्ता जांच कर रहे थे वह कापियां बाजार से चोरी के अन्दर प्राप्त की गई......

श्री दिनेश राय डांगी (देसूरी) : आप एस० सी० गुप्ता के बारे में क्या कहते हैं ? जो भ्रष्ट आदमी वहां से निकाल दिया गया उसकी आप वकालत कर रहे हैं और एस०सी० गुप्ता, जो थर्ड परसन यहां पर मौजूद नहीं है उसको आप इन्वॉल्व कर रहे हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप जिस तरह से तंग हुए हैं वह भी मुझे पता है।

श्री दिनेश राय डांगी : हमें भी पता है कि आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं ? आप तीन साल की सर्विस का एरियर लेकर उसमें अपना शेयर लेना चाहते हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उपाध्यक्ष महोदय,.....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : एस० सी० गुप्ता साहब के कारनामों के ये डाक्यूमेंट माननीय सदस्य जो कि बहुत उत्तेजित हैं वे आ करके इन डाक्यूमेंट का अध्ययन कर लें। जो कुछ इनमें लिखा हुआ है उसको यहां दोहरा कर मैं अपनी जबान खराब नहीं करना चाहूंगा ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

लेकिन डिप्टी सेक्रेटरी साहब का यह कहने का कि एक डॉ० सेठ के मुकाबले के अन्दर आज एक एस० सी० गुप्ता काबिल आदमी आ गए हैं, काबिल प्रोफेसर मिल गए हैं, कोई जस्टीफिकेशन नहीं है। मैं इन सब गन्दे वाकयातों को, जो इसमें दिए हुए हैं, यहां पर दोहराना नहीं चाहता हूं । लेकिन यह प्रश्न अवश्य ही इन्वोल्व्ड है कि आज इन पवित्र शिक्षा संस्थाओं के अन्दर इस प्रकार के घोटाले होंगे तो यह न देश के हित में है और न किसी के हित में। लेकिन इनसे ऊपर भी यह सदन है, सदन सबसे ऊपर, सर्वोपरि है। ऐसी घटनायें जिनके बारे में सदन में चर्चा चली है और ज्युडिशियल प्रोनाउन्समेंट हुए हैं, उनके बहुत से केसेज चले हैं डॉ० सेठ के इसी प्रकार के केस है जिनमें ज्युडिशियरी के अन्दर और इस सदन की राय के अन्दर कोई कान्ट्रेडिक्शन नहीं है । माननीय सदस्य जिन्होंने यह प्रश्न रखा है अनेक बार डॉ० सेठ के बारे में यहां पर प्रश्न उपस्थित हुए हैं और शिक्षा मंत्रीजी ने आश्वासन दिया है। काफी प्रश्न इसके बारे में रेज किये गये हैं, सारी प्रोसिडिंग्ज हैं । लाल बहादुर शास्त्री कालेज में गबन हुआ है, कक्कड़ कमेटी और भार्गव कमेटी की रिपोर्ट के अन्दर यह डिस्कस हुआ है लेकिन माननीय सदस्य चिन्तित नहीं हैं। इस सदन के अन्दर आश्वासन दिया गया है। और उस आश्वासन के आधार पर मंत्री महोदय ने एक आदेश जारी कर दिया। डॉ० सेठ तीन महीने तक इस इन्स्टीट्यूट में जाते रहे और तीन महीने ज्वाइन नहीं कराया । इस प्रकार इस सदन में दिये गये आश्वासन और उस आश्वासन पर राज्य सरकार द्वारा दिये गये आदेशों की अनुपालन न हों, यह इस पवित्र सदन का अपमान है, ज्युडिशियरी का अपमान है । यह एक गंभीर विषय है । इस सदन के अन्दर दिये गये आश्वासन और उस पर राज्य सरकार द्वारा दिये गये आदेश, इन

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

दोनों को लागू कराना इस सदन का पवित्र कर्त्तव्य है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहम्मद गफ्फार अली ।

श्रीमती उषाप्रकाश (बैर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी एक मिनिट बोलना चाहती हूं । जब प्रश्न यहां पर आया था तो मेरा सप्लीमेन्ट्री रह गया था ।

श्री उपाध्यक्ष : आप का कोई नोटिस नहीं मिला है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : गफ्फार साहब के स्थान पर इनको बोलने दें ? उपाध्यक्ष महोदय,

श्रीमती उषाप्रकाश : मैं संक्षेप में ही कहूंगी ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहम्मद गफ्फार अली, आप फर्माएं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : कुछ फेक्ट्स रह गये हैं वह माननीय सदस्य कहना चाहेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहम्मद गफ्फार अली ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री हाण्डा ने तफसील से कुछ ज्यूडिशियरी के प्रोनाउन्समेन्ट और कुछ रिपोर्टों का यहां पर हवाला दिया है, उनको मैं यहां पर दोहराना नहीं चाहता हूं । मैंने एक बार नहीं अनेक बार यह जो निजी शिक्षण संस्थाएं हैं इनके बारे में सदन में सवाल उठाये हैं । मैंने मंत्रि-मण्डल का और शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया है कि क्या कारण है कि आप इन शिक्षण संस्थाओं में जो करप्शन हो रहा है उसको कितने अर्से तक बर्दाश्त करते रहेंगे ? इस सिलसिले में मैंने यह भी अर्ज किया था कि आज जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं, उनको आप 80/90 फीसदी ऐड दे रहे हैं और उन्होंने यहां पर एक सल्तनत बना रखी है जहां किसी किस्म की प्रगतिशील नीतियां प्रोत्साहन नहीं पा सकती हैं । मैंने शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया था जिन संस्थाओं में इन्दिरा गांधी मुर्दाबाद के नारे लगते हों, उन संस्थाओं के ऊपर भी आप किसी किस्म का कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहते हैं। मुझे अफसोस है और मैंने यह कहा था कि इससे अन्देशा पैदा होता है कि आपका इरादा क्या है ? आप किस तरफ इन शिक्षण संस्थाओं को ले जाना चाहते हैं ? सवाल एक व्यक्ति या दो व्यक्तियों का नहीं है। माननीय सदस्य, श्री डांगी साहब नाराज हो गये । मैं समझता हूं कि इतना उत्तेजित होने की जरूरत नहीं थी इसलिए कि व्यक्ति का सवाल इतना अहम नहीं है जितना यह अहम है कि आप कमेटियों का निर्माण करते हैं, उनकी रिपोर्ट वर्षों में आती है, उनको फिर आप एक्सेप्ट करते हैं और उनको लागू करते हैं और उसके बाद अचानक आपका हृदय परिवर्तित हो जाता है, और आप इन सब चीजों को सस्पेंड कर देते हैं । मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह चीज जो आपने लाल बहादुर शास्त्री कालेज के बारे में मन्जूर की थी, चार सिफारिशें कक्कड़ कमेटी की और उसके अनुसार आपने आदेश जारी कर दिया, क्या वे आदेश

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

आपके पार्ट के ऊपर गलत थे या इन आदेशों को इन सिफारिशों को अमली जामा पहिनाने के सिलसिले में जारी किया गया वह सही है ? डॉ० आनन्द स्वरूप के लिए ज्युडिशियल प्रोनाउन्समेन्ट हो गया है तो दूसरा बुनियादी सवाल यह आता है कि जो हमारी आजाद ज्यूडिशियरी बनी हुई है, वह फैसला देती है, क्या यह राज्य सरकार उस फैसले को नजर-अंदाज करना चाहती है ? क्या राज्य सरकार उनको यह मान्यता दे रही है और इस इन्डीपेन्डेन्ट ज्यूडिशियरी को यह इज्जत उनकी नजर में है कि जो फैसले में कहा उसको लागू न किया जाये। मुझे इस बात का अफसोस है, उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले में चाहे मैंने वनस्थली विद्यापीठ का सवाल उठाया हो, चाहे मैंने लाल बहादुर शास्त्री कालेज का सवाल उठाया हो, और चाहे दूसरे कालेजों के बारे में सवाल उठाये हों, मगर इसका स्पष्ट जवाब मंत्री महोदय देने को तैयार नहीं हैं और मैंने स्वयं जाकर इन से गुफ्तगु की है। यह जो आज हमारी डेमोक्रेसी और जम्हूरियत की ये सस्थाएं खतम करना चाहती हैं, उसको बर्बाद करना चाहती हैं और हमारे जो सिद्धान्त हैं उसको सबवर्ट कर रही है, उनके बारे में आपको क्या कहना है ? इस प्रकार आप उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं । यह जो फैसला आज हुआ है डिस्ट्रिक्ट जज का– उसने आब्जर्व किया है कि अगर राज्य सरकार की ओर से कोई सहायता किसी संस्था को दी जाती है तो राज्य को यह देखना है कि उसका यूटिलाइजेशन प्रापर होता है या नहीं होता है । वह प्रापर उस वक्त तक नहीं हो सकता है जब तक कुनबा परस्ती हो रही हो–मैनेजिंग कमेटी में दुनियां भर के जितने भी मेम्बर्स हैं उनमें से आधे से ज्यादा उस परिवार के लोग हैं जो संस्था को चलाते हैं और तमाम ताकत उसी में रहती है और मनमाने ढंग से वहां पर काम होता है......

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं यह पूछना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि क्या आप यह बतायेंगे कि आपने जो वह आदेश दिया था कि फलां फलां लोगों को इस संस्था से निकाल दिया जाये, फलां फलां आदमी इस संस्था में रखे जायें और इस बात को तय किया जाये कि जो मुस्तकिल तरीके से अध्यक्ष चुना गया है उसको ही कानून के मुताबिक अध्यक्ष चुना जाये। यह जो सिफारिशें आपने की थीं क्या इन सिफारिशों को आप गलत मानते हैं? आज आपका यह दृष्टिकोण है कि हमने वहां पर जो डॉ० सेठ को निकाला है वह सही निकाल दिया है और वह इस किस्म का रिलीफ नहीं पा सकता । यहां पर एक चीज आप कहते हैं, आप गुमराह करते हैं, ऐसे एक इश्यु पर नहीं, कई इश्यु पर आपने इस सदन को गुमराह किया है। आपने यहां पर एक गलत बात कही थी उस समय मैंने आपको चुनौती दी थी, आप साबित कर देंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और नहीं तो आप सदन से इस्तीफा दे देना। मुझे अफसोस है कि मंत्री महोदय इस किस्म की चीज को करने के लिये तैयार नहीं है। आप तो जवाब देते हैं और मीठी बात कह देते हैं। यह विश्वास दिलाते है। मैं यह जानना चाहूंगा कि यह जो निजी संस्थाएं आपके मातहत हैं उनके ऊपर आप किस प्रकार कन्ट्रोल करना चाहते हैं ? आज उनकी सर्विसेज की सिक्यूरिटी नहीं है । आज उनको

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

मनमाने ढंग से देते हैं। आज दस-दस, आठ-आठ साल की सर्विस के टीचर्स हैं उनको निकाल देते हैं, आप किसी को भी रिलीफ नहीं दे सकते। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा आपके आदेश का उल्लंघन नहीं करूंगा, मगर मैं यह चाहूंगा कि आप यह बताने की कृपा करें कि, सवाल नम्बर एक, क्या आप इन शिक्षण संस्थाओं पर किसी किस्म का कोई कन्ट्रोल लगाना चाहते हैं या नहीं ? सवाल नम्बर दो, क्या आप इस सिलसिले में कोई कानून लाना चाहते हैं या नहीं ? क्या यह सही है कि आपके पास एजूकेशन बिल मौजूद है और उसको आप सदन में लाकर पास नहीं करना चाहते हैं क्योंकि जो आपके चहेते लोग हैं वह इन संस्थाओं में जम कर बैठे हैं ? तो क्या आप इन तमाम शिक्षण संस्थाओं के बारे में कोई इन्क्वायरी कराने के लिए तैयार हैं ? अगर हैं तो इन चारों सवालात का मैं यह चाहूंगा कि आपकी तरफ से स्पष्ट जवाब आ जाय ?

एक को अलग किया यह सवाल नहीं है। सवाल यह है कि अगर मैनेजमेंट ज्युडिशियल प्रोनाउन्समेंट के मुताबिक न करे तो आपको यह आवश्यक था कि आप उसको लाते और पूरी शान-शौकत के साथ लाते। आज हम गुस्से का इजहार कर रहे हैं एक व्यक्ति के बारे में। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि न मैं यह जानता हूं कि गुप्ता कौन है और न मैं यह जानता हूं कि सेठ कौन है। बात यह है कि जिस व्यक्ति के लिए ज्यूडिशियरी का यह फैसला हुआ है उसको आप इतनी खूबसूरती और सफ़ाइयत के साथ नजर अन्दाज करना चाहते हैं, जो कि सही नहीं है और उचित भी नहीं हो सकता है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)।

इन्हीं शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मांग करूंगा मंत्री महोदय से कि उसका वह स्पष्ट जवाब दें और टालमटोल जवाब देने की कोशिश न करें।

श्री उपाध्यक्ष : (श्रीमती उषा प्रकाश के खड़े होने पर) आप फर्मा रही हैं ?

श्रीमती उषा प्रकाश (बैर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज वास्तव में मेरे लिए बड़ा ही कष्टप्रद है कि मुझे बोलने के लिए खड़ा होना पड़ा है, क्योंकि जिस संस्था के विषय में यह चर्चा चल रही है उस संस्था की स्थापना के साथ डाइरेक्टली या इन्डाइरेक्टली मेरा बहुत पुराना संबंध था। परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, जब प्रश्न के उत्तर में सरकार की तरफ से कुछ ऐसी बातें सामने आई तब मेरा यह एक कष्टप्रद कर्त्तव्य हो गया कि मैं भी एक-दो तथ्य सदन की जानकारी के लिए सदन के सामने रखूं ताकि सरकार के हाथ से किसी बाप के इकलौते बेटे के साथ अन्याय न हो, किसी बालक का गला न घोंटा जाय, और सरकार की न्याय करने की आज तक की जो रेपूटेशन है, शिक्षा मंत्रीजी की जो रेपूटेशन है वह रेपूटेशन बनी रहे, वह बढ़े और फले-फूले।

सवाल जब मैंने पूछा था तो दो प्रश्नों की तरफ मैंने मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया था। मुझ से पूर्व माननीय सदस्य पहले ही कह चुके हैं कि जज का जजमेंट है तो उसमें सेठ के प्रोबेशन पीरियड को एक्स्पायर्ड माना गया था और उन्होंने उसको एक परमानेन्ट सर्वेंट के तौर पर ट्रीट किया।

दूसरा मैंने उसी दिन माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया था कि आपने जो पहले कमीशन बैठाया था उसकी बहुत स्पष्ट रिपोर्ट है, और मंत्री महोदय

(श्रीमती उषा प्रकाश)

ने पहले स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया था कि एक प्रोफेसर के साथ में न्यायपूर्ण व्यवहार करेंगे।

मैं ऊपरी तौर से ही दो-तीन बातों की तरफ मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगी। क्या यह सही नहीं है कि इसी सदन में हम लोग बराबर यह सोचते रहे हैं कि प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स में जो भी टीचर्स सेवा कर रहे हैं उनकी सेवाओं के लिए किसी न किसी तरह की गारन्टी, सर्विस सिक्योरिटी और उनकी वर्किंग कन्डीशन्स के बारे में सरकार को एक पॉलिसी के तौर से कुछ न कुछ मदद करनी चाहिए और मदद करें? इसी संदर्भ में सदन में हमने कहा है कि एक एजूकेशन बिल लाना चाहिए? एक एजूकेशन एक्ट सरकार लाकर प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स के द्वारा जो भी संस्थाएं चलाई जा रही हैं उनमें कार्य करने वाले जो लोग हैं उनकी मदद करें। यह सरकार की पॉलिसी है कि हम इस तरह से मदद करना चाहते हैं। फिर आज सरकार वहां के एम्प्लॉइज और एम्प्लायर्स के बीच में एक मूक दर्शक की तरह से नहीं रह सकती है। सरकार को कुछ न कुछ करना चाहिए। जो इस प्रकार की इन्स्टीट्यूशन्स चल रही हैं सरकार उनको खर्च का 80 पर्सेन्ट ग्रान्ट के रूप में देती है। उसके उपरान्त कई कई नामों से एडहाक ग्रान्ट और कई कई तरह की ग्रान्ट्स सरकार देती है, तो उन इन्स्टीट्यूशन्स को हम ऐसे ही कैसे छोड़ सकते हैं कि हम उनके मामले में कुछ भी न कहें और वहां की मैनेजमेंट कमेटी ही सब कुछ हो। अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो मैं मानती हूं कि कमीशन की नियुक्ति ही नहीं होनी चाहिए थी। अगर नियुक्ति हमने की है तो उसने एक व्यक्ति को, एक होनहार बढ़ते हुए युवक को आपने यह आश्वासन दिया था कि अगर तू सही निकला तो तेरे साथ न्याय करेंगे, उस आश्वासन को आप ठुकरा रहे हैं। सवाल एक व्यक्ति का नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय। यह मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट पूछना चाहती हूं कि यदि मैनेजमेंट उसका आप ले लेते हैं—मैं नहीं चाहती कि मैनेजमेंट उसका ले लें—लेकिन मैं एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कर रही हूं कि मैनेजमेंट सरकार अगर उसका ले ले तो क्या फर्क पड़ेगा? वह कॉलेज चलाना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि वहां पर नाइट क्लासेज चलती हैं जिससे बहुत सारे विद्यार्थी फायदा उठाते हैं ......

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, माननीय सदस्य ने उसका उल्लेख कर दिया है।

श्रीमती उषा प्रकाश : मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि कितना रुपया उसका खुद का वहां पर युटिलाइज होता है? अगर सरकार न्याय देना चाहती है तो उस न्याय के खातिर ही उस शिक्षण संस्था को अपने हाथ में ले। उसके लिए क्या वह थोड़ा सा और पैसा अपने बजट में उसके लिए नहीं निकाल सकती है? हम यह चाहते हैं कि इस तरह की प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स फले-फूले, लेकिन साथ ही हम यह चाहते हैं कि उसमें जो टीचर्स काम करते हैं, उसमें जो एम्प्लॉईज, उनके साथ में काम करते हैं, सरकार उनको मां-बाप की तरह से देखें। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) जैसा कि वह इस काम को देखती है।

दो ही बातें मैं और कहूंगी। पहली बात तो यह है कि टर्मीनेशन सेठ साहब का हुआ है 24 मई को, यह फैक्ट है, और

(श्रीमती उषा प्रकाश)

एक्जीक्यूटिव की मीटिंग, जिस एक्जीक्यूटिव में पहले के जमाने के बड़े-बड़े लोग हैं, उन सभी सदस्यों का मैं बहुत आदर करती हूं, लेकिन उसकी मीटिंग हुई है 17 जून को जिसमें यह अन्याय हुआ है।

दूसरी बात यह है कि इसी कालेज में इस अर्से में दो प्रिन्सीपल्स थे एक मि० द्रविड़ और एक मि० माथुर तो दोनों ने, एक ने 15 जुलाई, 1971 को और दूसरे ने 16 दिसम्बर, 1971 को इन्हीं प्रोफेसर सेठ को अच्छी इन्टेग्रिटी, अच्छे काम के सर्टिफिकेट तक दिये हैं, क्या वह सही नहीं है ? क्या मंत्री महोदय को उसकी जानकारी है कि वहां के प्रिन्सीपल ने 6 महीने पहले वह सर्टिफिकेट दिये हैं ? तो मेरा यह मानना है कि इसमें कोई न कोई दूसरी वस्तु आ रही है। आप जबरदस्ती किसी को फ्लोर आफ दी हाउस पर क्यों बदनाम करना चाहते हैं ? आपने कह दिया कि वह 7 इन्स्टीट्यूशन्स से निकाला गया है तो 7 इन्स्टीट्यूशन्स तो उसने देखे ही नहीं और तीन जगहों से ज्यादा स्थान नहीं देखे। आपके पास क्या प्रमाण है ? तो मेरा यह मानना है, उपाध्यक्ष महोदय, कि सरकार को न्याय के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहिए, और न्याय देने के लिए सरकार को तत्पर रहना चाहिए। और जहां तक लॉ डिपार्टमेंट का सवाल है तो मुझे नहीं मालूम कि लॉ डिपार्टमेंट ने क्या कमेन्ट्स इसके बारे में दिये हैं। मैं जानती हूं कि लॉ मिनिस्टर और एजूकेशन मंत्री एक ही हैं। उसी फाइल पर एजूकेशन मंत्री की हैसियत से एक राय और उसी फाइल पर लॉ मिनिस्टर की हैसियत से दूसरी राय हो यह मैं नहीं मान सकती। इसका क्या राज है यह मेरी समझ में नहीं आया है।

मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि इस विषय को न्याय की दृष्टि से आपको देखना चाहिए। हमको किसी से पर्सनल गिला नहीं है। हमारा कोई किसी से विरोध नहीं है। आप इस इन्स्टीट्यूशन को चलने दें, फलने-फूलने दें, परन्तु एक व्यक्ति को आपने आश्वासन दिया था कि हम तेरे साथ न्याय करेंगे तो अन्याय की कालिमा सरकार अपने माथे पर न ले। इसका ध्यान रखेंगे तो हम आपके बहुत आभारी होंगे।

श्री विरेश राय डांगी : उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप दो शब्द इसी मामले पर मुझे कहने दें तो बड़ा आभारी हूंगा।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहूंगा—मेरा व्यक्तिगत द्वेष इस बारे में किसी से नहीं है, पर प्रश्न यह है कि एक सप्लीमेन्ट्री प्रश्न पर आश्वासन दिया था उसको लेकर सारी बात चल रही है। शिक्षा मंत्रीजी ने सेठ के आर्डर निकाले लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुए। मैं उस आदमी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। आपके सामने मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि लॉ डिपार्टमेंट की ओपीनियन फेवर में है तो इस बात से प्रभावित कोई मैनेजमेंट कमेटी क्यों हो ? जिस संस्था के मेम्बर पी० एस० सी० के चेयरमैन जैसे व्यक्ति हैं जिनके लिये हुए फैसलों को चीफ जस्टिस भी मानता है तो दो साल के पीरियड तक मैनेजमेंट कमेटी निकाल सकती है। इसके लिए ही अनुकूल रिप्रेजेन्टेशन करे। कालेज से निकाला है तो उसके लिए रिप्रेजेन्टेशन हो.....

(व्यवधान)

Page No 56

(56)

(श्री दिनेश राय डांगी)

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था......

(व्यवधान)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चेलेन्ज करता हूं माननीय सदस्य को वह वहां से सर्टिफिकेट मंगा लें डा० सेठ के....

श्री उपाध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : वह फाल्स स्टेटमेंट क्यों देते हैं ? क्या मेरे चेलेन्ज को स्वीकार करेंगे ? सी०ग्रार० खराब की । वहां से निकाला गया है । उसके बाद गवर्नमेण्ट ग्रॉफ इण्डिया की मिनिस्ट्री ग्राफ एजूकेशन से स्कालरशिप ली है । क्या गवर्नमेण्ट ग्रॉफ इण्डिया करप्ट है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य । माननीय सदस्य ।

श्री दिनेश राय डांगी : मुझे कालेज के नाम तो याद नहीं हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : तीन जगह काम किया है । ग्रागरा, टौंक....

(व्यवधान : ग्रश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज ।

श्री दिनेश राय डांगी : लॉ डिपार्टमेण्ट की ग्रोपीनियन खिलाफ हो गई है ।

(व्यवधान : ग्रश्रव्य)

कालेज से निकाला गया है । राज्य सरकार ऐसे भ्रष्ट लोगों को निकालना चाहती है । ग्रगर इसके लिए मिनिस्टर को कोई दबाना है तो यह उचित नहीं होगा । मैं चाहूंगा...

(व्यवधान : ग्रश्रव्य)

श्री नत्थासिह : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज । Not to be recorded.

श्री नत्थासिह : × × × ×

श्री उपाध्यक्ष : Order please. Not to be recorded. Not to be recorded.

श्री नत्थासिह : × × × ×

श्री उपाध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज । माननीय शिक्षा मन्त्रीजी ।

श्री खेतसिह : उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उपाध्यक्ष महोदय, 9 जगह......

श्री उपाध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज । मा० शिक्षा मन्त्रीजी ।

श्री खेतसिह (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, लाल बहादुर शास्त्री कालेज में हुई ग्रनियमितताग्रों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर राज्य सरकार ने 1973 में कक्कड़ कमेटी की नियुक्ति की तथा उसकी रिपोर्ट ग्रप्रेल, 1974 में प्राप्त होने पर राज्य सरकार ने विचार किया । उसमें यह उल्लेख था कि श्री सेठ को नौकरी से निकाला जाना उचित नहीं था । मार्च, 1975 में

× × × × ग्रध्यक्ष पीठ महोदय के ग्रादेशानुसार ग्रंकित नहीं किया गया ।

(श्री खेतसिंह)
जब इस मामले पर सदन में चर्चा हुई और राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में प्रगति चाही गई तो मैंने प्रश्न के उत्तर में यह स्पष्ट किया था कि राज्य सरकार ने प्रबन्ध समिति से स्पष्टीकरण मांगा है और उस पर विचार किए जाने के बाद राज्य सरकार अन्तिम निर्णय लेगी। इसी प्रसंग में मैंने यह भी कहा था कि यदि राज्य सरकार के आदेश पर इस संस्था ने श्री सेठ को रिइन्सटेट नहीं किया या वापिस नहीं लिया तो संस्था की एड बन्द कर दी जायेगी।

इसी आश्वासन के संदर्भ में राज्य सरकार ने दिनांक 23 अक्टूबर, 75 को निदेशक को श्री सेठ को रिइन्सटेट कराने तथा उसके एरियर्स दिलाने के सम्बन्ध में आदेश जारी करने के लिए कहा। तदनुसार निदेशक ने दिनांक 7 नवम्बर, 75 को उक्त आदेश प्रसारित कर दिये और संस्था को आदेश न पालन करने की स्थिति में नियमानुसार एड बन्द करने के लिए एक माह का नोटिस भी दे दिया।

तत्पश्चात् प्रबन्ध समिति ने दिनांक 10 नवम्बर, 75 को माननीय मुख्य मंत्री को तथा मुझे भी एक प्रतिवेदन दिया, जिसमें अनेक तथ्यों का उल्लेख करते हुए यह अनुरोध किया कि राज्य सरकार इस बात के औचित्य पर विचार करे कि किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो न्यायालय से हार चुका हो और उसे कानून के अन्तर्गत किसी प्रकार का रिलीफ न मिल सकता हो, राज्य सरकार उसके मामले में हस्तक्षेप करे और उसके पुनः नियुक्ति के आदेश जारी करे। उन्होंने यह भी प्रश्न उठाया कि क्या प्रबन्ध समिति को अपने किसी कर्मचारी को प्रोबेशन पीरियड में हटाने का अधिकार है या नहीं और यदि है तो क्या यह उचित होगा कि राज्य सरकार इसमें हस्तक्षेप करे ?

चूंकि यह महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे थे अतः राज्य सरकार ने उचित समझा कि इस पर विधि विभाग की राय प्राप्त की जाय। इसी सन्दर्भ में यह भी आवश्यक था कि कालेज का कार्य यथावत चलता रहे और अध्यापकों को वेतन मिलता रहे। राज्य सरकार ने अपने आदेश दिनांक 23 अक्टूबर, 75 के आदेश को स्थगित कर दिया।

विधि विभाग की राय प्राप्त हो गई है। उन्होंने श्री सेठ को प्रोबेशन पीरियड में निकाला जाना अनियमित नहीं माना है।

इस प्रकार उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार से सदन को दिये हुए आश्वासन का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। आश्वासन के अनुसार कार्यवाही की गई थी किन्तु बाद में प्रबन्ध समिति के प्रतिवेदन पर पुनः विचार किया गया तथा कानूनी राय भी ली गई थी।

इसी प्रकार उक्त मामले में न्यायपालिका के किसी निर्णय की अवहेलना नहीं की गई है। न्यायपालिका ने स्वयं इस अपील को खारिज कर दिया है अतः इस मामले में अब कोई निर्णय लेना उचित नहीं है।

"But all these considerations, though having considerable weight, cannot entitle the plaintiff

(श्री खेतसिंह)
to succeed. His only remedy, to me, appears to approach the Government authorities and to seek redress from them, if any, or to sue for damages. I, therefore, dismiss this appeal with no order as to costs.

Pronounced in the open court, this 12th day of August, 1972.

Sd./ M. L. Jain,
District Judge, Jaipur City."

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आपने मुलाहिजा फर्माया था। आप डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले के लिए कह रहे हैं। जैसे यह खुदाई फैसला है।

श्री खेतसिंह : मैं बोल रहा हूं। जब आप बोल रहे थे तो मैं चुपचाप सुन रहा था।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मुझे आपकी बुद्धि पर अफ़सोस है।

श्री खेतसिंह : आपने उसी प्रकार बोलने की कोशिश की है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मुझे बहुत अफसोस है.....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, डिस्ट्रिक्ट जज ने उनकी अपील को खारिज कर दिया। इसलिए माननीय सदस्य का यह कहना कि कोर्ट का जजमेन्ट सेठ के हक में हो गया, वह सही नहीं है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : हक में हुआ है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : जी हां। हक में हुआ है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अगर रेमेडी सजेस्ट नहीं की गई होती तो कहते। रेमेडी सजेस्ट की गई है।

श्री खेतसिंह : हमने भी वकालत की है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : की होगी आपने वकालत।

श्री खेतसिंह : आखिर में यह है कि अपील ख़ारिज की जाती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इण्टर-फीयर कर सकते हैं, इस सम्बन्ध में...

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री खेतसिंह : अभी भी आपके लिए कोर्ट खुली है। आप भी माकूल वकील हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आप जैसे × × × मिनिस्टर बैठे हैं। मैं तो यही निवेदन करूंगा कि यहां किसी माकूल मिनिस्टर को बैठना चाहिए।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि यह जो मिनिस्टर के लिए × × × कहा गया है, इस × × × शब्द को एक्सपंज किया जाये।

× × × शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

श्री उपाध्यक्ष : एक्सपंज किया जाय ।

श्री माणक चन्द सोगानी : इसमें यह है ....

श्री उपाध्यक्ष : विधायी कार्य ।

विधायी कार्य

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (संशोधन) विधेयक, 1976 का पुरः स्थापन, विचार एवं पारण

श्री खेतसिंह (विधि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरः स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी ।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरः स्थापित करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : विधेयक पुरः स्थापित हुआ ।

विचारार्थ प्रस्ताव, माननीय मन्त्रीजी ।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (संशोधन) विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (संशोधन) विधेयक, 1976 को सदन में विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

पारित हेतु प्रस्ताव, माननीय मन्त्रीजी ।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (संशोधन) विधेयक, 1976 को सदन में पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (संशोधन) विधेयक, 1976 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया ।

राजस्थान मद्य निषेध (संशोधन) विधेयक, 1976 का पुरः स्थापन

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मद्य निषेध (संशोधन) विधेयक, 1976 को सदन में पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि राजस्थान मद्य निषेध (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पुरः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मद्य निषेध (संशोधन) विधेयक, 1976 को सदन में पुरः स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : विधेयक पुरः स्थापित हुआ।

असरकारी विधायी कार्य।

प्रशासकीय विधेयक

विधायी कार्य : पुरः स्थापित किया जाने वाला विधेयक।

श्री शोभाराम।

श्री शोभाराम (रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान दहेज प्रतिषेध विधेयक, 1976 को सदन में पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि राजस्थान दहेज प्रतिषेध विधेयक, 1976 को सदन में पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

पुरः स्थापित करने की अनुमति दी गई।

श्री शोभाराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान दहेज प्रतिषेध, विधेयक, 1976 को सदन में पुरः स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : विधेयक पुरः स्थापित हुआ।

प्रशासकीय संकल्प

राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु सदन की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठन

दिनांक 23 जनवरी 1976 को श्री वृद्धिचन्द्र जैन, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर अग्रेतर विचार।

कोई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सस्दय, वृद्धिचन्द्रजी ने .....

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस समय बोल रहा था, मेरा भाषण अधूरा है।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है आप शुरू कीजिये) श्री मोहम्मद गफ्फार अली से) आप बाद में बोल लीजिये।

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, 23 जनवरी को यह प्रस्ताव सदन में लाया गया था उस समय दौसा से आने वाले माननीय सदस्य ने तो अपना भाषण दे दिया था। एक दफा भाषण हो जाता है तो दुवारा मौका नहीं दिया जाना चाहिए। अगर सम्पूर्ण नहीं किया तो मैं नहीं कह सकता।

श्री मूलचन्द सामरिया : मैं जब बोल रहा था तब बीच में ही सदन की बैठक स्थगित हो गई थी ।

श्री परसराम मदेरणा : लेकिन आप बोले जरूर थे ।

श्री उपाध्यक्ष : रिकार्ड में इनका भाषण अपूर्ण है इसलिए पहले इनको बोलने दिया जाय ।

श्री मूलचन्द सामरिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि ग्राम्य स्तर पर जो समिति बनायी जाय उसको पावर दी जाय जो कि न केवल वहां के अधिकारियों पर नियन्त्रण रख सके बल्कि ऐसे लोग जो राज्य सरकार के अन्दर बैठे हुए हैं जिनमें मन्त्रीगण भी हों, जिनका चरित्र शंकित हो, उन के ऊपर भी वह अंकुश रख सके । वह कमेटी जो भी सिफारिश करे, उसको राज्य सरकार मानने के लिये बाध्य होनी चाहिए । जिस प्रकार से कि मकानों की समस्याओं के बारे में निवेदन किया था कि एक तरफ तो लोगों को सड़कों पर सोने के लिये मजबूर करते हैं और दूसरी तरफ बीस सूत्री कार्यक्रम के अनुसार केवल 120 वर्ग गज के पट्टे दिये जाते हैं तो इस तरह से गरीब लोगों की आवासीय समस्या हल नहीं हो सकती है । इस बात के लिये उसको अधिकार दिया जाय कि वह कमेटी इसके अन्दर सुझाव पेश करके सरकार के सामने रखे और उन सुझावों को लागू किया जाना चाहिए । मैं निवेदन करूंगा कि बीस सूत्री कार्यक्रम के लिये जिन-जिन मन्त्रियों के लिये जिस-जिस क्षेत्र के लिये कहा जाय, उसमें ऐसे मन्त्री हो सकते हैं जिनका कि सार्वजनिक जीवन उज्जवल नहीं है, जिनका चरित्र ठीक नहीं रहा हो, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा काम किये जाने पर न केवल बीस सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन के अन्दर उसको डूबोयेंगे बल्कि जनता इस कार्यक्रम को भी संशकित निगाहों से देखने लगेगी । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाय और ऐसे चरित्र वाले व्यक्तियों को इसमें लिया जाय जिनका चरित्र हमेशा बेदाग और उज्जवल रहा ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर गरीबी हटाने के बारे में बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्दर बात कही गई है, मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिए समिति बनाई जाय । उसके द्वारा सरकार गरीबी हटाने के लिये एक निश्चित कार्यक्रम को अपनाने की योजना बनाये और सुझाव सरकार को पेश करे । मैं निवेदन करूंगा कि उद्योगों के लिये गरीबों का स्थान दिलाये जांय कमेटी को यह अधिकार हो वह कमेटी यह देखे कि जिस तरह से बड़े उद्योगों को फैसिलिटीज मिलती हैं वह फैसिलिटीज गरीबों को भी मिलती है या नहीं । इसी तरह से बड़े उद्योगों की भांति गरीबों को भी उद्योग स्थापित करने के लिये समय पर सीमेन्ट, कोटा और परमिट मिलता है या नहीं, इस बात की वह कमेटी निगरानी करे । इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि छोटे उद्योगों को स्वावलम्बी बनाने की दृष्टि से भी काम होता है तो यह बहुत ही सराहनीय होगा और जनता इसकी तारीफ करेगी । इसलिए जब तक बीस सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्वयन के लिये माननीय सदस्यों की समिति पावरफुल नहीं बनेगी तब तक इससे लाभ नहीं होने वाला है ।

(श्री मूलचन्द सामरिया)

जैसा कि, श्रीमान, माननीय केन्द्रीय मंत्रीजी, श्री राज बहादुरजी ने कथन फर्माया, उसकी ओर मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही, उन्होंने कहा कि चैरिटी बिगिन्स एट होम। जहां उनका इशारा सामन्तवाद के खिलाफ था, प्रतिक्रियावादियों के खिलाफ था, फासिस्टवाद के खिलाफ था, पूंजीवाद के खिलाफ था साथ ही उनका मतलब यह भी था कि जो लोग सत्ता के अन्दर बैठे हुए हैं वे भी अपने अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखें, क्या वे पूंजीपति नहीं हैं, वे गरीबों की भलाई के लिये कुछ करना चाहते हैं या खुद के लिये कर रहे हैं? उन्होंने जिस तरह की बात फर्माई उसी के अनुसार अगर उन्हीं लोगों को लेकर बीस सूत्री कार्यक्रम को लागू किया जो बेदाग हैं और जिनका चरित्र उज्जवल है तब तो हमारा पर्पज सोल्व हो सकता है अन्यथा बीस सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति के नाम पर एक ऐसा चित्र लोगों की जबान पर ताला लगाकर मनहूस तरीके से अंकित हो जायेगा और जनता इसमें शंका करने लग जायेगी। जनता समझ जायेगी कि यह सब डाका डालने वाले और गबन और भ्रष्टाचार के तरीके हैं। इस तरह बीस सूत्री कार्यक्रम को लागू नहीं किया जा सकेगा, और न उससे जनता को कोई फायदा ही मिलने वाला है बल्कि जनता के अन्दर इस कार्यक्रम के बारे में एक भ्रम पैदा हो जायेगा कि इसमें ऐसे ऐसे व्यक्ति लिये गये हैं जिनका स्वयं का चरित्र ठीक नहीं है। इसलिए अगर हम गरीब लोगों को वास्तव में ऊंचा उठाना चाहते हैं तो अच्छे चरित्र के लोगों को इसमें लिया जाना चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्यगण की जो समिति बनाई जाय उसको वास्तविक पावर तो दी जाय उसके साथ-साथ उन लोगों को, जिनका उज्जवल और बेदाग चरित्र है किया जाय और यदि उचित समझा जाय तो ऐसे लोगों को भी इसमें शामिल किया जाय जो गरीब तबके से आते हैं, गरीबों के दुःख को महसूस कर सकते हैं और उनकी आवाज को सुन सकते हैं। इस तरह की जो कमेटी बनाई जाय उसकी सिफारिश को मानने के लिये भी राज्य सरकार को बाइन्डिंग होना चाहिए। इस हद तक मैं इस कमेटी का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, वृद्धिचन्द्रजी ने जो रिजोल्यूशन सदन के सामने रखा है वह बहुत ही महत्व का है। हमने बीस सूत्री प्रोग्राम अपने हाथ में लिया, और उसको लागू करने के प्रयत्न जारी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि इस वक्त तक जो कदम केन्द्र की तरफ से उठाये गये हैं और जिन प्रोग्राम को लागू किया गया है उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह बीस सूत्री प्रोग्राम है। मेरी मान्यता यह भी है, उपाध्यक्ष महोदय, यह एक कदम है समाजवाद की दिशा में। अगर हम बीस सूत्री कार्यक्रम को अमली जामा पहनाने में सफल हो जाते हैं तो मैं विश्वास करता हूं और मैं यह समझता हूं कि हम अपने रास्ते को जिस समाजवाद की तरफ ले जाना चाहते

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

हैं उसको हम हमवार कर सकेंगे, उसको आगे बढ़ाते चलेंगे।

(1.00 म० प०)

(श्री भीमसेन, सभापति, पीठासीन)

प्रश्न यह पैदा होता है कि क्या बीस सूत्री प्रोग्राम के बारे में जो नीतियां अब तक चल रही हैं, उन नीतियों पर चला जाय या कोई और तरीका इस तरह का निकाला जाय कि जिससे बीस सूत्री प्रोग्राम को सफल बनाया जा सके। सभापति महोदय, बार बार राजनैतिक दल, जो पूंजीवाद और साम्प्रदायिक बातों, और फासिज्म, फासिस्टवाद में विश्वास करते हैं, उनको तो आप छोड़ दीजिये क्योंकि बीस सूत्री प्रोग्राम के अन्दर न तो उनका विश्वास है, और न हो सकता है और जो लोग उन जमातों का नेतृत्व करते हैं, या नुमाइन्दगी इस सदन में करते हैं उनके बारे में मेरा यह शक है कि वह इस बीस सूत्री प्रोग्राम को सफल बनाने में दिलचस्पी ले सकते, न जो प्रयत्न इस सिलसिले में किये जा रहे हैं, उसमें वह किसी किस्म के भागीदार हो सकते हैं। एक निवेदन मैं यह करना चाहूंगा, मेरी मान्यता है, जो राज्य सरकार और केन्द्र की सरकार इस बात में प्रयत्नशील है कि बीस सूत्री प्रोग्राम को कामयाब बनाया जाय और राज्य सरकार इस सिलसिले में कुछ कानून भी और कुछ ऐसे विधेयक भी पारित किये हैं इस सैशन में कि जिनमें इस दिशा में थोड़ा कदम उठाया गया है, मगर, सभापति महोदय, मुझे यह कहना पड़ेगा कि हम लोग जो यहां आते हैं, हम उस जनता के प्रतिनिधि हैं, जिस जनता के द्वारा हम चुने जाते हैं और हमारी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं और जब हमसे यह सवाल किया जाता है कि इस बीस सूत्री प्रोग्राम को आप किस तरह लागू कर रहे हैं और इसमें जिस वर्ग को राहत दी जाने की बात कही जा रही है, उसको कितनी राहत उपलब्ध कराई है आपने, तो वहां पर हमारा सिर झुक जाता है और हम महसूस करते हैं कि इस कोशिश में अब तक कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सके हैं। यह सही है कि राज्य सरकार ने कानून बना कर किसानों को, विलेज आर्टिशन्स को और जिनके ऊपर कर्ज है, उनको थोडी बहुत राहत दी है। मगर मेरी मान्यता यह है कि वह जो राहत दी गई है वह उस पालिसी के अनुकूल नहीं कि जो पालिसी बीस सूत्री प्रोग्राम के अन्दर रखी गई है। डेढ़ बीघा, या दो बीघा, दो एकड़ जमीन रखने वालों को आपने राहत दे दी, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। शहर की बहुत सी जनता है जिसकी हालत आज गांव के लोगों से भी ज्यादा दयनीय है। उनको उस कानून का अब तक कोई फायदा उपलब्ध नहीं हुआ है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर वृद्धिचन्द्रजी की यह तजवीज माननीय सदस्य मैं और कह दूं, माननीय सदस्य, वृद्धिचन्द्रजी यह तजवीज मान ली जाय तो यह बीस सूत्री प्रोग्राम को सफल बनाने का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा, इसलिए कि चाहे उस कमेटी में कोई भी व्यक्ति हो, मेरी यह मान्यता है कि जो चुनाव करने वाले चुनते हैं वह बहरहाल अच्छे लोग ही होते होंगे- यह बात अलग है कि वह किसी फलसफे में विश्वास करते हों, वह जिस फलसफे के तसादुम हो, आइडियोलोजी के तसादुम हों, दृष्टिकोण का फेर हो-वह जुदा बात है, जो लोग इसमें विश्वास नहीं रखते-उनके लिए जगह नहीं हो सकती लेकिन जो लोग बीस सूत्री प्रोग्राम में विश्वास करते हैं और जिन

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

जमातों ने बीस सूत्री प्रोग्राम के लिए साफ साफ अल्फाज में कहा है, इसको लागू करने से जरूरतमन्द को राहत मिलने वाली है, उन पार्टियों का यह भी कहना है, जो जनता के नुमाइन्दें हैं, उनकी आवाज इसमें शामिल होनी चाहिए। जो कमेटी, उच्च स्तर की कमेटी बनाई जाय विधान सभा के लोगों की, उस तक हमको आवाज को पहुंचाना होगा और उसकी नुइयत और उसका केरेक्टर कुछ भी हो लेकिन मैं यह मानता हूं कि जो उसकी सिफारिशात हों उन सिफारिशात को पूरे ध्यान के साथ राज्य सरकार इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करे। यह जो कमेटी बने, यह अपने विचार की सब-कमेटियां बनायें, जो जनता के लोग हैं उनमें से चुन कर और उनकी राय जाननी चाहिए। इस सदन की उस कमेटी मे, जिसका निर्माण यहां से किया जाय, वह लोग अपनी राय रखें और उसके बाद वह सिफारिशात' राज्य सरकार को दे दी जायें जिसको लागू करना उनके लिए अनिवार्य करार दे दिया जाय। सभापति महोदय, बीस सूत्री प्रोग्राम में सात ऐसे सूत्र हैं जिनका सम्बन्ध किसानों से, शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों से, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों से और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों से है, जिनकी माली हालत बहुत खराब है और मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस वर्ग की आवासीय समस्याओं को हल करने की कोशिश की है और बहुत से पट्टे इस सिलसिले में वितरित किये गये हैं लेकिन इस सदन में, सभापति महोदय, यह सवाल एक बार नहीं अनेक बार उठाया गया है कि बाज लोगों को ऐसी जमीन के पट्टे मिल गये जो वह इस्तेमाल नहीं कर सकते और जिसमें उनको कोई लाभ नहीं है। इसके अतिरिक्त यह सवाल भी कई बार उठाया गया है कि यह जो अब तक काम किये गये हैं वह सराहनीय जरूर हैं लेकिन बहुत से काम अभी बाकी हैं। इसके अलावा कर्ज के बारे में जो कानून पास किया गया उससे कम से कम हमारी पार्टी संतुष्ट नहीं और मान्यता यह है कि यह जो आपने कानून बनाया, एक छोटे से वर्ग को शामिल करके जो विधेयक पारित किया है, वह एक बहुत छोटा सा वर्ग है, जिसको इस कानून के मातहत राहत मिलेगी। जो मिडिल क्लास के गांव में लोग हैं, या थोड़ी जमीन रखते हैं, उनको इस कानून से सिवाय इसके और राहत नहीं मिल सकती कि कानून के मातहत आपने कर्ज की वसूली को स्थगित किया है। इसलिए मैं इस कर्ज के मुतल्लिक यह निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, कि इसको राज्य सरकार इस दृष्टि से देखे और यह आंकड़े जमा करे गांवों में, उन्होंने जो यह बिल पारित किया है, जिसे एक्ट की शक्ल में उन्होंने लागू किया है, उस एक्ट से कितने लोगों को राहत मिलती है। आज जमीन के आधार पर आप किसी की आर्थिक स्थिति का अन्दाज सही तरीके से नहीं कर सकते। बहुत से किसान जो स्माल फार्मर की तारीफ में मार्जिनल फार्मर की तारीफ में नहीं आते, वह कर्ज के बोझ से दबे हैं। उनकी जमीन उस साहूकार के पास रहन रखी हुई है। वह इस स्थिति में नहीं हैं कि वह अपनी जमीनों को छुड़ा सकें, वह आपके इस कानून के द्वारा कोई राहत हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से वह छोटे छोटे काम करने वाले, जो गांव के अन्दर छोटी छोटी इण्डस्ट्रीज चला रहे हैं, उनको जो सहूलियतें मिलनी चाहियें वह सही तरीके से उनको नहीं मिल रही हैं।

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

राजस्थान सरकार करोड़ों रुपए, बड़े बड़े उद्योगों में सीमेंट फैक्ट्रीज में, साहू जैन के कारखानों में और इसी किस्म के कारखानों में देती है, जो कर्ज लेकर कारखानों को खत्म कर देते हैं और वर्षों तक उसका इस्तेमाल करने के बाद नुक्सान दिखा देते हैं। आज इसी किस्म का मसला सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री का है जिसके बारे में मुख्य मंत्रीजी ने सदन को विश्वास दिलाया था कि बहुत शीघ्र उस सीमेंट फैक्ट्री को चालू किया जाएगा और वहां पर जो लगभग पांच हजार मजदूर बेकार हैं, उनको राहत पहुंचाई जाएगी। पर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सरकार की ये नीतियां सही आधार पर नहीं चल रही हैं। अगर आप 50 करोड़ रुपए छोटे छोटे कारोबार चलाने वालों को दें किसी को वेल्डिंग मशीन के लिए, किसी को रिक्शा के लिए, किसी को कागज बनाने के लिए, कपड़ा बुनने वाले को कपड़ा बनाने के लिए दें तो वह ज्यादा लाभदायक होगा। आप बड़ी बड़ी रकम एक एक कारखाने में फंसा देते हैं और फिर वसूली होती नहीं। राज्य सरकार को अपनी नीतियों में परिवर्तन लाना होगा और उस वर्ग की तरफ भी देखना होगा जो पिछड़ा हुआ है और आज जिसकी हालत दयनीय है। मैं यह निवेदन इसलिए करना चाहता हूं कि पंजाब के स्वर्गीय मुख्य मंत्री, श्री प्रताप सिंह कैरो ने सबसे पहला काम अपने हाथ में यह लिया कि एक एक गांव में छोटे छोटे उद्योग लगाए। दरअसल उनका यह सबसे बड़ा कारनामा है। उन्होंने पंजाब के गांवों में छोटे छोटे उद्योग का जाल बिछा दिया। कहीं कपड़ा बुनने का कारखाना, कहीं साइकिल पार्ट्स बनाने का, कहीं कागज बनाने का, कहीं कपड़ा बनाने का और छोटे छोटे कारखाने जो हैंडलूम पर चलने वाले थे, उनका निर्माण किया। वह शख्स आज हमारे बीच में नहीं हैं लेकिन आप वहां जाकर देखें। मैं वहां गया हूं, मैंने अध्ययन किया है। आपकी नीतियों में कई मूलभूत कमियां हैं वह यह है कि आप पूंजीपतियों को कितनी भी रियायतें दें लेकिन आपकी वह रकम सिक्योर नहीं हो सकती और जो कारखानों में काम कर रहे हैं उनके भी हाथ लगने वाली नहीं है। तो सभापति महोदय, हमें अपनी नीतियों में परिवर्तन लाना चाहिए बजाय इसके कि पूंजीपतियों को और कर्जा दें, उनको सस्ती बिजली और पानी दें, अगर उसी रकम को हम डाइवर्ट करके और छोटे छोटे उद्योगों में लगायें तो आप गांवों की इकानामी में बड़ी तबदीली लायेंगे ?

इस बीस सूत्री प्रोग्राम में मजदूरों को राहत दिलाने की बात कही गई है। झोटवाड़ा काम्पलेक्स में 100-150 कारखाने ऐसे हैं जो सही तौर से काम नहीं करते और बहुत से कारखानों को, जिनको राज्य सरकार ने बगैर यह जाने कि वे कैसे काम करने वाले हैं, पैसा दे दिया वे आज बंद हैं। श्रम विभाग उनकी कठिनाइयों की तरफ कोई तवज्जह नहीं करता और झूठे आंकड़े पेश कर दिए जाते हैं। मैं उन मजदूरों की दिक्कतों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कलेक्टरी एरिया में लेबर कोर्ट थी और एक प्राइवेट घर में लेबर का फैसला करने वाले जजेज बैठा करते थे। मुझे अफसोस के साथ कहना पडता है उसको मोती डूंगरी से आगे ऐसी जगह रखा गया कि अगर एक मजदूर वहां जाए तो कम से कम 10-15 रुपए आने जाने में खर्च करना पड़ता है। अब क्योंकि मुख्य मंत्रीजी नहीं हैं लेकिन उपनेता बैठे हुए हैं, मैं यह कहना चाहता हूं

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

कि आपने मजदूरों पर बहुत बड़ा जुल्म इन्टेन्शनली या अनइन्टेंशनली किया है, क्या उसको वापिस लेने को तैयार हैं ? होना तो यह चाहिए था कि जिस एरिया में ये कारखानें, मिलें, फैक्ट्रीज व उद्योग हैं उनके बीच में कोर्ट को ले जाकर रखते। उसके बजाय 6 मील के फासले पर आपने कोर्ट खोल दिया इससे मजदूरों की इतनी कठिनाई बढ़ गई कि वे पहुंच भी नहीं पाते उनका वहां जाने में काफी खर्चा होता है, न वकील कर सकते हैं न सक्षम हैं कि वहां वकील को ले जायं। आप इस कठिनाई की तरफ राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करें और जो आफिस वहां खोले गये हैं उसको मजदूर एरिया मे ले जायं। 20 सूत्री प्रोग्राम सिर्फ सूत्र नहीं है जिसका आप टेक्नीकल इन्टरप्रिटेशन करें बल्कि आपको उसकी स्प्रिट को देखना होगा, उसके पीछे जो भावनायें हैं वह देखनी होंगी। वह यह है कि जो लोग इस समय तक पिछड़े रहे हैं, जिनको दो बार खाने को नहीं है, उनको राहत देना आपका और हमारा कर्त्तव्य है और उन लोगों का भी कर्त्तव्य है जो 20 सूत्री प्रोग्राम मे विश्वास रखते हैं।

तो मैं इस रिजोल्यूशन की ताईद करता हूं कि एक ऐसी बाडी विधान सभा सदस्यों की बनाई जाए जो राज्य सरकार को प्रभावित कर सके। जो कमेटीज अब तक सरकार कायम कर रही है वे उस हद तक राज्य सरकार को प्रभावित नहीं कर पाई है जिस हद हम आशा करते थे। समय बीतता गया, वर्ष गुजर गया और अब साल भर बाद हम चुनाव के मैदान में उतरने वाले हैं, फिर जनता हमसे पूछेगी कि आपने 20 सूत्री प्रोग्राम किस हद तक लागू किया और आज आप किस आधार पर हमारे सामने आए हैं ? इसलिए मैं, जो प्रगतिशील लोग और संस्थायें हैं, उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय वृद्धिचंद्रजी ने जो तजवीज रखी है, उसको यह सदन मंजूर करे और एक कमेटी का निर्माण किया जाएं।

श्री सभापति : मंत्रीजी।

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री) : सभापतिजी, जो संकल्प बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने 23 जनवरी, 1976 को इस सदन में प्रस्तुत किया था, वह इस प्रकार है :

> "इस सदन के माननीय सदस्यों की एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति हेतु अनिवार्य है।"

उक्त संकल्प पर एक संशोधन पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया था, जो उन्होंने दूसरी पंक्ति में किया था, वह इस प्रकार है :

> "जिसमें अधिकतर सदस्य अनुसूचित जाति, जन-जाति व कमजोर वर्ग के हों"

बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने दलील दी है कि हमारी नीयत और भावना विधान सभा सदस्यों के समक्ष ही रख सकते हैं, विधान सभा जन प्रतिनिधियों की एक मात्र रिप्रजेन्टेटिव संस्था है इसलिए इस संस्था के सदस्यों की एक उच्च स्तरीय कमेटी बिठाई जाए जो 20 सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति करे।

(श्री परसराम मदेरणा)

सभापति महोदय, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य एक स्पष्ट वक्ता हैं, काफी समझदार और आनेस्ट हैं, अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिनका जीवन एक खुली किताब की तरह है जो कि जिला स्तर और तहसील स्तर की कई कमेटियों के मेम्बर हैं, मैं नहीं समझ सकता कि वह किस प्रकार कह रहे हैं कि चूंकि वह अपनी बात तहसील और जिला स्तर पर नहीं कह पायेंगे इसलिये विधान सभा सदस्यों की 20 सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये एक स्टेट लेवल पर कमेटी बनायी जाय ? माननीय सदस्य ऊंचे लेवल पर बैठ कर 20 सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति कैसे करेंगे जब कि 20 सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति ग्रास रूट्स पर होनी है। आप यहां पर स्टेट लेवल की कमेटी बनाने की मांग करते हैं जिसमें विधान सभा के 9 सदस्यों को लिया जाये, एक मेम्बर पार्लियामेंट का लिया जाय। इसके अलावा मेम्बर्स हों। इस प्रकार आप विधान सभा के सदस्यों की उसमें मेजोरिटी रखना चाहते हैं यानि कुल 16 सदस्यों में से 9 आप अपने रखना चाहते हैं। दूसरी बात बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जो स्टेट लेवल पर कमेटी बनी है 20 सूत्री कार्यक्रम के अमल के लिये उसमें कहीं भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति का सदस्य और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है। इसलिये इन्होंने यह 16 सदस्यों की एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव किया है। मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य, श्री रावत रामजी जो चूरू से आते हैं वह उस कमेटी के मेम्बर हैं, क्या वह अनुसूचित जाति के नहीं हैं ? मेरे ख्याल से वह अनुसूचित जाति के हैं। तो जो यह बात कहीं वह उन्होंने गलत कही। इसके अलावा उन्होंने एक बात यह भी कही थी कि जो भूमिहीनों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों को भू-खण्ड आवासीय व्यवस्था के लिये वितरण करने हैं जिसकी कि पहली किस्त दी जा चुकी है और करीब 8 लाख आवासीय भू-खण्ड बांटने हैं उसमें करीब तीन अरब रुपयों की जरूरत होगी तो आप जो समिति बना रहे हैं जिसमें विधान सभा के सदस्य 9 होंगे, वह तीन अरब रुपया कहां से प्राप्त करेगी ? यह कमेटी क्या तीन अरब रुपया कोई पाताल तोड़ कुए में से निकाल कर लायेगी या कोई आकाश में नेशनल हाईवे से प्राप्त करेगी ? यह तीन अरब रुपया अगर प्राप्त होगा तो मैं समझता हूं कि जो रुपया है वह हमारा रिजर्व बैंक आफ इन्डिया है उसके माध्यम से मिलता है। वह हमारी फिसकल पालिसी को कन्ट्रोल करता है। उसकी कुछ सर्टेन मर्यादायें होती हैं जिसके मार्फत पोलिसी ले डाउन होती है और उसके बाद में अलग अलग एजेन्सीज के मार्फत रुपया प्रायोरिटीज के बेसिस पर आवंटित किया जाता है। तो तीन अरब रुपये की धनराशि यह कमेटी कहां से पैदा करेगी ? यह मेरे समझ में नहीं आता है, मेरे लिये एक चिन्ता का विषय है। इसके अलावा बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि बाड़मेर हमारे देश भारतवर्ष की सीमा पर है और इसकी सीमा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है और इस नाते हमारे देश का बाड़मेर एक प्रथम प्रहरी है और प्रथम प्रहरी होने के नाते वहां पर विकास कार्य नहीं होने तथा 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की क्रियान्विति नहीं होने से वहां के लोगों में निराशा है।

(श्री परसराम मदेरणा)

बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात भी जो कही, माननीय सदस्य आप वृद्धिचन्द्र जी मेरी बात सुन रहे हैं ? आप ने कहा कि प्रथम प्रहरी होने के नाते वहां के लोगों में निराशा की भावना है और इससे अपने देश को खतरा पैदा हो सकता है । तो जहां तक पैसा खर्च करने का सवाल है, पैसा आवंटित करने का सवाल है, यह वित्त मन्त्रीजी और योजना मन्त्रीजी तय करते हैं। तो शायद बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य को यह मालूम होगा कि बाड़मेर में 1 नम्बर की नेशनल हाईवे की सड़क जाती है, डिफेन्स की सड़क बनी हुई है । इसके अलावा वहां पर लिफ्ट इरिगेशन के लिये सर्वे भी हो रहा है। इसके साथ साथ बाड़मेर के कुछ गांवों में नर्बदा योजना के अन्तर्गत पानी भी सिंचाई के लिये प्राप्त होगा । ऐसी आशायें हैं। इसी के साथ साथ बाड़मेर जिले में अभी डी० पी० ए० पी० की योजना भी क्रियान्वित की जा रही है । इन सभी विकास कार्यों को देखते हुए हमारे देश के प्रथम प्रहरी के नागरिकों में निराशा की भावना नहीं होनी चाहिये । बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि जो आर्थिक अपराध हमारे यहां होते हैं उन आर्थिक अपराधों के विरुद्ध आर्थिक कार्यक्रम एडीक्यूएट कदम नहीं उठाये गये हैं । इस बारे में भी उन्होंने निवेदन किया है । तो मैं उन्हें यह निवेदन करना चाहता हूं अभी हमारे यहां पर वोलेन्ट्री डिसक्लोजर स्कीम गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया ने निकाली थी जिसके अन्दर हमारे यहां पर करीब 1,500 करोड़ रुपये का डिसक्लोजर हुआ । तो अगर यह आर्थिक अपराधों के प्रति सक्रियता राज्य सरकार नहीं बरतती तो यह काला धन 1,500 करोड़ रुपये का कैसे बाहर आता ? इसके अलावा कुछ ऐसे लोगों के खिलाफ में भी कार्यवाही हुई है जिनकी संख्या तो मुझे अभी पता नहीं है लेकिन आर्थिक अपराध जो इन्टरनेशनल स्तर पर स्मगलिंग का काम होता था उन लोगों को जेल के सीखचों में बन्द कर दिया है । कुछ लोग जो एसेन्शियल कोमोडिटीज एक्ट की खिलाफवर्जी करते थे उनको भी जेल में बन्द कर दिया है । इसके अलावा भी जो लोग आर्थिक अपराध करते हैं उनको जेल के सीखचों में बन्द किया गया है । इसके अलावा आर्थिक अपराध के लिये जो कानून बनाया हुआ है उस सेन्ट्रल एक्ट के तहत कस्टम डिपार्टमेंट, एक्साइज, सेन्ट्रल इन्कम टैक्स विभाग, और वेल्थ टैक्स और कम्पनीज लां एक्ट के तहत काफी लोगों के खिलाफ में कारगर कदम उठाये गये हैं । अतः माननीय सदस्य ने 23 जनवरी को यहां पर जो मोशन मूव किया था उसमें यह भी लिखा था कि सदन के माननीय सदस्यों के प्रेक्टीकल अनुभव, उनके एक्सपीरियन्स का काफी उपयोग हो सकेगा । तो, माननीय सदस्य, तहसील स्तर पर और जिला स्तर पर जो कमेटीज बनी हुई हैं उनमें उनके एक्सपीरियन्स को काम में लाया जा सकता है। तो स्टेट लेवल पर कमेटी विधान सभा के सदस्यों की 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में क्या करेगी । सभापति महोदय, 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम हमारे देश की नेता श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने हमारे देश के लोगों को दिया है । एक नयी दिशा दी है देश को । सार्वजनिक क्षेत्र में इम्पलीमेन्टेशन 20 सूत्री कार्यक्रम का हो । हमारे देश का रिकन्स्ट्रक्शन होने के लिये यह आर्थिक कार्यक्रम दिया है,

(श्री परसराम मदेरणा)

इसका इम्पलीमेन्टेशन भी किया जा रहा है। सीलिंग कानून का इम्पलीमेन्टेशन किया जा रहा है। इसके अलावा मिनिमम एग्रीकलचर प्रोग्राम की क्रियान्विति की जा रही है। एक माननीय सदस्य ने यहां पर शक्कर के वितरण के बारे में बात की सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य थे जिन्होंने यह कहा कि सुमेरपुर के इलाके में सांडेराव और सुमेरपुर में एक साल से शक्कर नहीं आ रही है राशन की। तो यह चीज तो तहसील स्तर की चीज है, इसमें कहां गड़बड़ है, माननीय सदस्य तहसील स्तर पर कमेटी के मेम्बर हैं उन्हें वहां इस मुद्दे को उठाकर लोगों की तकलीफ को समाप्त करना चाहिये। अगर शक्कर वितरण में गड़बड़ी है तो यह कोई स्टेट लेवल कमेटी की बात नहीं है। (श्री मूलचन्द सामरिया की ओर इशारा करके) मूलचन्दजी मैं आपके प्रश्न पर भी आ रहा हूं आप फिक्र नहीं करें। डग से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि पटवारी लोग एक ही जमीन को दो दो व्यक्तियों को अलोट कर देते हैं। तो यह तो ग्रास रूट्स पर इम्पलीमेन्टेशन हुआ कि नहीं, यह देखने की बात है। पाली से आने वाले माननीय सदस्य अभी यहां पर हाजिर नहीं हैं, उन्होंने सीलिंग में आने वाली जमीनों का मुफ्त में आवन्ट न करने का कहा। यही बात सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही। तो इसके लिये जिसकी भी जमीन ली जायेगी उनको कम्पेनसेशन देना पड़ेगा। कानून बना हुआ है इसके लिये एक कमेटी जिला स्तर पर बनी हुई है। वह जमीन किस प्रकार अलोट करती है, उसके अनुसार ही काम होगा। कानून सदन ने पास किया है इसलिये उसी के अनुसार कार्यवाही होगी। इसलिये बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य के, हालांकि वे स्पष्ट वक्ता अवश्य हैं, किसी भी सुझाव को मानने में मैं असमर्थ हूं।

पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने भूमि के समाजीकरण की बात कही। कहा कि सरकार के आदेश नहीं हुए। भारत सरकार ने जो आदेश निकाले उनको 9 फरवरी, 1976 को, सत्र के प्रारम्भ होने से दो दिन पूर्व ही, हमने राजस्थान में अडोप्ट कर लिया है। 1 लाख के शहर शामिल नहीं किये गये हैं। उसके लिये तो टाउन प्लानिंग कार्यवाही कर रहा है।

यहां पर एक्जीक्यूटिव के द्वारा इम्पलीमेन्टेशन की बात कही गयी। यह जो मैकेनिज्म 20 सूत्री प्रोग्राम को इम्पलीमेन्ट करने के लिये खड़ा किया गया मैं उसके इतिहास में जाना चाहूंगा। इन्डियन नेशनल कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के द्वारा एक सब-कमेटी कायम की गयी। उसकी रिपोर्ट वर्किंग कमेटी के सामने प्रस्तुत की गयी और उसने निर्णय लिया कि स्टेट लेवल कमेटी जब बनेगी, इन लोगों की बनेगी। जिला कमेटीज में ये लोग होंगे और इस प्रकार के लोग होंगे। तहसील लेवल पर राज्य सरकार पर छोड़ दिया है। स्टेट कमेटी ने निर्णय लेकर उपयुक्त आदेश दिये।

यह पत्र इन्डियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष, माननीय बरुआ साहब का है राजस्थान के मुख्य मंत्री, श्री हरिदेव जोशी के नाम पर। अगस्त 27, 1975 का लिखा हुआ है। उसमें जो गाइड लाइन्स दी हुई हैं उसमें यह है, उन्होंने उसमें कहा है कि स्टेट लेवल कमेटी बनेगी, चीफ मिनिस्टर

(श्री परसराम मदेरणा)

उसके चेयरमैन होंगे और दो मिनिस्टर होंगे। एक इसमें राजस्व मंत्री और दूसरे कृषि मंत्रीजी। दो एम० एल० ए० सी० इसनें हैं और पी० सी० सी० का प्रेसिडेन्ट एक्स ओफिशियो मेम्बर होगा। "2-4 other prominent persons of the State." इस सम्बन्ध में यह बात कही गयी कि वह जो चार कांग्रेस मैन इस कमेटी में लिये गये हैं वह मोहम्मद उस्मान, मेम्बर ओफ पार्लियामेन्ट, श्री शोभारामजी, श्री रावत रामजी, श्रीमती नगेन्द्र बाला। माइनोरिटीज का इसमें रिप्रेजेन्टेशन है, शिड्यूल्ड कास्ट्स का इसमें रिप्रेजेन्टेशन है और महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी है।

एक माननीय सदस्य : ट्राइब का नहीं है।

श्री **परसराम मदेरणा :** शिड्यूल्ड ट्राइब्स के सम्बन्ध में कांग्रेस के अध्यक्ष ने कोई डाइरेक्शन नहीं दिये हैं। शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिये दिये हैं। डाइरेक्शन जैसे मेरे पास हैं वे मैं यहां रख रहा हूं।

"One or two workers experienced in constructive programme."

इन दो का नोमिनेशन किया है। श्री भोगी लालजी पांड्या, जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं, रचनात्मक प्रवृत्ति में अनुभवी व्यक्ति हैं और यज्ञदत्त, उपाध्याय, भू-दान बोर्ड के मंत्री हैं। "One person from any other party which agrees with the programme." रामानन्दजी अग्रवाल इस सदन के माननीय सदस्य हैं और कम्युनिस्ट पार्टी आफ इन्डिया को बिलांग करते हैं। इसके बाद में "One or to eminent non-party experts. In that we have taken the Dean, Faculty of Agriculture, University of Udaipur and Dean, Faculty of Economics, University of Rajasthan." इन दो व्यक्तियों को नोमिनेट किया गया है जैसा कांग्रेस प्रेसीडेन्ट का डाइरेक्शन है। चीफ सेक्रेटरी। कांग्रेस प्रेसीडेन्ट ने डाइरेक्शन दिया।

"Then the Secretary who happens to be concerned with majority of the activities."

इसलिये रेवेन्यू सेक्रेटरी इसका मेम्बर-कम-सेक्रेटरी है और सेक्रेटरी एल० एस० जी० लेबर एन्ड सोशियल वेलफेयर इसमें लिये गये हैं और इन नामों की एप्रूवल कांग्रेस प्रेसीडेन्ट से पहले ले ली गयी और उसके बाद में कमेटी कान्सटीट्यूट की गयी। मैं समझता हूं, इस प्रकार की कमेटी के सम्बन्ध में, जो कांग्रेस अध्यक्ष के आदेश और डाइरेक्शन्स से बनी है, हेर फेर करना और उसके पैरेलल कमेटी बनाना कहां तक उचित होगा ? यह स्वयं कांग्रेस मैन के सोचने की बात है। मैं इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता। दौसा से आने वाले माननीय सदस्य उस दिन भी कह रहे थे और आज भी रिपीट कर रहे थे, उनका कहना था कि सरकार में जो बैठे हैं उनका आचरण संदिग्ध न हो, पेपर पब्लिसिटी ज्यादा की गयी है 20 सूत्री प्रोग्राम में, यह उनका नजरिया है। उन्होंने एक बात कही कि रोग किसको कैसे लगा हुआ है यह हम जान सकते हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया : रोगी ही जान सकता है।

Page No 71

(71)

श्री परसराम मदेरणा : रोग को रोगी ही जान सकता है । मुझे एक बात याद आ गयी, माननीय सदस्य स्वयम् रोगी हैं, और रोग का इलाज कर रहे हैं । उनका किस तरफ इशारा है मैं इसकी चर्चा में नहीं जाना चाहता । हिन्दुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था सरदार पटेल तब बोलते नहीं थे । उनको किसी ने पूछा कि कश्मीर के बारे में स्टेटमेन्ट दिये हैं जिन्ना साहब ने, आप बोल नहीं रहे हैं। उस समय सरदार पटेल ने एक ही वाक्य कहा :

"बीमारी इतनी गहरी चली गयी है कि उसका इलाज नहीं है ।"

आपकी भी बीमारी इतनी गहरी चली गयी है कि उसका कोई इलाज नहीं है ।

श्री मूलचन्द सामरिया : बीमारी आप में है जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता है।

श्री परसराम मदेरणा : जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने कार्य समापन और उस सम्बन्ध में कहा कि जिन लोगों को भूमि का आधार मान कर फायदा देना चाहते हैं उनकी संख्या बहुत कम है और उसके सम्बन्ध में भी कुछ किया जाना चाहिये । सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की ऐसी गाइड लाइन्स हैं कि पूरे देश में युनिफार्म कार्यक्रम रखना चाहिये, एक ही कन्वेन्शन देश में होना चाहिये। चर्चा चल रही है कि इसमें कुछ चैन्जेज देश में होनी चाहिये ।

जैसा मैं पूर्व में निवेदन कर चुका हूं 20 सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति में इस सत्र के बाद में आप लोग ज्यादा से ज्यादा सक्रिय तरीके से लगेंगे क्योंकि आगे आने वाले समय में टाइम बाउन्ड प्रोग्राम भी जून के अन्त तक पूरा करना है और सदन के माननीय सदस्यों की आने वाले समय में दो तीन

(1.39 म. प.)

(श्री मीठा लाल मीणा, सभापति पीठासीन)

महीने कमेटियां, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर बनाने जा रहे हैं, बन भी गयी हैं, इसको इम्पलीमेन्ट करने के लिये, और जो इम्पलीमेन्टेशन का काम होने वाला है वह ग्रास रूट्स में होने वाला है, इस 20 सूत्री प्रोग्राम की जो मंशा है समाज के पिछड़े हुए और गरीब लोग हैं जिनको सामाजिक न्याय दिलाना और आर्थिक स्तर में सुधार लाना चाहते हैं उसके लिये हमारी चिरस्थायी प्रतिबद्धता है, हम उनको वायदा और वचन दे चुके हैं उसको निभाने के लिए इस सदन के हर एक माननीय सदस्य का, जो इस कार्यक्रम में विश्वास रखता है, आस्था रखता है उसका फर्ज है कि यह कार्यक्रम नीचे स्तर पर इम्पलीमेन्ट किया जाना बहुत आवश्यक है । हाई पावर कमेटी बने और, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह दलील दी थी कि इस कमेटी को दस बारह दिन तक बैठना चाहिए । मैं कहना चाहता हूं कि यह बैठने वाली बात तो कम करनी चाहिए और उसके इम्पलीमेन्टेशन का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जब भी कभी कोई फेल्योर्स रहे हैं, हालांकि नीतियां अच्छी रही हैं, कानून अच्छे रहे हैं लेकिन इम्पलीमेन्टेशन के अन्दर लेप्सेस रहे हैं और क्रियान्वयन के संबंध में नीचे स्तर पर जहां जहां आप सदस्य हैं, वहां आपका अनुभव और कार्य करने की शक्ति का उपयोग समाज के पिछड़े हुए लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है ।

(श्री परसराम मदेरणा)

मैं ऐसा समझता हूं कि बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य, जो हमेशा गरीबों और पिछड़े हुए लोगों के लिए चिन्तित रहते हैं, इस प्रोग्राम को चुनौती समझकर इसके इम्पलीमेन्टेशन के अन्दर कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। एक स्टेट लेवल की कमेटी इन्डियन नेशनल कांग्रेस कमेटी के डाइरेक्शन्स से बनी हुई है और यह नीति यूनीफार्मली सभी राज्यों में अख्तियार की गई है। उसमें किसी प्रकार का संशोधन व परिवर्द्धन या हेरफेर करना मैं समझता हूं कि उचित नहीं रहेगा। कांग्रेस मैन का फर्ज है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के डाइरेक्शन्स की अनुपालना में हरचन्द कोशिश की जाय और कोई कसर नहीं छोड़ी जाय। इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संकल्प रखा है उसे वह वापिस लेंगे।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, मैंने जो संकल्प 23 जनवरी, 1976 को रखा था उसके बारे में कुछ सदस्य बोले और उन्होंने इस संकल्प का समर्थन किया। मैं सबसे पहले पहल उनका आभार प्रदर्शित करता हूं। उसके बाद में मंत्री महोदयजी ने जवाब प्रस्तुत किया और उस जवाब में विशेष तौर से इस बात पर बल दिया कि जब कि अखिल भारतीय कांग्रस कमेटी के गाइड लाइन्स के आधार पर एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया हुआ है तो फिर क्या आवश्यकता है कि विधान सभा के सदस्यों की एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाय। इसका जवाब देना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने गाइड लाइन्स दी हैं और उनके अन्तर्गत जो राज्य स्तर पर समिति बनाई गई है मैंने जो सुझाव दिया है कोई उसके कन्फ्लिक्ट में नहीं दिया और न मेरी कोई मंशा है। मेरी तो मंशा यह है कि विधान सभा के सदस्यों की एक उच्च स्तरीय समिति इस प्रकार की बनाई जाये जैसे कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के वेलफेयर की एक समिति है, पब्लिक अण्डर टेकिंग्स की समिति है, पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी है। इसी प्रकार विधान सभा के सदस्यों की उच्च स्तरीय समिति हो जिसमें परमानेन्ट मेम्बर विधान सभा के सदस्य ही हों। और वह समिति अगर बन सके तो यह बीस सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में भी बहुत सहयोग दे सकती है। यद्यपि हमारी यह प्रबल इच्छा है और राजस्थान गवर्नमेन्ट की भी इच्छा है कि इस बीस सूत्री कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाय परन्तु इसके लिए हमें सब स्तरों पर प्रयास करना होगा। और सब स्तरों पर प्रयास करने में एक स्तर मैंने बताया था कि वह विधान सभा के सदस्यों की उच्च स्तरीय समिति बनाई जाय जो या तो इलेक्शन से हो या भले ही नोमीनेशन्स से हो स्पीकर द्वारा। यह मेरी मंशा इस प्रकार की है और मैंने यह स्पष्ट किया है। और मैंने यह भी कहा था कि 3 जनवरी, 1976 को जब कि हमारे मुख्य मंत्रीजी चण्डीगढ़ से पधारे थे तब उन्होंने भी इस बात पर बल दिया था। और राजस्थान पत्रिका और राष्ट्रदूत में यह न्यूज आई थी कि हम इस प्रकार एक उच्च स्तरीय समिति के गठन का सोच रहे हैं।

Page No 73

(73)

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

जो इस प्रकार का वर्किंग चल रही है उसका इवेलुएशन करें। तो उनके दिमाग में भी इस प्रकार का विचार चल रहा है। उस दृष्टिकोण को सामने रख कर ही इस प्रकार का संकल्प रखा था। इसलिए मेरा कोई यह दृष्टिकोण नहीं था कि राज्य स्तर पर जो समिति बनाई जाय वह उसके कन्फ़्लिक्ट में जाय या हम उसके संघर्ष में आयें। इसलिए हम उसके अलावा इस प्रकार, विधान सभा के सदस्यों की उच्च स्तरीय समिति का गठन चाहते थे। मैंने इस बात पर बल दिया था कि जो हमने कानून पास किये हैं उन कानूनों को किस प्रकार इम्पलीमेन्ट किया जाए। उन कानूनों का प्रेक्टिकल एप्रोच नहीं है और कानूनों में कोई तरमीम करना आवश्यक है तो यह समिति, जो विधान सभा के सदस्यों की है, उसमें सुझाव दे सकती है। इसलिए मैंने इस दृष्टिकोण से इस बात को रखा था और इस बात को रखने के साथ ही साथ मैंने यह सुझाव भी दिया था कि अगर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की गाइड लाइन्स के अनुसार राज्य स्तरीय समिति के गठन में कोई परिवर्तन करना हो तो यह आवश्यक है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति का सदस्य उसमें लिया जाये। हमारी जो समिति विधान सभा के सदस्यों की उच्च स्तरीय समिति थी उसके लिए मैंने इस बात पर बल दिया था और इस मामले में पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने अमेन्डमेन्ट भी रखा था कि वह समिति बने और उसमें अधिकांश सदस्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति और कमजोर वर्ग के हों। उनकी भी यही इच्छा थी कि इसमें अगर हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के सदस्य अधिक रखें तो वह अपने फोर्स को अच्छी तरह से प्लीड कर सकेंगे और वे उन गरीब तबकों के बारे में विशेष तौर पर कार्य कर सकेंगे। तो जो अमेन्डमेन्ट उन्होंने रखा था मैं उसको पूरी तरह से तो नहीं मानता कि उसमें अधिकांश सदस्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के हों, और भी सदस्य हैं जो कि उनके वेलफेयर के लिए एक दृष्टिकोण रखते हैं, विचार रखते हैं। तो इस प्रकार की समिति मैंने बनाने के लिए सुझाव प्रस्तुत किया था। अब उन सुझावों को प्रस्तुत करते समय मैंने कुछ विचार भी प्रकट किये थे बीस सूत्री कार्यक्रम के बारे में।

मंत्री महोदयजी ने इस बात का विशेष तौर से उल्लेख किया कि 3 अरब की पूर्ति यह समिति कैसे पूरी कर देगी। मेरी यह मंशा कभी नहीं थी। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने मेरे भाषण को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा और मेरे ऊपर एक आक्षेप लगा दिया। मैंने स्पष्ट यह कहा है, मेरे शब्दों को पढ़िये....

श्री परसराम मदेरणा : मैंने आक्षेप नहीं लगाया है। आपने एक बात कही कि मैंने आपके भाषणों को नहीं पढ़ा तो उतना तो मेरे पास समय नहीं है और आपके भाषण प्रिन्ट भी नहीं हुए हैं। मैंने सुना ध्यान से था और 23 जनवरी की बात मैंने आपसे कही है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैंने यह बात कही थी, मैंने तो गवर्नमेंट के लिए ही कहा था कि यह जो 3 अरब और 20 करोड़ रुपया है यह राज्य सरकार को खर्च करने की

Page No 74

(74)

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
क्षमता नहीं है और खर्च कर नहीं सकती है इसीलिए इस प्रकार की जो योजना बनाई कि चार चार हजार रुपये लोन में दें। हम सोचें कि हम इस प्रकार के पक्के मकान नहीं बना कर हम कच्चे मकान बनावें। मैंने तो इस प्रकार के विचार प्रगट किए थे कि राज्य सरकार अगर बसाने का कार्य नहीं कर सके तो पक्के मकान बनाने के बजाय कच्चे मकान बनाने चाहिए ......

श्री परसराम मदेरणा : बाड़मेर में सभी ढाणियां कच्ची हैं। बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य कच्चे मकान बनाना चाहते हैं तो जिला स्तर की कमेटी में जाते ही इस काम को हाथ में ले लेना चाहिए।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं कई बातों को विशेष दृष्टिकोण से देख रहा हूं। डेजर्ट एरिया के बारे में ही नहीं देख रहा हूं। मैं तो सारे राजस्थान के बारे में बात कह रहा हूं। आप तो सीमित दायरे में सोच रहे हैं। इस प्रकार मैंने राज्य सरकार को इस प्रकार के विचार दिए कि वह थिंक करें। इस प्रकार के कच्चे मकान बनायें क्योंकि पक्के मकान बनाने की क्षमता नहीं है। इस प्रकार के वायदे करते हैं और फिर उन वायदों की पूर्ति नहीं करते। सेंक्शन कर दिया, हाउस के बारे में, मकान बनाने के लिए तो सेंक्शन क्यों किया जब वह भी खर्च नहीं कर सकें। जब इस प्रकार की क्षमता नहीं है तो सेंक्शन क्यों करते हैं? मैं तो यह चाहता हूं। सेंक्शन नहीं करना चाहिए। तो जो क्षमता है राज्य सरकार की वही कार्य हाथ में लेने चाहिए।

दूसरी बात मैंने जो यहां रखी थी वह विद्युत के बारे में मैं कह रहा था। विद्युत के बारे में मैंने कहा था कि राजस्थान सरकार को सोचना चाहिए कि सीमावर्ती जिले बाड़मेर, जैसलमेर हैं उनमें अभी तक भी 132 के वी० की० लाइन का प्रसार नहीं किया गया है। तो मैं इस दृष्टिकोण से कहना चाहता हूं और आपने डी० पी० ए० पी० की योजना बता दी, दूसरी बातें बता दीं। आप खुद जानते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना और फिर तीन सालों की योजना और पांचवीं पंचवर्षीय योजना चल रही है, सबसे अगर कम व्यय हुआ है तो वह बाड़मेर जिले में हुआ है, इन योजनाओं में। तो यह आपको देखना चाहिए। इस दृष्टिकोण से कहा था कि इन लोगों का मोरल अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इन जिलों की ओर देखना चाहिए। तो आप इस प्रकार सोचें कि हमने बहुत डवलपमेंट कर दिया, अगर रोड्स के बारे में किया तो रोड्स जो हैं.........

श्री परसराम मदेरणा : बिजली आदि का कार्यक्रम केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में है। सुपर थरमल बिजली और बनायी जाय, यह जनरेशन और प्रोडक्शन से सम्बन्धित है। वहां लाइन डालने की बात नहीं है। इसलिए वहां पर हाईडल पावर कहां हो सकती है? प्रोडक्शन का प्रश्न है इसमें। यह बीस सूत्री प्रोग्राम में सूत्र नम्बर 8 है कि वहां पर प्रोडक्शन कैसे बढ़े। हाईडल पावर बाड़मेर में कैसे कर सकते हैं, इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य बतायें।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं जानता हूं सूत्र नम्बर 8 को। मैंने जो प्रस्ताव रखा था वह सारे राजस्थान को सूत्र नम्बर 8 में कवर करता है या नहीं? कई कारणों से यह अलग

Page No 75

(75)

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

है। तो आप को मेरे भाषण के बारे में, जब आप जवाब दे रहे थे, तो कम से कम पूरी जानकारी प्राप्त करनी थी और फिर जवाब देना चाहिए था। आप ही बहुत स्पष्ट और ईमानदार व्यक्ति हैं और बहुत अध्ययनशील व्यक्ति हैं तो आपको अध्ययन करके जवाब देना चाहिए था।

अब अगर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राज्य स्तर पर समिति बनाई है उसके बारे में भी मैंने थोड़े से कुछ विचार रखे थे, साहब। मैं अब भी कहता हूं कि इन बीस सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए राज्य स्तर पर जो समिति बनी है, आपकी समिति बनी हुई है उसके अन्दर भी शिड्यूल्ड ट्राइब्स के सदस्य नहीं हैं। 12 प्रतिशत शिड्यूल्ड ट्राइब्स की जनता राजस्थान प्रान्त में रहती है, इनकी इस प्रकार आपको अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जो गाइड लाइन बनी हैं उनमें भी अगर आप चाहेंगे, हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी चाहेगी, हमारी कांग्रेस अगर चाहेगी तो हम कुछ सुझाव भी प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सुझाव प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। गाइड लाइन्स उन्होंने दे दी अगर हम उनमें महत्वपूर्ण सुझाव दें, रचनात्मक अगर हम सुझाव दें तो वह सुझावों का भी स्वागत करेंगे। इसलिए जो राज्य स्तर पर समिति बनी है उसको आपको यह सुझाव प्रस्तुत करना चाहिए, हाई कमाण्ड को सुझाव प्रस्तुत करना चाहिए कि शिड्यूल्ड ट्राइब्स का भी इस प्रकार सदस्य हो। यह समिति बनी है उसके अन्दर जब कि वीकर सेक्शन के लिए यह प्रोग्राम है तो राज्य स्तर पर जो समिति बनी है उसके अन्दर एक शिड्यूल्ड कास्ट्स का और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का सदस्य है तो यह भी उनकी संख्या को देखते हुए कम है जब कि उनकी संख्या 28 पर्सेन्ट है और उन्हीं के लिए, वीकर सेक्शन को आगे बढ़ाने के लिये हम कार्यक्रम हाथ में ले रहे हैं तो कम से कम 28 पर्सेन्ट सदस्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के सदस्य हों। इसकी भी जो गाइड लाइन बनी है उस पर आपको विचार करना चाहिए। अगर आपका सुझाव इस प्रकार सही होगा, रचनात्मक सुझाव होगा तो इन सुझावों पर हाई कमाण्ड और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी गौर करेगी। तो मैंने जो प्रस्ताव रखा था वह बहुत ही अच्छी भावना के साथ में रखा था। मैं यही चाहता हूं कि इस बीस सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति करने में कांग्रेस पूरी शक्ति के साथ जुट जाय, जिला स्तर पर जुट जाय, तहसील स्तर पर जुट जाय, राज्य स्तर पर जुट जाय और पूरी शक्ति लगा कर हम बीस सूत्री कार्यक्रम का क्रियान्वयन करें। अगर बीस सूत्री कार्यक्रम का हमने क्रियान्वयन नहीं किया, अगर हमने कमजोरी बरती, हमने अगर ढिलाई बरती तो हमारे लिए यह बहुत ही घातक होगा। हमें अगर कामयाबी नहीं मिली तो इसके परिणाम भी बहुत ही भयंकर होंगे। इसलिए मैं यही चाहता हूं कि कांग्रेसमैन, तीन तारीख को सदन जब एडजोर्न हो, उसके बाद में गांवों में जा कर के, क्षेत्र में जा कर के, पूरी शक्ति लगा कर के इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करें। मेरा कांग्रेस का अनुशासित सिपाही होने के नाते यह भी फर्ज है कि मैं उसके आदेश का पालन करूं इसीलिए मैंने जो विचार रखे हैं, मेरे जो सुझाव हैं वह आप हाई कमाण्ड तक पहुंचा दें, आप मंत्रि-मण्डल में विचार कर लें

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

अनुशासित सिपाही के नाते ही मैंने सुझाव रखे हैं। उनके साथ में जो संकल्प रखा है मैं उसको विथड्रा करता हूं।

श्री **परसराम मदेरणा** : माननीय सभापतिजी, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने संकल्प तो वापस ले लिया है लेकिन मैं एक सुचना देना चाहता हूं.....

श्री **सभापति** : अभी सदन की अनुमति प्राप्त नहीं हुई है।

श्री **परसराम मदेरणा** : अभी जैसा कि वे कह रहे थे, उन्होंने 4 जनवरी, 1976 का मुख्य मंत्रीजी का एक वक्तव्य पढ़ा था और उस सम्बन्ध में मैंने अध्ययन करके जवाब नहीं दिया। कई बातों का अध्ययन नहीं कर सका, इस पर पुर्नविचार करके चूंकि मुझमें अध्ययनशीलता कम है उसको पूरा करना चाहिए। मुख्य मंत्रीजी ने मुझे ऐसा बताया है, अभी दो दिन पहले ही बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि एक समिति ऐसी बना दी है जो बीस सूत्री प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन का इवेल्यूएशन करेगी और अवलोकन करेगी......

श्री **विजयसिंह** : आपका भाषण भी तो नहीं पढ़ा आपने।

श्री **परसराम मदेरणा** : इनके भाषण को दुबारा नहीं पढ़ सका इसलिए कि मुझे अपनी याददाश्त पर भरोसा है। कुछ शंकाएं और आशंकाएं खड़ी कर दीं तो मैं उनके भाषण को दुबारा पढ़ूंगा और उनके भाषण का दुबारा अध्ययन करूंगा। राज्य स्तर की जो केमेटी है उसमें जो आपके सुझाव हैं, उन सुझावों को भी मैं निश्चित तौर पर कमेटी के सामने रखूंगा।

जहां तक रिप्रेजेण्टेशन देने की बात है उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता लेकिन सदन के अन्दर धारणा ऐसी बन गई कि बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य जितने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के हित में हैं और उनके हितों के बारे में जितने वे जागरुक हैं, दूसरा कोई जागरुक नहीं है। इसलिए उनका रिप्रेजेण्टेटिव हो और कमेटी में बैठ करके उनके हितों की वे खुद ही रक्षा कर सकें, मैं इन बातों को मानने वाला नहीं हूं। यह तो इंसान की विचारधारा, उसकी आयडोलोजी से और उसकी कार्यक्रम में आस्था और निष्ठा से सम्बन्ध रखती है। तो जो आपने बातें कही हैं, मैं निश्चित तौर पर कमेटी के सामने रखूंगा।

श्री **मूलचन्द सामरिया** : लेकिन हाई कमांड तक इनकी बात कैसे पहुंचेगी ?

श्री **परसराम मदेरणा** : The disease is incurable.

श्री **सभापति** : प्रश्न यह है कि दिनांक 23 जनवरी, 1976 को श्री वृद्धिचन्द्र जैन द्वारा प्रस्तुत संकल्प को वापिस लेने की अनुमति दी जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी जाती है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री **वृद्धिचन्द्र जैन** : सभापति महोद मैं अपना संकल्प वापिस लेता हूं।

श्री **सभापति** : संकल्प वापिस लिया गया।

दहेज प्रथा निवारण

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल।

(श्री हरिशचन्द्र पल्लीवाल)

[निम्नांकित प्रशासकीय संकल्प सदन में प्रस्तुत किया गया]

इस सदन की सम्मति है कि राज्य में दहेज प्रथा की समाप्ति के लिये राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही शीघ्र की जानी चाहिये तथा इस कार्य में सभी सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं का सक्रिय सहयोग प्राप्त करना चाहिये ।

श्री हरिशचन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : सभापति महोदय, दहेज प्रथा समाप्ति के लिए मैंने यह संकल्प प्रस्तुत किया है । वैसे तो आज इस पर विधेयक आ गया है लेकिन जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि केवल विधेयक से ही जो यह दहेज प्रथा है वह समाप्त नहीं हो सकेगी क्योंकि दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए हमें एक जन जागृति पैदा करनी पड़ेगी इस देश के अन्दर इस प्रथा को जो कि हमारे देश में सामाजिक कुरीतियां हैं, उसके अन्दर दहेज प्रथा की सब से बड़ी कुरीति है । इसको दूर करने के लिए हमें हमारे देश के अन्दर एक इस तरह की जागृति पैदा करनी पड़ेगी, गांव गांव में, शहर शहर में जा कर के लोगों को यह बताना पड़ेगा कि यह दहेज प्रथा हमारे लिये कितनी हानिकारक है । उसके क्या क्या परिणाम आज तक रहे हैं अगर यह बदस्तूर रही तो कितने और परिणाम हमको भुगतने पड़ेंगे ।

सभापति महोदय, वैसे तो आज जो यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है उससे इस का महत्व और बढ़ गया है । आज हमारी हिन्दू संस्कृति के अनुसार ऐसे त्योहार हैं, जैसे गणगौर का त्योहार है । इस गणगौर के त्योहार पर हमारी लड़कियां, हमारी बच्चियां पार्वतीजी को पूजती हैं और पार्वतीजी से प्रार्थना करती हैं कि वे उनके जीवन को सफल बनावें और उनको योग्य पति दे। मतलब यह कि पार्वतीजी से प्रार्थना करती हैं लेकिन इस दहेज प्रथा के कारण वे जो कामना करती हैं, वह उनके मन में ही रह जाती है । दहेज के कारण उनकी कामना पूरी नहीं हो पाती है ।

सभापति महोदय, हमारे देश के युवा नेता संजय गांधी ने भी अपने चार सूत्री प्रोग्राम के अन्दर दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए एक सूत्र रखा है अगर इन चार सूत्रों के लिए वे हमारे देश का तूफानी दौरा कर रहे हैं और यह बता रहे हैं कि हमारे देश के अन्दर जो दहेज प्रथा है वह कानून से समाप्त नहीं होगी । अगर उसको समाप्त करना है तो हमारे को जन जागरण करना होगा, लोगों के घरों में जाकर यह समझाना पड़ेगा । इसलिए युवा कांग्रेस का, युवा लोगों का और जो पब्लिक के रिप्रेजेन्टेटिव हैं उनका यह फर्ज होता है और ऐसे मौके पर जब कि राजस्थान सरकार ने विधेयक प्रस्तुत कर दिया है, अन्य प्रान्तों ने भी इस तरह के विधेयक प्रस्तुत कर दिये हैं, तो हम लोगों को भी यह चाहिये कि जाकर के लोगों में इस भावना को जागृत करें ।

सभापति महोदय, जैसा कि राजस्थान सरकार ने पहले एक डाकू उन्मूलन अभियान चलाया था उस डाकू उन्मूलन अभियान के अन्दर डाकू, जो थे वे जंगलों में रहने वाले थे, वे अपने पास पिस्तौल, बन्दूकें रखते थे और लोगों को शारीरिक चोट पहुंचाया करते थे, लेकिन ये जो दहेज लेने वाले लोग हैं

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

ये ऐसे सफेद डाकू हैं जो या तो शहरों के अन्दर रहते हैं या गांवों के अन्दर रहते हैं, जो लड़की वालों से दहेज लेते हैं उनको शारीरिक चोट न पहुंचा कर मानसिक आघात पहुंचाते हैं। शारीरिक चोट से मानसिक चोट ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि इस मानसिक चोट के कारण से उनको, उनके घर वालों को आत्महत्या करनी पड़ती है और मजबूरन ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि वे पागल हो जाते हैं। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं कि आज हम नित्य अखबारों में पढ़ते हैं कि एक 19 वर्षीय लड़की ने आत्महत्या कर ली या 21 वर्षीय लड़की ने आत्महत्या कर ली, इसका एक मात्र कारण यही होता है कि उनके घर में कलह होती है। यह कलह किस प्रकार की होती है–एक तो यह होती है कि शादी के मौके पर उसको पूरा दहेज नहीं मिलता है और लड़की के जो सास, ससुर होते हैं वे लड़की को ओलंभा देते हैं, उलाहना देते हैं कि तू बाप के यहां से क्या लायी ? इस तरह का उलाहना न सहने के कारण वह लड़की या तो जहर खा लेती है या अन्य तरीकों से आत्महत्या कर लेती है। इस तरह से आज हमारे देश के अन्दर यह दहेज प्रथा की कुरीति फैल रही है, इसको दूर करने के लिये हमें एक जन जागरण अभियान चलाना पड़ेगा।

सभापति महोदय, इस विधेयक के अन्दर यह प्रावधान किया गया है कि जो इस विधेयक के अन्तर्गत नियमों की अवहेलना करेगा उसको एक वर्ष की सजा और 5 हजार रुपया का जुर्माना किया जायेगा। सभापति महोदय, ठीक है इस विधेयक के अन्दर एक वर्ष की सजा रखी है परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर एक आदमी मर्डर कर देता है या एक आदमी गंभीर चोट पहुंचाता है तो उस पर 302, 307 लग जाती है, लेकिन एक आदमी जो दहेज लेने वाला है उसे दहेज नहीं मिलता है, तो दहेज नहीं मिलने के कारण समाज में बदनामी होती है या फिर वह समाज के अन्दर अपनी इज्जत की ढोंग पीटता है और वह लड़की के बाप को मजबूर कर देता है और फिर मजबूरी में बाप दहेज देता है। या फिर मजबूरन दहेज न जुट सकने के कारण वह लड़की आत्म-हत्या कर लेती है, या उसके घर वाले पागल हो जाते हैं। इस प्रकार इन वजूहातों के कारण लड़की आत्महत्या कर लेती हैं, तो सिर्फ एक वर्ष की सजा और 5 हजार जुर्माना ही इसके लिए काफी नहीं होगा। पांच हजार रुपया जुर्माना देकर 25 हजार का दहेज मिलता है तो उसको बीस हजार का फायदा होता है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से जो दहेज लेने वाले हैं उनके लिए कम से कम 7 वर्ष की सजा राज्य सरकार रखे तो अच्छा रहेगा।

सभापति महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, यह जो संकल्प है, इसके बारे में यह कहना है कि जब तक हमारे देश के अन्दर दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए जन जागरण पैदा नहीं करेंगे तब तक जो विधेयक रखा गया है, उस विधेयक से भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी।

श्री सभापति : श्रीमती निर्मला कुमारी।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : सभापति महोदय, जो गैर पेश किया गया दहेज प्रथा के विरोध में सरकारी संकल्प है, मैं उसका समर्थन करती हूं।

यह दहेज समाज का एक ऐसा नासूर है, जो कि हमारे सामाजिक ढांचे को निरन्तर विकृत कर रहा है। इस लिये एक कल्याणकारी राज्य का यह फर्ज हो जाता है कि इस प्रकार समाज की जो कुप्रथाएं हैं उनकी ओर सबका ध्यान आकर्षित करें। इस कल्याणकारी राज्य की विधान सभा का भी यह कर्त्तव्य हो जाता है कि इस प्रकार की जो कुप्रथाएं हैं उनके ऊपर विचार विमर्श करें।

अब प्रश्न उठता है कि दहेज आखिर है क्या ? मान्यवर, 1961 का कानून जो एक केन्द्रीय दहेज निरोधक कानून है उसके अनुसार भी हम इसका अर्थ लें तो दहेज जो है वह धनराशि या वह मूल्यवान सम्पति है जो कि विवाह की शर्त के रूप में दी जाती है। मान्यवर, ऐसी स्थिति में वर-पक्ष की ओर से मांगी गई धनराशि तथा वधु-पक्ष की ओर से मांगी गई धनराशि दोनों ही सम्मिलित हो जाती हैं। आज भी केवल नगरीय समाज में ही नहीं मगर ग्रामीण समाज की ओर जाते हैं और ग्रामीण समाज के जीवन का अवलोकन करते हैं तो हमें पता चलता है कि वहां पर वधु-मूल्य प्रथा प्रचलित है। भील, मीणा, गिरासिया, गाडुलिया, कन्जर समाज, यह सब जो जन-जातियां हैं उनमें वधु-मूल्य प्रचलित है। उसी वधु-मूल्य के परिणामस्वरूप एक व्यक्ति को सागड़ी रहना पड़ता है। आज सागड़ी प्रथा के बारे में विचार करते हैं और उसके मूल रूप को समझते हैं तो वास्तविक कारण यह है कि एक व्यक्ति अपनी वधु लाने के लिए, उसके लिए धन जुटाने के लिए किसी विशेष स्थान पर हाली रह जाता है। तो इस प्रकार की कुप्रथाएं हैं जिनसे वर-पक्ष के व्यक्तियों को और वधु-पक्ष के व्यक्तियों को हानि होती है। उसको 1961 के कानून के अनुसार दहेज बोलते हैं। इस दहेज प्रथा के विष को समाज में से हटाना है। 1961 के कानून को बने हुए लगभग 15 वर्ष हो गये, परन्तु, मान्यवर, साफ दिखाई देता है दहेज की प्रथा जो है वह 1961 के बाद भी कम नहीं हुई है। 1961 के बाद से वह निरन्तर बढ़ती रही है। इस दहेज रूपी कुप्रथा ने अपना विकराल पंजा इतना अधिक फैला लिया है कि ऐसी स्थिति में हम यह कहें कि एक प्रकार से समाज को नष्ट कर देगा तो इसमें कोई संदेह नहीं है। निस्सन्देह यह बात सही है कि समाज की बुराइयों को कानून के जरिये से नहीं मिटाया जा सकता है, समाज की बुराइयों को कानून के जरिये से खत्म नहीं किया जा सकता है परन्तु यह भी सत्य है, मान्यवर, कि उस कानून के जरिये सामाजिक बुराइयों को कुछ हद तक रोका जा सकता है। कानून के बनाने की जरूरत है क्योंकि एक विशेष प्रकार का प्रचार उससे होता है, एक विशेष प्रकार का वातावरण बनता है जिससे लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि आज सुबह ही माननीय श्री शोभारामजी के द्वारा जो बिल पेश किया गया है उस बिल को पूर्णतया हम सही नहीं कह सकते। उसमें कुछ संशोधनों की आवश्यकता है, उन संशोधनों के साथ में उसको इस सदन में लाया जाना चाहिए और उसे पास

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

किया जाना चाहिए तभी जाकर हम समाज की इस विकृति को दूर कर सकते हैं ।

अब प्रश्न यह पैदा होता है कि जो हमारे समाज में यह दहेज रूपी कुप्रथा है इसका प्रचलन किस तरह से हुआ ? मान्यवर, वैदिक काल में आठ तरह के विवाह हुआ करते थे उसमें से ब्रह्म विवाह में वस्त्र अलंकारों से सुशोभित कन्या के दान का प्रावधान था । उस समय दहेज जो है एक धार्मिक परम्परा थी । उस समय यह कुप्रथा के रूप में विकसित नहीं हुई थी । भक्तिकाल में भी उसका इतना अधिक उग्र रूप नहीं हुआ था, परन्तु धीरे-धीरे मध्यकाल में जैसे जैसे स्त्रियों की स्थिति समाज में निम्न होती गई वैसे वैसे दहेज प्रथा उग्र रूप से सामने आती रही है, वर्तमान औद्योगिक युग में यह प्रथा एक अभिशाप बन गई है । यह एक दम इस युग में क्यों अभिशाप बनी इसका मुख्य कारण यह है कि औद्योगिक युग में धन का महत्व बहुत अधिक बढ गया है । धन के महत्व के साथ-साथ यह कुप्रथा भी अधिक विकृत हो गई, और विवाह, जो कि एक पवित्र बन्धन है का व्यापारीकरण कर दिया गया । तो ऐसी स्थिति के अन्दर इस कुप्रथा की वजह से समाज के अन्दर कई प्रकार की बुराइयां पैदा हुई, कई प्रकार की कुप्रथाएं पैदा हुई । सबसे अधिक जो कुप्रभाव पड़ा है वह हम देखते हैं बालिकाओं के वधु के रूप में । मान्यवर, आज से कुछ समय पहले बालिका के पैदा होते ही माता-पिता मार दिया करते थे । पंजाब में खत्री, जाट और राजपूत आदि जो जातियां हैं उनमें इस प्रकार का प्रचलन था । इसी प्रकार से ग्वालियर में तंवर और कुछ दूसरे राजपूत थे वह भी बच्चियों को मार दिया करते थे । हमारे राजस्थान में भी शेखावाटी में बच्चियों को मारने का रिवाज था, आज तक भी मैं यह कह सकती हूं कि जो जैसलमेर के भाटी लोग हैं उनमें बच्चियों को मार दिया जाता है । तो इस प्रकार की यह कुप्रथा है उसके बारे में हमें सोचना है ।

मान्यवर, इस दहेज की कुप्रथा के परिणाम स्वरूप मानसिक रोगों में बहुत अधिक वृद्धि होने लगी है, क्योंकि जैसे ही लड़की पैदा होती है तो मां-बाप यह सोचते हैं कि यह पैदा हो गई अब हम दहेज कहां से लायेंगे ?

श्री रामसिंह : इतना कहां से आयेगा ।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : और इसलिए इसके बड़े अजीब नाम रखे जाते हैं जैसे अनचाही आदि । माता-पिता इस प्रकार से मानसिक रूप से बड़े बेचैन होते रहते हैं और मानसिक तनाव से घिर जाते हैं । उनके मन में हमेशा बेचैनी रहती है कि दहेज देने के लिए ऋण कहां से आयेगा । इस प्रकार से जो बालिका है उसके स्वयं के दिमाग में बेचैनी रहती है कि मेरी वजह से मां-बाप दुःखी हैं । यदि विवाह के बाद दहेज कम मिलता है तो वह स्थिति और भी भयंकर होती है । उसको इतनी अधिक ताड़ना दी जाती है और इतना अधिक फस्ट्रेशन उनके दिमाग में होता है कि वह मानसिक रोगों की श्रेणी में आ जाती है । यदि डा० व्यास के अस्पताल में जाकर देखें और विश्लेषणात्मक अध्ययन करें तो आपको पता लगेगा कि 90 पर्सेन्ट

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)
मानसिक रोगी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में इसी कुप्रथा की वजह से है ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : डॉक्टर व्यास के अस्पताल का निरीक्षण कौन करें ? हैल्थ मिनिस्टर ?

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : हैल्थ मिनिस्टर या समाज-कल्याण मंत्रीजी क्योंकि दोनों एक ही व्यक्ति हैं ।

तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि इसकी वजह से आत्महत्याएं होने लगी हैं और इसी की वजह से बाल-विवाह होते हैं । एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की को एक बेपढ़े लिखे लड़के के साथ जोड़ देते हैं । इसी प्रकार से एक अच्छा लड़का है परन्तु उसके मां-बाप दहेज के लालच में किसी ऐरी-गैरी लड़की से, चाहे योग्य न हो, शादी कर देते हैं । तो इस तरह से समाज में एक अव्यवस्था हो रही है.....

श्री गोपाल जोशी : महिलाओं के बारे में 'ऐरी-गैरी' की बात करती हैं ।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि उस व्यक्ति के अनुपात में नहीं है ।

कहने का मतलब यह है कि दहेज प्रथा की वजह से बाल-विवाह हमें देखने को मिला । इसी प्रकार मैं यह कहना चाहती हूं कि कितने ही लड़कों को अविवाहित रहने को मजबूर......

श्री रामसिंह : लड़कियां भी रहती हैं ।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : रहना पड़ता है ।

आप जानते हैं कि हमारे हिन्दुस्तान में और खास तौर से राजस्थान में अविवाहित लड़कियों को समाज में जिन्दा नहीं रहने दिया जाता है । उसके बारे में अनावश्यक रूप से ऐसी मिथ्या धारणाएं प्रचलित की जाती हैं कि उसे आत्महत्या तक करने के लिए मजबूर होना पड़ता है । (श्रीराम गोटेवाला के खड़े होने पर) मैं आपके ही संकल्प पर निवेदन करना चाहती हूं ।

श्री सभापति : क्या आप समाप्त करना चाहती हैं ?

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : मैं बोल रही हूं ।

श्री सभापति : तो बोलिये आप ।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : इस प्रकार जहां दुर्दशा होती है तो इस कुप्रथा को समाप्त होना ही चाहिए ।

इसी प्रकार हम दूसरे पक्ष पर आ जाते हैं वधू-मूल वाले पक्ष पर । आज एक व्यक्ति को कर्जे के भार से दबना पड़ता है, पत्नी लाने के लिए । उसकी कमर बेगार करते करते कमान बन जाती है । तो मेरा यह निवेदन है कि इसके दोनों ही रूप हैं । चाहे वह वधू-मूल रूप में हो चाहे वह वर-मूल हो । यद्यपि 1961 के दहेज कानून में संशोधन करने के लिए माननीय शोभारामजी ने कहा है, मैं इसका समर्थन करती हूं यद्यपि आज वह बिल नहीं आया है । दहेज प्रथा एक रोग है । इसी प्रकार से वह समाज जिसमें दहेज प्रथा का प्रचलन बिल्कुल नहीं था, उसमें भी दहेज के कीटाणु पहुंच गये हैं । तो

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

इस प्रकार से मान्यवर, मैं यही कहना चाहूंगी कि दहेज प्रथा ही इन सब का कारण है। 1961 का कानून असफल इसीलिये रहा है क्योंकि उसमें काग्नीजिबल ओफेंस नहीं है। पुलिस इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया करती है। तो जैसा कि माननीय शोभारामजी ने कहा है, इसे काग्नीजिबल ओफेंस बना दिया जाए। परन्तु मैं ऐसा नहीं मानती हूं। कारण यह है कि आज आपकी पुलिस कितनी ईमानदार है, यह आप सभी लोग जानते हैं। फिर पुलिस को हर व्यक्तिगत मामले में, पारिवारिक मामले में लाना चाहते हैं। इससे लोगों की पारिवारिक शान्ति नहीं रह पायेगी। क्योंकि फिर पुलिस की ओर से हर मामले में हस्तक्षेप किया जाएगा। अगर इसको काग्नीजिबल ओफेंस बनाना चाहते हैं तो इन सभी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

आज मृत्यु भोज का कानून बना दिया है। आज हालत यह है कि उनको दोहरा मृत्यु भोज करना पड़ रहा है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ही ऐसी घटनाएं हुई हैं कि वह दोहरा मृत्यु भोज करना हो जाता है पुलिस के कारण। इसी प्रकार से माननीय शोभारामजी ने कहा है कि डिप्टी एस. पी. के रेंक के आदमी को यह अधिकार सौंप देना चाहिए। मान लीजिए ऐसा करते हैं, मान्यवर, तो ऐसी हजारों शादियां होती हैं। तो आप कितने डिप्टी एस. पी. भर्ती करेंगे? वह अतिरिक्त खर्चा होगा पुलिस पर। क्या इतने डिप्टी एस. पी. भर्ती कर सकेंगे? वह असम्भव है। दहेज प्रथा को काग्नीजिबल ओफेंस नहीं बनाया जा सकता। कहीं पर तो बच्चों के माता-पिता, जब उनके बच्चों का विवाह होता है तो कई ऐसी आवश्यक चीजें उनको भेंट करते हैं जिससे कि उनका वैवाहिक जीवन सुचारु रूप से कट सके। उनको भिन्न भिन्न प्रकार के उपहार देते हैं। मान्यवर, चाहे वह लड़का हो, चाहे वह लड़की हो मातृत्व प्रेम के वश या पितृत्व प्रेम के वश वह उपहार देते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मान लीजिए, मेरा लड़का है। होस्टल में जाता है, मैं चाहूंगी कि मेरे लड़के को होस्टल में कोई परेशानी नहीं हो। इसलिए उसको आवश्यक चीजें दे दी जायें। अतः मैं यह कहना चाहूंगी कि प्रेम वश जो चीजें दी जाती हैं, उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए। शर्त के रूप में जो चीज ली जाती है, उसे कानून के रूप में लेना चाहिए। माननीय शोभारामजी ने यह भी कहा है कि 5 हजार तक की राशि इससे वंचित रखी जाय। मैं निवेदन करूंगी कि 5 हजार की राशि तो बहुत ज्यादा है। पांच हजार के बजाय दो हजार की राशि होनी चाहिये, इसे कानूनी जरिए से समाप्त नहीं किया जा सकता है। मान्यवर, राजस्थान में दहेज विरोधी कानून बना नहीं पाये हैं परन्तु बिहार में जो कानून दहेज विरोधी बन रहा है, उसको देखते हुए राजस्थान में यह प्रथा बनी हुई है उसके लिए इस को संशोधित रूप में पेश करना होगा। खास तौर से, मान्यवर, मेरा कहना यह है कि यह राज्य के द्वारा समाप्त नहीं की जा सकती है। इसलिए इसके बारे में सामाजिक कार्यकर्ताओं को काम करना है। खास तौर से मैं भाई संजय गांधी की आभारी हूं कि जिन्होंने हमें यह नारा दिया है।

श्री मूलचन्द सामरिया : वाह, वाह ।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : माननीय सदस्य, आप यह कह रहे हैं । पहले आप मेरी बात सुन लें ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यह कह रहे हैं कि मैं भी युवक हूं ।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : संजय गांधी ने युवकों को रचनात्मक मोड़ दिया है । जो युवक जयप्रकाशजी के साथ में विघटनकारी कार्यों में लगे हुए थे, उस युवा शक्ति को उन्होंने एक नया मोड़ दिया है । इस प्रकार से राजस्थान सरकार को देखना होगा कि इस विषय में प्रचार के माध्यम में अधिक ध्यान दें । इस प्रकार से जो कार्य होगा तो मैं निश्चित रूप से कह सकती हूं कि इस सामाजिक बुराई पर कुठाराघात होगा ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दहेज के अतिरिक्त शादी विवाह में बहुत अधिक दिखावा होता है । बहुत सारे लोग बरात में जाते हैं । खाने के लिए जाते हैं । इस प्रकार की बातों पर रोक लगनी चाहिए । जो बिल आज सुबह पेश किया गया है, उसमें यह है कि 25 से ज्यादा आदमी नहीं हों । 11 आदमी बैण्ड वाले हों । इसके बारे में मेरा निवेदन है कि यह संशोधन के रूप में अवश्य आना चाहिए । इस पर सदन में वाद-विवाद के रूप में विचार होना चाहिए । तभी समाज से इस नासूर को इससे निकाल सकते हैं ।

श्री सभापति : माननीय सोगानीजी ।

श्री माणकचन्द सोगानी (अजमेर-पूर्व) : माननीय सभापति जी, अभी माननीय सदस्या ने बहुत कुछ कहा है । उसके आगे मैं कुछ शब्द और जोड़ता हूं । महात्मा गान्धी ने सन् 1928 में जोरदार आवाज उठाई थी । उन्होंने दहेज लेनेवाले को यहां तक कहा था कि जो ऐसा करे तो उसको जाति से बहिष्कृत कर देना चाहिए । गान्धीजी इस प्रथा के इतने विरुद्ध थे । आज सन् 1928 से लेकर 1976 तक हम क्या देखते हैं । बजाय बन्द होने के दहेज बढ़ता ही जा रहा है ।

प्रत्यक्ष रूप में देखा गया है कि इन दिनों में ब्लेक का रुपया कमाकर लड़कों को खरीदने का जो व्यापार शुरू किया और दिखावे का जो रूप सामने आया । बाजारों के अन्दर साफ तौर पर दिखा करके एक थाल में जेवर और एक थाल में रुपये, साथ में फल और लड्डू मिठाई वगैरह लेकर जाते हैं तो वह आदमी अच्छे लड़के को खरीद लेता है वो कि दूसरा आदमी है जिसने कि लड़की को पढ़ा तो दिया है लेकिन उसके पास धन नहीं है देने के लिये और दिखाने के लिये तो उसकी पढ़ी लिखी लड़की भी शादी से वंचित रह जाती है । यह रोग हमारे सामने आया । एक अखबार मेरे सामने पड़ा हुआ है, उसको मैं देख रहा था । उसमें लिखा है कि यहां तक हालत हुई थी कि लड़की जब शादी हो जाने के बाद ससुराल में पहुंच गई तो चूंकि सास-ससुर के मन के माफिक दहेज नहीं दिया गया था तो उस लड़की को कई तरह की यंत्रणायें दी जाने लगीं और उसने तंग आकर केरोसीन डालकर आत्महत्या कर ली ।

श्री मूलचन्द सामरिया : उसका बीमा भी करवा दिया था ।

श्री माणकचन्द सोगानी : माननीय सदस्य जो कह रहे हैं उस पर आप गौर फर्मायें । तो मेरा अर्ज करना यह है कि इस तरह की जो

(श्री माणकचन्द सोगानी)

कुप्रथा है इसको खत्म किया जाना चाहिए। एक कानून भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने लागू किया है। बिहार गवर्नमेंट ने भी एक ग्राडिनेन्स पास किया है कि दहेज लेने वालों को पांच सौ रुपया फाइन और 6 महीने की सजा दी जाय। यह बिहार गवर्नमेंट ने कानून बनाया है। गुजरात, महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश में युनिवर्सिटी की लड़कियों ने इकट्ठी होकर, जिनकी संख्या 233 थी, यह प्रस्ताव पास किया कि हम उन परिवारों में शादी नहीं करेंगी जहां दहेज की मांग की जायेगी। इस तरह से इस प्रथा के खिलाफ चारों तरफ जागरण ग्राया है। पंजाब में भी इस प्रथा के खिलाफ ग्रावाज उठाई गई है। केन्द्रीय सरकार के सामने भी यह प्रश्न ग्राया है कि वीमेन्स ईयर में इस बिल को एक्ट बना देना चाहिए। हमारे सामने 1961 का कानून है जिसके बाबत ग्रभी हमारे यहां पर माननीय सदस्या ने कहा, मैं भी उस पर जोर देना चाहता हूं कि 1961 में हमारे यहां पर कानून बना, मगर वह बहुत ही वीक कानून इसलिए रह गया क्योंकि उसको ग्रमल में लाने के लिये पुलिस के सामने छोड़ दिया कि जो ग्रागे जाकर दावा करे तो वह उस पर कोई एक्शन ले। किसी को ऐसी क्या पड़ी है जो इस तरह से दावा करे ग्रौर झगड़ा मोल ले। इसलिए यह 1961 का कानून हमारे यहां कार्यान्वित नहीं हो सका।

जहां तक डावरी का संबंध है, यह सबसे पहले कन्यादान के रूप में हमारे सामने ग्राया। ग्राज वह इस रूप में है। जहां पर कन्या की तरफ से उसके परिवार वालों की तरफ से कमजोरी दिखाई दी, उसके ऋण के रूप में इस तरह से कमाया हुग्रा धन देने का साधन बढ़ता गया ग्रौर उसने ग्राज यह भीषण रूप धारण कर लिया है। यह रूप हमको ग्राज हर शादी में देखने को मिलता है, हर शादी में यह सवाल पैदा होता है। कोई समर्थ है, जिसके पास धन है वह तो दे सकता है लेकिन जो गरीब है उसके लिये मुसीबत सामने ग्रा जाती है। लड़के वाला मांग करता है कि कम से कम ग्राप मोटर कार तो देंगे ही, साथ में एक फ्रिज भी जरूरी है। फिर लड़के की पढ़ाई के लिये लन्दन की यात्रा का खर्चा भी मांग लिया जाता है। इस तरह का वार्तालाप होती है तो लड़की का मन दुखी हो जाता है। वह शादी से पहले ही ग्रपने मन में इस तरह का बोझ महसूस करने लग जाती है, ग्रौर नौबत यहां तक ग्राती है कि ग्रात्महत्या तक कर लेती है। इस दहेज प्रथा की बुराई ने हमारे समाज में यहां तक भीषण रूप धारण कर लिया है। इसलिए राज्य सरकार को इस कानून को कठोर रूप देना चाहिए। लेकिन साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे कानून कितना ही कठोर हो उसका सोशल तौर पर कितना पालन होता है ग्रौर किस तरह से उसका सही रूप से पालन किया जा सकता है, यह हमारे लिये विचार करने की बात है। यह ग्रावश्यक नहीं है कि कोई चीज कानून बन जाने के बाद समाप्त हो जायेगी। मुझे याद है ग्रजमेर में, सैन्ट्रल गवर्नमेंट में हर विलास शारदा ने शारदा कानून बनाया था कि बाल-विवाह बन्द किये जायें। फिर भी उससे कितने बाल विवाह बन्द हुए ? ग्राज हम देखते हैं कि बेशाख की तीज, जिसको ग्राखा तीज कहते हैं, पर सैकड़ों की तादाद में बाल विवाह होते हैं, गोद के लड़के ग्रौर लड़कियों की भी शादी कर दी जाती है।

(श्री माणकचन्द सोगानी)

इसलिए मेरा निवेदन है कि जहां तक कानून बना है उससे कुछ फायदे तो अवश्य होंगे, लेकिन माननीय सदस्यों को भी इसको सफल बनाने के लिये प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि उनके परिवार में या उसके मार्फत वे इसका सोशल तौर पर पालन करायेंगे। यह उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना कि इन कानून को अमली जामा पहनाने के लिये कानून बनाना जरूरी है। इसको खत्म करने के लिए और भी इसी तरह से कई तरीके हो सकते हैं। लड़कियों की पढ़ाई की तरफ भी हमको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर लड़की पढ़ी लिखी होगी तो वह ज्यादा परिवर्तन समाज में ला सकेगी। एक अनपढ़ लड़की किसी दूसरी फेमिली में जाने के बाद दूसरों पर आश्रित हो जाती है। उसको ऊंचा उठाने के लिये यही एक उपाय है। पढ़ी लिखी लड़की होगी तो वह बोझ के रूप में नहीं जाकर एक स्वावलम्बी की हैसियत से जायेगी। वह अपने निर्वाह के लिये वह अपने घर की उन्नति करने के लिये एक तरह से मददगार होगी। उस परिवार में इकानामिक मदद देने के लिये वह पर्याप्त कमा सकेगी। इसलिए बच्चियों को पढ़ाना भी बहुत जरूरी है। जितना हम उनको शिक्षित बनाकर अपने पैरों पर खड़ा रहने लायक बना सकें उतना हमको करना चाहिए। यही कहते हुए मैं इसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री मूलचन्द सामरिया।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : माननीय सभापति महोदय, दहेज की प्रथा सारे देश में एक सामाजिक बुराई के रूप में फैली हुई है इसका प्रभाव इस समाज के गरीब लोगों के बजाय अमीर लोगों पर ज्यादा पड़ा है। चूंकि सम्बन्ध तो, बाबू जगजीवन रामजी ने एक बार बहुत ही उचित फर्माया था, बराबरी में नहीं बल्कि बराबर वालों का होता है। इस भौतिक युग में। पहले हमारे यहां आध्यात्मिक युग था, उस समय भारतवर्ष विश्व का आध्यात्मिक गुरु था। यहां पर विद्या, त्याग और ईमानदारी की अधिक प्रशंसा और सराहना की जाती थी लेकिन आज हम संसार के साथ भौतिक युग में प्रवेश कर चुके हैं। सभापति महोदय, एक कहावत है अंग्रेजी में वह यह है कि: "When wealth is lost nothing is lost, when health is lost something is lost but when character is lost everything is lost." अब यह कहावत बिल्कुल उल्टी हो गई है। आज अगर यह कहें तो अनुचित नहीं होगा When character is lost nothing is lost, when health is lost something is lost, but when wealth is lost everything is lost. यही बात इस दहेज प्रथा की बुराई की जड़ है। सभापति महोदय, आज पैसे के महत्व के आधार पर दहेज की प्रथा एक गरीब व्यक्ति के लिये अभिशाप बन गई है। इसकी वजह से, गरीब होने से वे अच्छी जगह बैठ नहीं सकते, सभ्य नहीं कहलाते और उनके लिये कोई स्थान भी नहीं है। आज हमारे देश में कोटा, परमिट और लाइसेंस और ऋण आदि जो भी सुविधायें आसान तरीके से दी गई उनसे कुछ लोगों के पास बे-शुमार दौलत इकट्ठी हो गई और उन लोगों ने उस दौलत में से बहुत कम हिस्से पर टैक्स देकर बाकी धन को ब्लेक मनी

(श्री मूलचन्द सामरिया)

के रूप में सुरक्षित रखा, उस ब्लेक मनी ने इस देश की इकानामी के पैरेलल एक और इकानामी स्थापित की । उसके अन्दर सरकार का योगदान भी रहा और वह इस रूप में रहा कि उनको कोटा, परमिट और लाइसेंस की सुविधायें दी गई। वही ब्लेक मनी आज बुराई के रूप में दहेज का रूप धारण करके पढ़ी-लिखी और गरीब मां-बाप की बेटियों के लिए एक महान् अभिशाप के रूप में आकर खड़ी हुई है।

माननीय सभापतिजी, आज हमारे समाज में, आज हमारे सामाजिक ढांचे में उन लोगों की पूछ ज्यादा होती है जो बहुत बड़ा शादी में दहेज देते हैं, बहुत ज्यादा सजावट का इन्तजाम करते हैं और ऊंची से ऊंची कोटि का ब्लेक मनी से प्रदर्शन करते हैं। इन सब बातों को बहुत महत्व दिया जाता है। आज मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस दहेज की प्रथा को समाप्त करना है। सभापति महोदय, इसके बारे में बिल भी आ रहा है और माननीय सदस्य ने अपना संकल्प भी रखा है। यह सराहनीय है, लेकिन इस देश की सरकार, इस प्रदेश की सरकार रिश्वत को नहीं रोक सकती है, ब्लेक मार्केटिंग होता है उसको रोकने में असमर्थ है। लाखों रुपये की रिश्वत के मामले पकड़े गये लेकिन उनमें सजा नहीं दे सकती है तो, सभापति महोदय, दहेज पर रोक लगाने के इस कानून से क्या दहेज में ब्लेक मनी देने पर रोक लग जायेगी? मैं मिसाल के लिए कहता हूं कि एक वकील का लड़का है। कोई व्यक्ति वकील के लड़के से अपनी लड़की की शादी करना चाहता है। अगर वह दहेज नहीं देगा तो वह मना कर देगा। वह किसी से कहलवा देगा कि अमुक रुपया दहेज में लिये बिना शादी नहीं करूंगा। वह जेवर के रूप में दहेज नहीं लेता है, और सामान दहेज में नहीं लेता है। ब्लेक मनी जो है वह अकाउन्ट फार कर देता है और बही-खातों में जमा हो जाता है। तो क्या इस प्रकार दहेज लिया जायेगा? इस नये तरीके को ब्लेक मनी को अकाउन्ट फार करने का अनवेषित कर देंगे। इसलिए इसमें सावधानी बरती जानी चाहिए। कोई व्यक्ति यह नहीं चाहेगा कि उसके लड़के, लड़की को अच्छा वर नहीं मिले। मैं इसके साथ-साथ निवेदन करूंगा कि इस तरह के दहेज को बन्द करने का इफेक्टिव कानून बना दें जिससे इस ब्लेक मनी को रोक सकें ताकि ब्लेक मनी अकाउन्ट फार न हो अन्यथा इस कानून के जरिये से सरकार को अधिकार प्राप्त हों, वह ऐसे संगठन स्थापित कर दे, जिला हैडक्वार्टर पर, तहसील हैडक्वार्टर पर कि गांव-गांव में जो लड़के-लड़कियां शादी के योग्य हैं, उनके मां-बाप को कोई काम करने की आवश्यकता नहीं रहे, वह सौ रुपये प्रति व्यक्ति फीस लेकर कोई न कोई जगह शादी का इन्तजाम कर दे। बारात लाने की आवश्यकता नहीं हो। एक दूल्हा और वह चाहे तो एक-दो मित्र ले जाये, अन्यथा अकेला जाकर शादी करके ले आये। इस प्रकार की शादी हो वह धर्म के मुताबिक हो, धार्मिक परम्परा के मुताबिक शादी सम्पन्न करवा दी जाय। मेरा निवेदन है कि लड़के वाला लड़की वाले से दहेज ले-इसकी जरूरत ही नहीं हो और न जरूरत रहनी चाहिए। इसका सारा इन्तजाम एक संगठन के हाथ में हो। गरीब से अमीर तक, मौलवी से पंडित तक के लड़के-लड़कियों की शादी बिना प्रदर्शन के हो। मैं समझता हूं कि आज दहेज में काफी देकर, उसको शो

(श्री मूलचन्द डागरिया)

करके लोग समाज में अपनी हैसियत ऊंची उठाते हैं, बड़े बड़े प्रदर्शन के द्वारा समाज में अपनी ऊंची हैसियत का प्रदर्शन करते हैं। इस प्रदर्शन को करने का लोगों को मौका नहीं मिले। आज तक राजस्थान में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है, वह किसान नेता हैं, माननीय श्री कुम्भारामजी उन्होंने ऐसी मिसाल पेश की है। जब कभी उनके बच्चे की शादी हुई तो उन्होंने कभी बारात नहीं भेजी और न अपनी ओर से दहेज को ग्रहण किया है। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे प्रदेश के ऊंचे ऊंचे नेता हैं, उनको भी दहेज के बारे में ऐसा उदाहरण पेश करना चाहिए और कुम्भारामजी का अनुकरण करके लोगों को प्रेक्टिकल दिखाना चाहिए कि यह सामाजिक बुराई है, इसे बुराई मान कर हम छोड़ रहे हैं। यही नहीं, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि सारी पार्टी चुनाव के समय जो टिकट देती है, कांग्रेस और विरोधी पार्टी – उनको ऐसे लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए जिन्होंने दहेज केवल इसलिए लिया कि लड़का काबिल था और जो बिना दहेज के शादी नहीं करना चाहते हैं। ऐसे लोगों का नाम टिकट लेने वालों में से काट दिया था। कांग्रेस में तो ऐसा होगा, लेकिन मैं और पार्टी के लिए भी कहता हूं कि उनकी पार्टी में भी टिकट ऐसे लोगों को नहीं मिलना चाहिए जो कि दहेज के समर्थक हैं, दहेज लेते हैं और देते हैं। यह क्लाज भी इसमें जोड़ सकते हैं कि किसी लड़के-लड़की का बाप इन्कम-टैक्स पेअर है तो उसको लड़के-लड़की की शादी के बारे में पाबन्द करना होगा कि वह उस लड़के या लड़की से शादी करेगा जिस लड़के-लड़की का बाप इन्कम-टैक्स नहीं देता है। इस कानून से यह भी हो सकता है कि हिन्दू सक्सेशन एक्ट के मुताबिक लड़के-लड़की को जायदाद में बराबर का अधिकार है, मां-बाप की सम्पत्ति में बराबर अधिकार है। अभी तक दहेज को इस कारण जस्टीफाई किया जाता है कि शादी के टाइम में स्वेच्छा से लोग अपनी हैसियत के अनुकूल दहेज देते हैं। अब दहेज पर पाबन्दी लगाई जायेगी तो हिन्दू सक्सेशन एक्ट के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति के पांच बच्चे हैं, उसकी सम्पत्ति पांच करोड़ है, उसके चार लड़के हैं और एक लड़की है। मैं समझता हूं कि वह अपनी लड़की की शादी किसी नान इन्कम-टैक्स पेअर के लड़के से करता है तो लड़की का हक है उसे हिन्दू सक्सेशन एक्ट के मुताबिक एक करोड़ मिलना चाहिए। आपने कह दिया कि दहेज प्रथा को बन्द करो, तो हिन्दू सक्सेशन एक्ट के प्राविजन्स के अनुसार जो हिस्सा मिलना चाहिए, वह आज प्रिवेलेंट है लेकिन आज कितनी लड़कियों ने अपने मां-बाप की सम्पत्ति में से हिस्सा लेने को केस किया है अदालत में-इसकी कोई जानकारी नहीं है। मेरा क्षेत्र जयपुर है, इसका मुझे ज्ञान है। अभी तक हिन्दू सक्सेशन एक्ट के मुताबिक मां-बाप अपनी इच्छा से दे सकते थे। लेकिन इस कानून के बनने के बाद कितने ही बड़े परिवारों के लड़के इस कानून के द्वारा प्रदत्त अधिकार के अनुसार नोटिस देंगे और इस दहेज को बन्द करने के बाद इस हिन्दू सक्सेशन एक्ट का आपरेशन ज्यादा बढ़ेगा। इससे परिवार के बीच में मन मुटाव होगा, रिश्तेदारों में झगड़ा बढ़ेगा और भाई बहिन लिटिगेशन में फसेंगे, और कोर्ट में प्लेन्टिफ और डिफेंडेंट के रूप में अलग अलग खड़े होंगे।

(श्री मूलचन्द सामरिया)

यह दहेज की बुराई से भी भयंकर बुराई होगी और भाई-बहिन के मिलने का अवसर यह प्रदान नहीं करेगा। इसके द्वारा विटरनेस पैदा हो जायेगी। इस कानून में लड़की है वह हेयर आफ फादर्स प्रोपर्टी है। इसलिए इस एक्सटेंट तक इसमें प्रोविजन कर दें और कानून में पाबन्द करें कि इन्कम-टैक्स पेअर मां-बाप अपने लड़के-लड़की की शादी नान-इन्कम-टैक्स पेअर की लड़की-लड़के से कर सकते हैं। सभापति महोदय, इस देश में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आय-कर देते हैं। आय-कर देने वाले लोग दहेज प्रथा को जन्म देते हैं। इन लोगों ने हर शख्स के लिए उदाहरण पेश किया है और जो गरीब हैं, समाज में रहने वाले गरीब लोग हैं वह अपनी इज्जत बचाने के लिए कर्ज लेकर, मकान गिरवी रख कर, जेवर बेच कर, जमीन है तो जमीन बेच कर या गिरवी रख कर दहेज की व्यवस्था करते हैं। समाज में जिन्दा रहने के लिए, उस व्यक्ति के मुकाबले में समाज में स्टेण्ड करने के लिए, उसके मुकाबले में खड़े रहने के लिए काम्पीटीशन में आते हैं और इस प्रकार बरबाद होते हैं। इसलिए आय-कर देने वाले को आप पाबन्द करें कि इन्कम-टैक्स पेअर को अपने लड़के-लड़की की शादी इन्कम टैक्स पेअर की लड़की-लड़के से करने की पर्मिशन नहीं होगी। इन्कम-टैक्स पेअर बाप अपनी लड़की की शादी नान-इन्कम-टैक्स पेअर लड़के से करे। दूसरा सुझाव मैं यह दूंगा, इसका आर्थिक पहलू भी है जिससे ब्लेक मनी का भी हल हो सकता है। जैसे रूलिंग पार्टी ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कहा था कि तीन हजार से अधिक देने व लेने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। मैं मानता हूं आप तीन हजार तक पर्मिसीबल मानते हैं तो तीन हजार तक तो निःशुल्क हो, कम से दो दो हजार देता है और 20 हजार दिया तो 50 हजार रुपए का टैक्स दे जिससे कुल उसको 70 हजार निकालने पड़ेंगे। इस तरह से सरकार को भी लाभ मिलेगा क्योंकि अततोगत्वा सरकारी मशीनरी द्वारा कमजोर वर्ग के काम में वह पैसा आएगा। जो दहेज देने वालों से कर मिलेगा उसका उपयोग कमजोर वर्ग के शादी संबंधित मामलों में ही किया जाए। अगर ऐसी व्यवस्था सरकार करती है तो वह व्यवहारिक होगी। अगर दहेज के लिए सीधा सा कानून बनाया गया कि अमुक मात्रा से अधिक नहीं दिया जा सकता, बरात में अमुक संख्या से अधिक नहीं जा सकते हैं तो फिर सरकारी फंक्शन्स, भाषण और जो मीटिंग होते हैं उसमें भी 25 से ज्यादा नहीं हों। कानून बनता है कि एक जगह 25 से ज्यादा आदमी नहीं जीम सकते तो फिर एक समय पर 25-25 बिठाकर 500 आदमी आज जाते हैं तो 500 आदमियों की व्यवस्था लड़की वाले को हर कीमत पर करनी पड़ती है और कानून के कारण अगर वह डरकर नहीं करता है तो उसकी मिट्टी पलीत होती है, समाज में मुंह दिखाने काबिल नहीं रहता। इसलिए स्ट्रिक्टली इसको आपको रोकना चाहिए।

तो व्यवहारिक दृष्टि से करें, दहेज सीमा को कामन सीमा में न रखकर हिन्दू सक्सेशन एक्ट को व्यक्ति की हैसियत के साथ जोड़ा जाए। अगर एक व्यक्ति के पास एक करोड़ हैं, उसके चार लड़के व एक लड़की है तो 20 लाख का दहेज अव्यवहारिक नहीं है लेकिन इसमें प्रोवीजन होगा कि किसी नान-टैक्स पेयर के लड़के साथ

(श्री मूलचन्द सामरिया)
शादी करनी होगी । एक व्यक्ति के पास केवल दस हजार है, उसके 5 बच्चे हैं तो उसको दो हजार से अधिक देने की इजाजत नहीं होनी चाहिए । तो स्टक्कर जब कानून बनायें, उस समय इन बातों पर विचार करें तो ज्यादा अच्छा होगा । बाकी पल्लीवालजी के संकल्प का समर्थन करता हूं । ऐसा कानून. मत बनायें जिससे पुलिस को परमिट मिल जाए, दो दो हजार रुपए ले लें, फिर निर्भीक होकर दहेज का लेन देन करें और कोई टोकने वाला नहीं हो ।

श्री सभापति : श्री श्रीराम गोटेवाला ।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, दहेज के संबंध में जो संकल्प पल्लीवालजी ने रखा है, उस संबंध में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं । दहेज समाज के लिए अभिशाप है । इससे लड़ने के लिए जहां कानूनी कार्यवाही की आवश्यकता है उसके साथ में मेरी मान्यता है कि समाज में वातावरण पैदा करना होगा । आज समाज में करीब 20 प्रतिशत लोगों में यह प्रथा है । ये 20 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो समाज पर बुरी तरह से हावी हैं । शादी के समय किए गए प्रदर्शन को देखकर दूसरे लोग भी देखा देखी करते हैं । उनकी वजह से सारी परेशानियां पैदा होती हैं । जो प्रदर्शन है, उसके साथ ही जिस प्रकार से इसका मोल तोल लेन देन तय होता है, उसके लिए मैं मानकर चलता हूं कि केवल कानून कहीं रोक लगाने की स्थिति में नहीं आएगा । अगर समाज का वातावरण ऐसा बनाया जाए तो हम इसमें सफल हो सकेंगे अभी भी आज की स्थिति में कई लोगों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं और सारे देश में दहेज के बारे में चर्चा है । कुछ लोगों ने कहा है कि दहेज की परेशानी इसलिए है कि लड़की का पैत्रिक संपत्ति में हिस्सा नहीं है । हमारे यहां जो समाज की परम्परायें हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी उनका संबंध पिता से जुड़ा हुआ रहता है, पैत्रिक संपत्ति में हिस्सा नहीं लेकिन हर समय उनकी शादी व्याह के मौके पर इस प्रकार की स्थितियां बनती रहती हैं और लड़कियां.....

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : व्यापारी वर्ग जिम्मेदार है ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं तो आह्वान करना चाहता हूं, माननीय सदस्य हिम्मत के साथ आगे आ जायें । जो कानून हम पर लागू हैं वे आप पर भी लागू हों । आपके यहां 4 शादियों की बात है । आप उनकी मीटिंग्स में सारी बातों के बारे में कहते रहते हो । सारा समाज एक है, समानता होनी चाहिए । चाहे व्यापारी वर्ग हो कोई भी हो । एक एक वर्ग के लिए अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए । मैं मान कर चलता हूं, एक तरफ जहां अभिशाप.......

श्री मूलचन्द सामरिया : मैंने उन व्यापारी लोगों के लिए कहा है.....

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपके बारे में जब पहले राजस्व मंत्री जवाब दे रहे थे तो मैं समझता हूं उन्होंने थोड़ी बात कह दी, वह फिट बैठती है । मैं जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य के बारे में निवेदन कर रहा था, उसमें कहीं दौसा से आने वाले को गलतफहमी हो तो उसका निराकरण करें । मेरा उनकी तरफ इशारा नहीं है, जो हिन्दुओं पर कानून लागू है, चाहे खटीक हों कोई भी हों । सारे

Page No 90

(90)

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

कानून एक तरीके से लागू होते हैं। वह स्वयं वकील हैं उनको किसी के बारे में गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। समाज में वातावरण पैदा करने की बात है उस बारे में हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। मैंने कई जगह देखा है जब लड़के की शादी का अवसर आता है तब लड़के वाले से कोई इसके लिए जिक्र करता है तो वह कहता है अभी मुझे शादी नहीं करनी है, कल फलां आदमी आया था, एक लाख रुपए आफर किया, मैंने मना कर दिया। जब लड़कियों की शादी का सवाल आता है तो वे समाज सुधार की बात करते हैं, समाज सुधार के भाषण करते हैं और ऐसी बातें करते हैं जिनसे वे तो बच जायें। तो कल समाज कल्याण मंत्री रिपोर्ट पर बहस का उत्तर देते हुए कह रहे थे कि हमें 'जाति तोड़ो' अभियान को प्राथमिकता देनी चाहिए। आज अग्रवाल की अग्रवालों में शादी होगी, जैन की जैनियों में होगी, इस संकुचित दायरे के लिए मैं कहता हूं। समाज कल्याण मंत्री यहां बैठे हैं और जहां तक मेरी जानकारी है, शायद उनकी कम्यूनिटी में जो सामूहिक विवाह होते हैं जैसा हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है, बीकानेर में कई स्थानों पर 500-500 जोड़ों के एक साथ सामूहिक विवाह होते हैं, अगर सारी जगह इनको प्रोत्साहित करें और सरकार की तरफ से प्रयास हों.....

श्री रामसिंह विश्नोई : आपने शुरू नहीं किया, बहुत समय हो गया।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं समझता हूं रामसिंहजी के यहां यह बीमारी नहीं है। यह बीमारी केवल मात्र 20 प्रतिशत वर्ग में है। उन 20 प्रतिशत में भी जैसे माननीय सदस्य कह रहे थे, दो नंबर पैसे वाले जो हैं, उनके यहां दिखावे का जो आयोजन होता है उस का हम सब चुपचाप तमाशा देखते हैं। उनका बहिष्कार करना चाहिए, इस बात को कहकर बहिष्कार करना चाहिए कि तुम्हारे यहां इस प्रकार की सजावट हो रही हैं, इसलिए हम तुम्हारी शादी में नहीं आयेंगे क्योंकि मध्यम वर्ग उसकी नकल करने में पिसता है। उनकी स्थिति यह है कि कई जगह लड़कियों ने आत्महत्या की केवल इसलिए कि लड़की के पिता लड़के वालों की मांग पूरी नहीं कर पाए। मुझे जानकारी है कई मेडीकल स्टूडेन्ट्स की जिनकी मंगनी का सौदा तय होता है कि लड़के की डाक्टरी की पढ़ाई का खर्चा लड़की वाला देगा, विदेश में पढ़ाई का खर्चा लड़की का पिता देगा। इस प्रकार की हरकतें होती हैं उनके खिलाफ हमें जनता की तरफ से, जन प्रतिनिधियों की तरफ से माहौल पैदा करना चाहिए। पंजाब ने कानून पास किया है और बिहार विधान सभा ने किया है, यह जो निकासी की व्यवस्था है, वह भी बुरी है। जयपुर में हाल ही में एक दो शादियों का आयोजन हुआ, 50।60 हजार रुपऐ खुली सजावट पर खर्च किए गए और यह सारा दो नंबर वाले करते हैं। सभापति महोदय, उसकी नकल फिर गरीब लोग और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वह करते हैं क्योंकि उन्हें भी अपनी समाज में प्रतिष्ठा रखनी पड़ती है। इसकी वजह से लोग अपनी हैसियत से ऊपर जाकर कर्जा करके दहेज देते हैं। आज किसी का बच्चा पढ़ा लिखा है तो वह चाहता है, कि हम हमारी लड़की को ऐसी जगह दें इसमें लोग बरबाद हो जाते हैं। शादियां रात्रि के वक्त या गोधूलि के बाद करने की जो बात कही जा रही है वह मुगलकालीन समय की बात है।

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

उस वक्त ऐसा किया जाता था। रात्रि को ही फेरे कर लिये जाते थे। इसके बारे में समाजकल्याण मंत्रीजी ब्राह्मण हैं ज्यादा जानते हैं इन्होंने पहले फेरे कराये हैं।

एक माननीय सदस्य: इन्होंने फेरे नहीं कराये हैं। आपने कराये होंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपको पता नहीं मैंने तो कराये नहीं। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि आजकल शादी के अन्दर हमारे यहां पर प्रदर्शन की बीमारी ऐसी है कि लोग यहां पर बैन्ड के आगे गाते नाचते हैं, बड़ा भोन्डा प्रदर्शन करते हैं। एक एक शादी में तीन तीन हजार की बिजली के लट्टू लगाते हैं और बैन्ड बाजे एक एक नहीं बल्कि दो तीन ले जाते हैं और उन पर अनाप शनाप दो नम्बर का पैसा खर्च किया जाता है। सभापति महोदय, मैं पहले तो इन प्रदर्शनों में जाता था लेकिन अब मैंने जाना बन्द कर दिया है। लेकिन मंत्री लोग भी इन शादियों में 5-10 मिनट के लिये 50-60 शादियों में एक दिन में जाते हैं। छंगाणी जी को पता है कि वह इस प्रकार के प्रदर्शनों में शादी के मौके पर जाते हैं....

श्री मोहनलाल छंगाणी (समाजकल्याण मंत्री) : आपके पास लिस्ट है क्यों कि मैं 50-60 शादियों में जाता हूं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सभापति महोदय, आज लोगों में थोड़े समय पहले से एक होड़ लगी हुई है। लोग डिमाण्ड करते हैं और फिर बाद में शान शौकत से खर्च करते हैं। इसलिये मेरा समाजकल्याण विभाग के मंत्रीजी से यह निवेदन है कि वह ऐसे कानून बना कर इस प्रकार के भोन्डे प्रदर्शन के ऊपर पाबन्दी लगायें। सभापति महोदय, मैंने जब चिकित्सा की डिमान्ड चल रही थी उस वक्त भी कहा था कि जो माननीय सदस्य, श्री गौरी शंकरजी ने जो नुस्खे की बात कही उस प्रकार के नुस्खों के ऊपर पाबन्दी लगानी चाहिये। यहां पर किसी माननीय सदस्य ने यह कहा था आपके लड़कियां हो रही हैं अगर आप मुनीमजी से दवा लें तो आपके लड़का हो सकता है। सभापति महोदय, जैसा कि हमारे देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा था कि आज भी हमारे देश में लड़के और लड़कियों के बारे में भेद-भावपूर्ण बर्ताव की भावना है वह खराब है। उन्होंने कहा कि किसी के लड़कियां ही होती हैं और लड़का नहीं होता है तो वह सोचता है कि मेरे लड़का नहीं होने के कारण मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा, मेरी सम्पत्ति का मालिक कौन होगा। तो इस प्रकार लोग लड़कों को लड़कियों से अधिक पसन्द करते हैं। सभापति महोदय, यह बात हमारे समाज के लिये एक कलंक है, समाज के लिये एक अभिशाप है। यही कारण है कि हमारे देश में जो लड़कियों के आत्महत्या के मामले होते हैं उसका मूल कारण यह दहेज प्रथा है। पंजाब ने एक अभी बहुत अच्छा कानून बनाया है। उसमें ऐसा है कि किसी की लड़की शादी के दो वर्ष के अन्दर दुर्घटना से मर जाती है तो उसकी जांच करायी जानी चाहिये। सभापति महोदय, पंजाब की बात अलग है, वहां की परिस्थितियां कुछ और हैं। वहां पर कई बार ऐसे केसेज हुए कि लड़कियां बाद में आत्महत्या कर लेती हैं। वहां पर औरतों की कमी भी थी तो भी ऐसी गड़बड़ है। राजस्थान के अन्दर हमारे समाज में ऐसा ही कानून बनाया जाना चाहिये जैसा कि पंजाब में बनाया। इसके लिये हमें जनमानस बनाना चाहिये।

Page No 92

(92)

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

उसके साथ साथ मैं समाजकल्याण मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप ऐसा कानून बनायें कि जिससे कि प्रदर्शन की प्रथा ही बन्द हो जाय। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो छात्र राज्य सरकार से छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं उनके लिये तो आपको कम से कम यह कानून बना देना चाहिये कि वह लोग दहेज नहीं लेंगे और इस प्रकार के भोन्डे प्रदर्शन नहीं करेंगे। सभापति महोदय, आज स्थिति यह है; मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो कि रात को तो यहां पर आकर दहेज विरोधी भाषण देते हैं और सुबह जब उनके भाई की शादी की बात करता हूं तो यह कहते हैं कि अभी तो हमारा इरादा नहीं है। शादी करने कल ही एक कलकत्ता की पार्टी आयी थी। उसने यह कहा कि आप का भाई इन्जीनियर है हम एक लाख रुपया लगाने को तैयार हैं आप उसकी शादी करदो। पर मैंने तो कह दिया कि हमारा तो अभी विचार नहीं है। तो यह नारे बाजी से तो काम चलने वाला नहीं है। इसके लिये हमें जनता में चेतना पैदा करने की जरूरत है। हमें ऐसी बातों को प्रोत्साहन देना चाहिये जिससे कि हमारे समाज में सामूहिक शादियां हों जैसे अभी कोटा में अग्रवाल फेमिलीज में 13 शादियां सामूहिक हुई। इसी पर बिश्नोई लोगों में सामूहिक शादियां होती हैं। यह बहुत अच्छा रिवाज है। जोधपुर के पुष्करणों में, बीकानेर के पुष्करणा जाति में यह रिवाज है कि वहां पर सिवाय दो चार पर्सेन्ट को छोड़कर बाकी सामूहिक शादियां होती हैं। यह दो चार पर्सेन्ट लोग वही हैं जो कि अब ज्यादा पैसे वाले हो गये हैं वह ऐसा करते हैं। मेरा निवेदन यह है कि समाज में सामूहिक विवाह होने चाहिये। ऐसे विवाहों को आपको प्रोत्साहन देना चाहिये। इस दहेज प्रथा को, जो कि समाज में एक कलंक है, हमें समाप्त करना है। इसके लिये जैसा कि कल समाजकल्याण मन्त्रीजी ने यह कहा कि आज समाज में हमें 'जाति तोड़ो' अभियान शुरू करना चाहिये। दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर कोई शिड्यूल्ड कास्ट्स या ट्राइब्स के लोगों का व्यक्ति कोई शादी दूसरी जाति में करना चाहता है तो उससे भी दहेज प्रथा समाप्त होगी। युवकों को एक निर्णय लेना चाहिये कि वह शान शोकत वाली शादियों का बहिष्कार करें। कम से कम जन प्रतिनिधियों को चाहिये कि वह कम से कम ऐसी शान शौकत वाली शादियों में ढोली की तरह नहीं जायें। हमें जगह जगह जाकर कार्यक्रम बना कर दहेज प्रथा के खिलाफ में विरोध का प्रदर्शन करना चाहिये। बस मुझे इतना ही निवेदन करना है।

श्री सभापति : श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

श्री मोहनलाल छंगाणी : गफ्फार अलीजी किस बारे में बोलेंगे दहेज के बारे में बोलेंगे या मेहर के बारे में बोलेंगे ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय की जानकारी के लिये यह अर्ज किया चाहता हूं कि मैं दोनों ही मुद्दों पर मेरी गुजारिशात पेश करूंगा। दोनों पर ही बोलूंगा। सभापति महोदय, मन्त्री महोदय ने बहुत ही परटीनेन्ट सवाल रखा है, जहां तक मुस्लिम समाज में मेहर

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

का संबंध है मैं निवेदन किया चाहता हूं कि इस्लाम में शादी को एक कोन्ट्रेक्ट माना है जब कि दूसरे मजहब में इसे कोन्ट्रेक्ट नहीं माना है। जब कोन्ट्रेक्ट किसी प्रकार का करते हैं तो उसमें कुछ कन्सीडरेशन होना जरूरी है। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मेहर उस कदर है जिसको इस्लामी नुक्ते नजर के हिसाब से लेने देने की बात नह है बल्कि दूल्हा अपनी सहूलियतों के अनुसार दुल्हन को मेहर की रकम देता है। यह मेहर की शुरूआत प्रोफेट हजरत मोहम्मद साहब के जमाने में चार कदीने या दस कदीने ज्यादा से ज्यादा रखी जाती थी। दहेज प्रथा एक समाज की बुराई है यह एक मजहब की खराबी है जो हर जगह फैल गयी है न सिर्फ हिन्दुओं में बल्कि मुसलमानों में भी किसी हद तक फैल गयी है। इसके बारे में यह सोचना कि इसके लिये अलग से कानून हो यह नजरिया सही नहीं है। मैं यह समझता हूं कि दहेज के बारे में हमारी नीति बिलकुल स्पष्ट होनी चाहिये। ऐसे कानून बना देने से, जो कानून लागू न किये जा सकें, कोई मकसद हासिल नहीं होता है। यह सही है कि आप कानून का कैसा भी सहारा ले लें अगर हम समाज को इस तरफ आकर्षित नहीं कर सकते, अगर हम अपने अवाम को तालीम के दरवाजे तक नहीं पहुंचा सकते तो यह प्रोग्राम हमारा पूरा हो सकना मुश्किल है। लेकिन मैं एक बात यह निवेदन किया चाहता हूं कि आज यह हालत पैदा हो गयी है मुल्क के तालिबे इल्म में यह एहसास होता जा रहा है कि दहेज की प्रथा खराब है। यह एक किस्म की अवेकनिंग है जिसको स्वीकार करना चाहिये। मजहब का सहारा लें या न लें लेकिन समाज के अगुवा लोग इस प्रथा को खत्म करना चाहें तो खत्म हो जावेगी। माननीय सदस्य, गोटेवाला साहब ने अभी कहा और इसके बारे में जो कुछ भी कहा कि शादियां इस प्रकार से होती हैं और इतना खर्चा किया जाता है। ये सब चीजें उन्होंने कहीं। अगर वे अपनी बिरादरी में प्रभावशाली व्यक्ति हैं तो पूरी बिरादरी को उनको एकत्रित कर कहना चाहिये कि बिरादरी का फर्ज है कि जो दहेज लेगा और देगा उसकी शादी में शरीक नहीं होंगे। आप देखेंगे कि उसके असरात कितनी जगह पैदा होते हैं। यहां सैकड़ों कौमें हैं, सैकड़ों मजाहिब के लोग मौजूद हैं। उनको चलाने वाली एक मशीन है जो उनकी बिरादरियां हैं। आपको एक कोई काम्प्रिहेंसिव कानून लाना चाहिये जिससे बिरादरियों का समर्थन हासिल करके आप समाजी बिरादरी पैदा करने में कामयाब हों। एक नहीं अनेक मिसालें मौजूद हैं। शादी करने के बाद बहुत सी शरीफ लड़कियां मौत का शिकार इसलिये बन जाती हैं, खुदकुशी इसलिये कर लेती हैं कि उनके वालदेन ने दहेज अच्छा नहीं दिया रात दिन तानेकशी, चुभने वाली बातें सोसाइटी में कही जाती हैं जिससे बहुत सी लड़कियां खुदकुशियां कर लेती हैं। एक आध बिरादरी तो ऐसी है कि बड़ी उम्र तक भी उनमें लड़कियों की शादी नहीं होती है। कश्मीरियों के बारे में मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि कई लड़कियां तीस तीस वर्ष, चालीस चालीस वर्ष तक कंवारी रह कर अपनी जिन्दगी खत्म कर लेती हैं और दहेज के कारण उनको सूटेबल वर नहीं मिलता है।

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है । 27 साल की आजादी के बाद भी हम अपनी इस दहेज प्रथा को नहीं मिटा सके । इसका मतलब यह नहीं कि उसकी तरफ कोई प्रयत्न नहीं किया हो और असफल रहे हों। मेरी मान्यता यह है कि इस देश में अब तक इस दिशा में कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया गया है और न हम इस प्रथा को मिटाने के लिये सही दिमाग और सही दिल से प्रयत्नशील हैं । दूसरों के लिये कि वह दहेज न दें यह तय कर सकते हैं लेकिन हम अपनी बच्ची की शादी में दहेज न दें यह तय नहीं कर पाये हैं । गोटेवाला साहब का क्या नजरिया है ? ज्यादा खराबी उन लोगों में है जिनके पास दौलत हैं। शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग और गरीब तबके के मुसलमान लोगों के पास न साधन हो सकते हैं और न ही इस बात को सोच सकते हैं । इस खराबी में भागीदार मजबूरन हो जाते हैं। वह जो कुछ भी देते हैं वह उनको कर्जा लाकर देना पड़ता है । हिन्दुस्तान में जो सक्षम वर्ग है, जो थोड़ा पढ़ा लिखा वर्ग है, उसमें यह खराबी ज्यादा है बनिस्बत जो कम पढ़े लिखे हैं। हमारी जिम्मेदारी यह हो जाती है कि हम पढ़े लिखे लोग हैं हम अपनी बिरादरियों को प्रभावित कर सकते हैं, हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हम अपनी बिरादरी पर असर डाल कर ऐसा माहौल तैयार करें कि किसी को दहेज देने और लेने की हिम्मत हौंसला न रहे । यह कह देना कि अच्छे किस्म से, शानो शौकत से बरातें निकलेंगी तो हम शरीक नहीं होंगे उससे बड़ा परिवर्तन होने वाला नहीं है । दहेज की प्रथा खत्म कर दी जाय, दहेज लेना देना बन्द हो जाय, गरीब बच्चियों की जिन्दगी का सुधार हो जाय इसके लिये जो कदम आप उठाना चाहते हैं वह प्रभावशाली नहीं हो सकते हैं । आप एक शरीक नहीं होते हैं तो और तो शरीक होते हैं । पचास बाजे वाले हो जाते हैं और पांच बराती हों भले ही । उस चीज को इस तरह से कन्ट्रोल नहीं कर पायेंगे । मैं यह निवेदन करूंगा इस सम्बन्ध में जो कानून, जो बिल आज रखा गया है उसके बारे में अभी हमने अध्ययन नहीं किया है । जो शोभाराम जी के द्वारा रखा गया, उसका अभी अध्ययन नहीं किया गया है। जरूरी तरमीमात करके यदि उस बिल पास नहीं कर सकें तो उसको एक ऑर्डिनेन्स की शक्ल में लाकर दहेज प्रथा के प्रति यह बात साबित करिये कि उसको मिटाना चाहते हैं ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिये सख्त सजा रखनी चाहिये । छः महीने की सजा लाजमी रखें या न रखें लेकिन 15 दिन की ही रख देंगे तो तदारुक हो सकेगा । बालकों की शादी के विषय में जो कानून बनाया उसका लाभ नहीं हो सका क्योंकि उसमें सजा नहीं रखी । लोग समझते हैं कि कानून बनते हैं और बिगड़ते रहते हैं, हिन्दू धर्म में इजाजत है, इसलिये उसको मानने के लिये तैयार नहीं हैं । यह नजरिया है उसके सिलसिले में जल्द कानून लाकर काम्प्रीहेंसिव कानून लाकर इस प्रथा को जल्दी समाप्त कर सकें तो जरूर किया जाय । इसके अतिरिक्त कोई कानून हो, माननीय गोटेवाला साहब ने कहा कानून लाने की आवश्यकता है, खराबी हो सकती है कौम और मजहब के कुछ लोगों में वैसे जालसाजी करना पाप मानते हैं फिर भी जो कानून लाना चाहते हैं, मिल-जुल कर कन्धा से कन्धा मिला कर उसको कामयाब बनाने की जरूरत है ।

श्री सभापति : श्री ओंकारलाल चौहान ।

श्री ओंकारलाल चौहान (डग) : माननीय सभापतिजी, माननीय श्री हरिश्चन्द्रजी पल्लीवाल ने गैर-सरकारी संकल्प सदन में रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं । माननीय सभापतिजी, इस दहेज प्रथा को हमें दो दृष्टिकोणों से देखना पड़ेगा एक तो कानूनी दृष्टि से और दूसरे सामाजिक दृष्टि से । कानून बने और राजस्थान में और हिन्दुस्तान में कई प्रकार के कानून बने, चाइल्ड मैरेज एक्ट बना, एण्टी-डावरी एक्ट बना लेकिन मैं यह समझकर चलता हूं कि हमारा जो समाज है, हम जिस समाज में रहते हैं उसमें ऐसे कन्वेन्शन्स पड़ गये हैं, ऐसी ट्रेडीजन्स पड़ी हुई हैं कि जिसके बन्धन में हम पड़े हुए हैं और आज भी आजादी के 28 साल के बाद हम उनसे मुक्त नहीं हो पाये हैं, उन कन्वेन्शन्स से हम आज तक मुक्त नहीं हो पाये हैं । माननीय सभापतिजी, इसके लिए कानून ही केवल बना देना काफी नहीं है। कानून बनने चाहिए लेकिन कानून की पालना, उसका इम्पलीमेन्टेशन कठोरता से और समय पर होना चाहिए । अगर वह होता है तो वह भी एक तरीका है समाज के सुधारने का, समाज को आगे ले जाने का, समाज में प्रगति लाने का । साथ ही साथ समाज में जो सोशियल इविल्स हैं उनको हम सामाजिक तरीके से कैसे दूर करेंगे ? माननीय सभापतिजी, यह देखने की बात है कि हम इन 28 सालों की आजादी के बाद भी मेटेरियल युग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं । स्प्रिचुअल और मोरल वेल्यूज हमारी दिनों दिन घटती जा रही हैं । हम श्रम की महत्ता को कम समझने लगे हैं । हम जाति प्रथा की ओर ज्यादा झुकते हैं । जो हमारा बेरियर आफ कास्ट सिस्टम है उसके ऊपर हमको चोट करनी पड़ेगी । यह देखना पड़ेगा कि कास्ट सिस्टम, जो कि सोशियल इविल है, को हम किस प्रकार से इस सामाजिक ढांचे के अन्दर बदलें । माननीय सभापति जी, पालिटिकल रिवोल्यूशन हुए, उस रिवोल्युशन के साथ ही साथ सोशियल रिवोल्युशन्स भी होना आवश्यक है । सोशियल रिवोल्युशन की जब बात करते हैं तो इसी प्रकार की बाधायें सामने आती हैं। हमारी इसमें एक प्रवृत्ति हो गयी है कि हम पैसों की ओर ज्यादा झुक गये हैं । शादियों के नये तरीके निकलें । कुछ परिवार जो बड़े हैं वह तो यह तरीका अपनाने लगे कि बीच में सौदा हो जाता है इस बात के लिए कि अगर वह लड़की की शादी करता है तो इंग्लैण्ड की पढ़ाई का खर्चा, जापान की पढ़ाई का खर्चा, फ्रांस की पढ़ाई का खर्चा, अमेरिका की पढ़ाई का खर्चा और अगर हिन्दुस्तान में ही है तो मेडिकल की पढ़ाई का खर्चा, इन्जीनियरिंग की पढ़ाई का खर्चा दें इस प्रकार के नये तरीके उन्होंने अपना लिये हैं कि जिससे उनको पैसे की प्राप्ति हो । पैसों की प्राप्ति का और भी तरीका अपनाया है सगाई के संबंध में, टीके के संबंध में, लगन के संबंध में और इसके कारण जो 90 प्रतिशत परिवार हैं वह कठिनाई में पड़ जाते हैं । भाषण सब देते हैं, बातें सब करते हैं लेकिन इस बात की पाबन्दी कर नहीं पाते हैं । मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जिस बात को हम कहते हैं उसको पूरा क्यों नहीं कर पाते हैं ? इसका कारण यह है कि समाज के बन्धन ऐसे बन गये हैं, ऐसी आर्टीफिशियल लाइफ बन गयी है कि हम मोरल वेल्यूज

(श्री ओंकार लाल चौहान)

से पीछे हटते जा रहे हैं। हमको कार चाहिएं, बंगला चाहिए और दूसरी चीजें भी चाहिएं। अगर ऐसी बातें हम करते हैं तो एक साधारण परिवार का क्या होगा? साधारण परिवार की लड़कियों का क्या हाल होगा?

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उदयपुर के अन्दर एक बोहरा समाज का सवाल आया। सौ, सौ परिवार धर्म के चक्कर में ऐसे फंस गये कि कौन शादी कराये, कौन शिक्षा दे। महीनों इसी झगड़े के अन्दर चले गये कि किस से फतवा पढ़ाया जावे। फतवा पढ़ने के लिए उदयपुर से आयें या बम्बई से आये, कौन ठेकेदार उस काम को पूरा कराये। लड़कियों की उम्र 28, 30 और 35 साल हो जाती है और कई लड़कियां कंवारी रह जाती हैं। समाज के अन्दर यह एक कलंक है, पाप है, अभिशाप है। मैं आपके माध्यम से, सभापतिजी, निवेदन करना चाहता हूं कि स्त्रियों का ऐसा समाज है कि एक एक महिला स्त्री के रूप में भी रहती है, एक महिला बहिन के रूप में भी रहती है और एक महिला पत्नी के रूप में भी रहती है और वही महिला जो पत्नी के रूप में रहती है, नवजात शिशु को जन्म भी देती है। इसके लिए मैं महात्मा गांधी का उदाहरण पेश करना चाहूंगा, रवीन्द्रनाथ ठाकुर का उदाहरण पेश करना चाहूंगा और बड़ी बड़ी विभूतियों का भारत में जन्म हुआ। छत्रपति शिवाजी पैदा हुए। हमको उस बात को देखना चाहिए। The hand that rocks the cradle rules the world. पालने में झूलने वाला व्यक्ति गरीबी में पैदा होता है तो वह वर्ल्ड को भी रूल करता है। हमको यह देखना चाहिए कि एक सामाजिक बुराई जीवन में घुस गयी है उसकी ओर हमारा ध्यान जाना अत्यन्त आवश्यक है। सभापतिजी, मैरेज का तरीका बहुत सादा होना चाहिए। अभी श्री गफ्फार अलीजी कह रहे थे कि marriage is a contract for the future life. हिन्दू धर्म या मुस्लिम धर्म या पादरियों का धर्म कोई भी हो marriage is a sacred relation. लेकिन मुस्लिम सम्प्रदाय में marriage is contract. जैसे मेहर है। 5 हजार, 10 हजार या 20 हजार अगर तलाक देने की बात करें तो जो लम्पसम तय करते हैं वह मेहर है, वह अमाउन्ट होता है वह देना पड़ता है। यह भी नाजायज है आज के युग के अन्दर। आज युग में हमें विचारधारा को समझना पड़ेगा और बदलती हुई परिस्थितियों में मजहब और जाति बेरियर है, इनको तोड़ना पड़ेगा। तभी हम समाज में क्रांति ला सकते हैं और समाज को आगे ले जा सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अन्यथा जैसा मैंने निवेदन किया था कि डेमोक्रेटिक ढांचा है, पालिटिकल फेस इसका बना हुआ है। इसका सोशियल और इकानामिक बेस नहीं बनेगा तो it will collapse one day because it is built on sand. यह एक दिन ढह जायेगा क्योंकि यह मिट्टी के ढेर पर खड़ा हुआ है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमें इन्टर-कास्ट मैरेजेज को प्रोत्साहन देना चाहिए।

(श्री ओंकारलाल चौहान)

इसी के साथ साथ एक भाई कह रहे थे कि लड़कियों का कोई हिस्सा नहीं है। हिन्दु कोड बिल में अब लड़कियों का भी हिस्सा हो गया है और शादी के बाद भी हो गया है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक समय वह आया था When there were differences on Hindu Code Bill and Dr. Ambedkar had resigned from the Law Ministry. हिन्दु कोड बिल के आधार पर जब मतभेद हुआ, सोशियल रिवोल्यूशन लाने की बात आई तो उन्होंने ला मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिया। आज आवश्यकता है सब के दिलों को टटोलने की। यह किसी पर आक्षेप या छींटाकशी करने की बात नहीं है। हम समाज में रहते हैं और हमारे समाज के कन्वेन्शन्स हैं, ट्रेडीशन्स हैं और यही कन्वेन्शन्स लॉ का रूप ले लेते हैं। उनको तोड़ना पड़ेगा और इसमें मैं समझता हूं कि जो विधायक हैं, जो दूसरे लोग हैं, युवक लोग हैं, नयी पीढ़ी हैं उनको आगे आना पड़ेगा, हिम्मत से काम करना पड़ेगा और पुरानी पीढ़ी के लोग जो बूढ़े लोग हैं जिनकी दो नम्बर की कमाई है या कैसी भी कमाई हो आज वह इस प्रकार के तरीकों में उलझ रहे हैं उनको समझाना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ यह भी देखना पड़ेगा कि कोई री-एक्शन नहीं हो। हमें हृदय परिवर्तन की बात करनी चाहिए। री-एक्शन पैदा नहीं हो उसको रोकने के लिए बहुत सहानुभूति से और अच्छे तरीके अपनाने पड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, माननीय सभापतिजी, मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : श्री विट्ठलभाई।

श्री विट्ठलभाई (पीपलखूंट) : सभापति महोदय, यह दहेज लेना और देना दोनों चीजें हर समाज में अलग अलग हैं। कुछ पैसे वाली कौमें हैं उनमें तो दहेज लड़के वाले हैं वे लेते हैं और कुछ गरीब कौमें हैं जैसे आदिवासी हमारे जिले में, कुछ हमारे जिले में हरिजन भी हैं, इधर के हरिजननों की बात मैं नहीं करूंगा लेकिन हमारे क्षेत्र और हमारे जिले की बात करूंगा। सभापति महोदय, हमारे यहां दहेज लड़की वाला लेता है। अगर लड़की वाला दहेज लड़के से लेगा तब तो शादी करेगा नहीं तो शादी नहीं होती है। दूसरी कौमों में लड़के वाले लड़की वाले से दहेज लेते हैं। लेकिन जो छोटी कौमें हैं उनमें लड़के बड़े हो जाते हैं, उम्र ज्यादा हो जाती तब भी शादी नहीं होती। हमारी कौम में लड़की वाले के दहेज लेने के कारण लड़के शादी के बिना रह जाते हैं क्योंकि गरीब घरों से होते हैं, खाने पीने से मोहताज होते हैं, वे दहेज दे नहीं पाते हैं और उनकी शादियां होती नहीं हैं। लड़कों की उम्र शादी की हो जाती है फिर भी उनकी शादी नहीं होती। तो इसके लिए हम लोगों ने भी, हमारे समाज ने इसका आन्दोलन किया, प्रचार भी किया लेकिन कानून इसके लिए नहीं था। तो कई लोगों ने तो मान भी लिया कई लोगों ने न मानते हुए भी पैसा ज्यादा ले लिया। तो हम लोग भी बहुत भुगत चुके हैं। इसलिए यह जो बिल आ रहा है इस बिल में कुछ धाराओं में सजाए भी रखी हैं। एक साल की सजा और पांच हजार रुपया जुर्माना। ठीक है, मैं इनसे सहमत हूं लेकिन एक जो कानून बनेगा उसमें पांच हजार तक का सामान लड़के वाला भी देवे तो हमारे ही जो रिवाज हैं और हमारी जाति में जो रिवाज हैं, लड़की वाला कम से कम ढाई तीन हजार रुपये लेता है तब उसकी शादी

Page No 98

(98)

(श्री विट्ठलभाई)

होती है तो इससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे समाज में इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि ढाई तीन हजार रुपयों में शादी हो जाती है। ढाई तीन हजार रुपये भी हमारी कौम में देना मुश्किल हो जाता है क्योंकि गरीब हैं, उनकी कोई आमदनी नहीं है। आदिवासी गरीब लोग ढाई तीन हजार रुपये भी कहां से लावें और कैसे अपने लड़कों की शादी करवावें। तो सभापति महोदय, मैं इस कानून के विषय में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। चाहे कानून एक ही बने लेकिन जाति के आधार पर हो सके तो लड़की वाले, बहुत से लड़के वाले भी गरीब होते हैं जो कि अपना खर्चा न कर सकने के कारण शादी नहीं कर पाते। तो कम से कम मेरा यह सुझाव है कि हमारे गरीबों के अन्दर कोई मर्जी आता है तो नहीं भी लेता है, बहुत से लड़की वाले पैसा नहीं लेते, मुफ्त में शादी करवा देते हैं। अगर कोई गरीब है उसके लिए पांच सौ रुपये तक का मेरा सुझाव है। पांच सौ रुपये लेकर उस लड़की वाले बाप को अपनी लड़की की शादी करा देनी चाहिए। यह मेरा सुझाव है। बाकी ज्यादा जो पैसा लेते हैं उसके लिए कानून बनना चाहिए। उसके बारे में मैं सहमत हूं और मैं इसका समर्थन करता हूं लेकिन यह समाज के अलग 2 रिवाज हैं, अलग अलग जाति प्रथा है उस कारण से जो बड़े लोगों में और छोटी छोटी कौमों में साथ जोड़ देना कानून में मुश्किल रहेगा। जो पैसे वाला है वह तो पांच, दस हजार भी दे सकता है और पचास हजार भी दे सकता है लेकिन यह जो पांच हजार का रखा है यह गलत है। इससे क्या है कि एक ही कानून छोटी जाति और बड़ी जाति पर लागू हो जावेगा। इसलिए हमारी जाति के लिए सुझाव देता हूं कि कम से कम पांच रुपया लड़की वाला ले ले, इससे ज्यादा ले तो गुनाहगार हो कानून में......

श्री देवीलाल : लड़की वाला नहीं लेता.

श्री विट्ठलभाई : अरे भाई, लड़की वाला लेता है।

श्री देवीलाल : हमारे यहां तो बन्द कर दिया।

श्री विट्ठलभाई : आपके जिले में भी लेते हैं। कोई अपनी मर्जी से भले ही न ले, मैंने नहीं लिया मेरी लड़की का....

श्री ओंकारलाल चौहान : भीखाभाई कहते हैं कि बराबर लेते हैं लड़कीवाले।

श्री विट्ठलभाई : आदिवासियों में रिवाज है, लड़की वाले लेते हैं। पांच परसेंट नहीं लेते होंगे लेकिन 95 पर्सेन्ट लेते हैं और लड़के ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो यह नहीं है कि उदयपुर जिले में नहीं लेते, उदयपुर जिले में भी लेते हैं।

श्री ओंकारलाल चौहान : भीखाभाई कहते हैं कि....

श्री विट्ठलभाई : तो यह कानून में रखना चाहिए। पांच सौ रुपये तक लड़की वाले के लिए रखें तो बेजा बात नहीं है लेकिन ज्यादा ढाई हजार तीन हजार लेता है तो उसके लिए कानून बनायें, इसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री देवीलाल : बिल्कुल नहीं लेना चाहिए।

श्री विट्ठलभाई : बिल्कुल नहीं लेने से तो काम कैसे चलेगा। आखिर हल्दी मेंहदी

(श्री विट्ठलभाई)

कुछ भी लाने को पैसा तो चाहिए। इसलिए यह मेरा सुझाव है।

सभापति : श्री गौरीशंकर मुनीम।

श्री गौरीशंकर मुनीम (कानपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं दहेज प्रथा पर अपने सुझाव रखना चाहता हूं। वैसे काफी माननीय सदस्य बोल चुके हैं और कई महानुभाव अभी और प्रकाश डालेंगे। जैसा अभी सभी ने यह कहा कि लड़की वाले से मांगते हैं लड़के वाले। यह बात नहीं है असल बात यह है कि जो लड़की वाले मालदार होते हैं वह लड़के वाले को मजबूर करते हैं कि हम दस हजार देंगे, बीस हजार देंगे। चाहे गरीब का लड़का हो और वह इंजीनियर है, डॉक्टर है या कोई अच्छा लखपति है उस पर लड़की वाला उसको मजबूर करता है कि आप मेरे यहां शादी करो। अब आप सोचिए कि लड़की वाले खुद ही मजबूर करते हैं तो जिसके पास में दो पैसे आएं तो वह क्यों नहीं लेना चाहेगा। लड़की वाले भी असल में मजबूर करते हैं। लड़के वाले जो हैं उनके लिए कानून बन रहा है वह तो ठीक है परन्तु असल में दोतरफा मामला है। इकतरफा मामला नहीं है। अभी हमारे भाई साहिब कह रहे थे कि छोटी जाति के अन्दर लड़की वाला पैसे लेता है। यह तो हमारे जमाने में भी था। मेरे ख्याल से आज से तीस चालीस साल पहले जब लड़कियां कम थीं तो लड़की वाले बीस हजार, तीस हजार और पचास हजार तक लेते थे। साठ साठ हजार तक लड़की वाला लेता था। यह तो टाइम की बात है। अब टाइम बदल गया। अब उल्टा टाइम हो गया है लड़के वाले लेने लग गये हैं।

(व्यवधान : अश्रव्य)

पहले लड़कियां मिलती नहीं थीं इसलिए बेचारों को देना पड़ता था। तो मेरा निवेदन है कि इस कानून को खाली ऐसे पास कर देने से कुछ असर होने वाला नहीं है। इसमें लड़की वाले और लड़के वाले दोनों के वास्ते इतनी सख्ती हो। लड़की वाला भी यह चाहता है कि मेरी बेटी के लिए कोई बड़े आदमी का बेटा मिल जाय, बड़े आदमी के यहां मेरी लड़की की शादी हो जाय और लड़के वाला है वह भी चाहे गरीब है वह चाहता है कि लखपति के यहां शादी हो। इसलिए दोनों पर बराबर से प्रतिबन्ध लगा दें। दोनों ही ले दे नहीं सकें तब तो यह कानून कामयाब होगा और फिर यह बात भी है कि मेरी लड़की है और मुझे किसी लखपति के यहां शादी करनी है, कोई बीस हजार दे रहा है, कोई तीस हजार दे रहा है तो वह दस हजार और ज्यादा करके चुपचाप उसकी जेब में डाल देगा तो आप क्या करेंगे? केवल कानून बना देने से काम चलने वाला नहीं है। मैं खुद देख रहा हूं कि सगाई के मौकों पर पांच पांच हजार, दस दस हजार ले लेते हैं चुपचाप और ऊपर से कहते हैं कि एक रुपया नारियल लिया है। तो यह कानून तभी बन सकता है, तभी कामयाब हो सकता है जबकि दोनों को सजा हो। यह नहीं कि साहिब लड़के वाले को सजा हो और लड़की वाले को कुछ भी नहीं हो तो लड़के वाले को सजा क्यों दे रहे हो और मैं समझता हूं कि इस कानून से यह दहेज की प्रथा तब तक बन्द नहीं होगी जब तक लोगों के पास इतना पैसा रहेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आप भी, सभापति महोदय, पैसे वालों का नाम लेते हैं, उनकी तरफदारी करने लगे।

श्री **सभापति** : मुझे ऐसा लगा कि आप बोल चुके हैं और बोलने के लिए भूमिका बना रहे हैं।

श्री **गौरीशंकर मुनीम** : ऐसी बात नहीं है। मेरा निवेदन है कि असल में यह पैसे वाले जो हैं, कई लोगों के पास दो नम्बर का बहुत पैसा है। इस पैसे को जब तक सरकार नहीं लेगी तब तक लोग ऐसे ही देते रहेंगे और लेते रहेंगे। मेरा सुझाव है कि इन पैसे वालों पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। इतना पैसा बाजों पर लगा देते हैं, दावतों में लगा देते हैं, जब तक आप इन पर प्रतिबन्ध नहीं लगायेंगे तब तक कामयाबी नहीं मिलेगी।

दूसरी बात मुझे यह निवेदन करनी है कि यह जो नई प्रथा सामूहिक विवाह की शुरू हुई है यह बहुत अच्छी है। इससे दहेज बहुत कम हो गया है। हालांकि लेते हैं। अपने लड़के लड़कियों को वहां पर लाकर बिठा देते हैं और जो दो चार हजार लेना होता है पहले से ही ले लेते हैं लेकिन जो खर्चा गाजे बाजों में, बिन्दोरियों में और दूसरे रीति रिवाजों में होता है, वह बन्द हो गया है। इसलिए सामूहिक विवाह की प्रथा सरकार को कायम कर देनी चाहिए कि बीस लड़के लड़कियों की साथ शादी होगी तब तो यह दहेज का कानून कामयाब होगा वरना इसके अलावा कोई ऐसा जरिया नहीं है कि दहेज बन्द हो जाय। बस मैं यही कहना चाहता हूं।

श्री **सभापति** : श्री रणजीतसिंह।

श्री **रणजीतसिंह** (ओसियां) : सभापति महोदय, यह दहेज प्रथा आज से नहीं चल रही है, पीढ़ियों से चल रही है। यह पीढ़ियों से भी दहेज प्रथा सम्बन्धित नहीं है, यह राज्य से और समाज से संबंधित रही है। जो समाज पहले राज्य करता आया है, उसके समय यह दहेज प्रथा रही है। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि राजस्थान के अन्दर जिसको पहले राजपूताना कहते थे, राजपूतों का राज्य था ज्यादातर और ज्यादातर यह प्रथा राजपूतों में रही है। राजपूतों के उन परिवारों में ऐसी लड़कियां देखी हैं जो कुंआरी रह गयीं और कुंआरी मर गयीं। उनकी शादी नहीं हो सकी इसी कारण से कि उनके परिवार वाले, खानदान वाले पैसा नहीं दे सके, दहेज नहीं दे सके टीका नहीं दे सके इसलिए वे कुंआरी रह गईं। आज भी यह दहेज राज्य और पैसे वालों से संबंधित है। आज जो राज्य में हैं, जिनके पास पैसा है वे ही दहेज देते हैं। गरीब समाज उनकी तरफ ताकता है कि हमारी लड़की एक अच्छे परिवार में जाये। वह पूरी कोशिश करता है। यह आज राजपूत जाति से ही संबंधित नहीं रह गया है। कोई भी कौम हो, ज्यादातर व्यापारी वर्ग और राजकीय समाज उसमें यह प्रथा आजकल बहुत चल रही है और उसी कारण से पूरे समाज की बदनामी होती जा रही है। हालांकि जितना कहा जा रहा है उतनी बात नहीं है लेकिन एक घर वाला दूसरे घर वाले को देता है तो उसकी भी लालसा होती है कि मैं भी किसी तरह जमीन को रख कर ही, जिस तरह से उसने अपने घर की सजावट की है, उसी तरह की सजावट कर के बैन्ड बाजे के साथ मेरी लड़की को विदा करूं। कानून के जरिये यह प्रथा खत्म होना मुश्किल है जब तक कि समाज के नौजवान आगे आकर के इस चीज को अपने हाथ में नहीं लेंगे, कानून बना है और कानून बनने के बाद भी उस कानून की पालना कितनी हुई है, यह

(श्री रणजीतसिंह)

हमारे और आपके सब के सामने है। पहले छोटी बच्चियों की शादियां रोकने के लिए हमने एक शारदा एक्ट बनाया था। शारदा एक्ट को बने वर्षों बीत गये। क्या अब भी इस एक्ट की पालना हो रही है? क्या छोटी बच्चियों की शादियां नहीं हुई हैं? इस तरह से शादियां हो रही हैं इसलिए समाज को बदलना है तो समाज के नौजवान आगे आवें। यह काम कानून के जरिए नहीं होगा। समाज का मनोबल बढ़ाने के लिए, समाज में जो काम करते हैं, जो रचनात्मक कार्यकर्त्ता हैं, वे इस बात का संकल्प करें— दहेज न देंगे और न लेंगे। अभी माननीय सदस्य, श्रीराम गोटेवाला ने जो कहा, वह सही है। हमारे समाज में भी दहेज प्रथा चलती थी, आज हमारा समाज पिछड़ा जा रहा है, पिछड़ गया है और यह जो राजपूत समाज है, दस-पन्द्रह साल बाद उस स्थिति में पहुंच जायेगा जैसे आज दलित वर्ग समाज है और जिसके उत्थान के लिए यहां पर मांग की जा रही है। यह स्थिति हमारे समाज में भी आ रही है क्योंकि वहां पर कमाने वाला तो एक है और खाने वाले दस हैं। दूसरे परिवारों की तरह उनके परिवार काम नहीं करते हैं। वे आज भी समाज के बन्धन को नहीं तोड़ सकते। अब यह दहेज प्रथा दूसरे लोगों ने अपना ली है जिनके पास पैसा है दो नम्बर का, जो लखपति या करोड़पति हैं। उनके ढकोसले से हर आदमी की यह लालसा पैदा होती है कि इस तरह से हम भी करें। तो मेरा यह निवेदन करना है कि यह काम जितना कानून के जरिए न होगा उतना ही समाज के नौजवानों के जरिए से, राज्य के जरिए से हो सकता है। सरकार यह कह देगी कि जो दहेज देगा या लेगा उसको सरकार के अन्दर किसी तरह की मान्यता नहीं मिलेगी तो थोड़ा बहुत इसका असर होगा। चुपके चुपके तो होगा ही परन्तु फिर भी कुछ न कुछ तो असर होगा। इस दहेज की कुप्रथा के कारण, हमारे राजपूतों में जैसलमेर के इलाके में तो आज भी यह स्थिति है। मैं सोचता हूं बहुत से ऐसे गांव हैं जहां राजपूतों के घर में आपको लड़की नहीं दिखाई देगी। ऐसा भी वक्त था कि 9 घर होते हुए भी वहां पर कोई लड़की नहीं थी। क्या वहां लड़की पैदा नहीं होती थी? वे कहां चली जाती है? जैसलमेर में ....

श्री खेतसिंह : उनका गला घोंट दिया जाता था?

श्री रणजीतसिंह : गोपालसिंह जी भाटी हैं। भाटियों में और राजपूतों में अन्तर था। इसलिए यह जो कौम है भाटी, उनमें भी यह था। मेरी कौम में, मेरे गांव में भी आज से पच्चीस साल पहले तीन लड़कियां थीं। जिन्दा हमने देखीं, और वे आज मर चुकी हैं। आज हमारे गांव में काफी लड़कियां हैं। शिक्षित वर्ग आगे आया है। आज हमारे गांव में कम से कम 500 लड़कियां राजपूत परिवारों की हैं। यह इसलिए संभव हो पाया है कि शिक्षित वर्ग आगे आया है और उसने यह बात समझ ली है कि यह प्रथा खराब है। जैसे जैसे राजपूत समाज पिछड़ता जा रहा है उससे यह प्रथा छूटती जा रही है परन्तु जो आज राज्य के अन्दर हैं, पसे वाले हैं, उनके अन्दर यह बढ़ रही है। पहले दहेज के कारण राजपूत समाज में लड़की का जन्म लेना ही अभिशाप माना जाता था। अफीम की गोली अपने पास रखते थे और पैदा होती तो

(श्री रणजीतसिंह)

अफीम की गोली देकर मार डालते थे। यह प्रथा हमारे समाज में रही है। आहिस्ता आहिस्ता हम इससे दूर होते जा रहे हैं फिर भी जैसलमेर इलाके में आज भी यह बात चल रही है। कई कई गांवों में राजपूत लड़की के दर्शन होना मुश्किल होता है। मेरा निवेदन है कि इस प्रथा को बंद करना है तो समाज के युवकों को आगे आना चाहिए। रचनात्मक कार्यकर्ताओं को इसका प्रचार करना चाहिये कि न तो दहेज लेंगे और न देंगे। अपने आप स्वयं से इसको शुरू करें। कहने को तो बात बड़ी आसान है, खेतसिंह जी के लड़की है वे कब चाहेंगे कि उसको दहेज न दें? ऐसा कौन होगा जो अपनी लड़की को कुछ न देना चाहता हो? परन्तु जो कुछ भी दिया जावे वह दिखावा में नहीं आवे तभी हम समाज को सुधार सकते हैं वरना कानून के जरिये यह होना मुश्किल है। पहले भी कानून बने हैं परन्तु कितना उनका क्रियान्वयन हो पाया है। मेरा निवेदन है कि समाज के नवयुवकों के जरिए इसको लागू किया जाय। यह खराब प्रथा है; इसके कारण हजारों बच्चियों को मौत का शिकार होना पड़ा है। बहुत से परिवारों की हालत खराब हो गयी है। पहले भी यह प्रथा राज्य से संबंधित थी और आज भी यह राज्य से संबंधित है। जो हमारी हालत हुई, वही आपकी हालत होगी। इसलिए इस प्रथा को को खत्म करें- पहले समाज के अन्दर यह बात आवे कि न तो दहेज लेंगे न देंगे, कोई दिखावा नहीं करेंगे। इसकी पब्लिसिटी होगी तो असर होगा। मेरा तो निवेदन करना है कि कानून के जरिये इसको पालन नहीं करा सकते।

श्री सभापति : मुख्य सचेतकजी।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति के 26 वें प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति का 26 वां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं, जो निम्न प्रकार से है :—

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 2 अप्रेल, 1976 को अपरान्ह 2 बजे हुई समिति सिफारिश करती है कि दिनांक 3 अप्रेल, '76 को निम्न कार्य लिया जाय :—

शनिवार, दिनांक 3 अप्रेल, 1976:—

(1) राजस्थान सरकारी मतालबा वसूली संशोधन विधेयक, 1976।

(2) राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1976।

(3) राजस्थान यात्री एवं मालकर (संशोधन) विधेयक, 1976।

(4) राजस्थान मद्य निषेध (संशोधन) विधेयक, 1976।

श्री खेतसिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 26 वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव मुख्य सचेतक ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

दहेज प्रथा निवारण पर अन्तर्जातीय विवाह

(श्री सभापति)

श्री भोपालसिंह।

श्री भोपालसिंह (जैसलमेर) : सभापति महोदय, यह सर्वमान्य है कि दहेज एक कुप्रथा है। इसका जब अध्ययन करते हैं तो दहेज के कई रूप हैं। इसको टीके के रूप में भी लोग लेते हैं इसको शादी होती है उस वक्त भी लेते हैं लोग, और व्यवहार के रूप में लड़के और लड़की वाले लेते हैं....

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय सदस्य वह भी बता दें जो चित्तौड़गढ़ से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा है कि भाटी जाति के अन्दर लड़कियों को मार देते हैं। उसके बारे में खुलासा कर दें।

श्री भोपालसिंह : वह भी कर दूंगा।

इसका संबंध सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से है। कहीं कहीं तो गरीब लोग हैं वह अपनी लड़कियों को शादी में देने के लिए पैसा लेते हैं, और गरीबों को देना पड़ता है। एक ऐसा भी होता है कि दहेज शादी के समय धर दिया जाता है। अगर इसको उससे जोड़ देते हैं तो टीके के रूप में पैसा ले लेंगे और कुछ भी आपको पता नहीं लगेगा। इस तरह से धन का दौर चलता जायेगा। तीसरा दहेज शादी के साथ उस वक्त दिया जाता है जब कि लड़की को विदा किया जाता है जिसको हम सामान्य रूप से समझते हैं कि दहेज है। लेकिन इसके तीन रूप हैं। इनको जब तक बन्द नहीं करेंगे तब तक दहेज की प्रथा टिकने वाली है। फर्मली बन्द कर दें लेकिन इसका नतीजा कुछ नहीं निकलने वाला है।

हकीकत में किसी भी कानून से जो भी सामाजिक सुधार करना चाहते हैं तो वह नहीं होता है। समाज का सुधार करने वाला होता है वह समाज से 100 वर्ष आगे चलता है और कानून उससे 50 वर्ष पीछे चलता है और जनता उससे 50 वर्ष पीछे चलती है। आज किसी भी समाज को देखिये कि दारू की बात है तो इसको आपने बन्द कर दिया, अफीम को आपने बन्द कर दिया, लेकिन यह बन्द नहीं हुए हैं, क्योंकि आपने जनमानस नहीं बनाया इसलिए अभी तक यह गांवों के अन्दर चालू है। सही मायने में हमारे को चाहिए कि जीवन के मूल्यों को बदलें। जहां पर धन का महत्व है वह इस बात से जुड़ा हुआ है कि हमारी मान्यता किस के आधार पर बनती है, हमारा स्टेटस किस से बनता है। अगर किसी समाज के अन्दर किसी आदमी के स्टेटस का पैमाना यही मानते हैं कि उसके पास कितना धन है तो हमेशा दौड़ धन के लिए रहेगी। आप किसी भी रूप में कानून बना दें लेकिन धन बटोरने की चेष्टा बनी रहेगी और प्रयत्न बना रहेगा, और किसी न किसी तरह से लोग धन बनाने की कोशिश करेंगे। मैं नहीं कहता कि कानून न बनायें, और कानून का समाज के अन्दर रोल नहीं है। यह मैं नहीं मानता हूं कि कानून के जरिये हम यह कह सकते हैं कि यह चीज बुरी है। 50 वर्ष के बाद समाज की समझ में आयेगा कि यह चीज बुरी है और उसके बाद वह सोचने लगेगा। सुधारक है वह 50 वर्ष कोशिश करता है तब समाज को बनाने में समर्थ होता है स्थिति यह आ सकती है कि कानून आप बनायें। आज समय की जरूरत है, लेकिन समाज में उस स्थिति को लाने के लिए हमारी यह स्थिति हो और मांग हो, समाज की मांग

(श्री गोपालसिंह)

हो उसको एक कानून का रूप देकर समाज पर लागू किया जाय, लेकिन जितनी भी जनता है, करोड़ों लोग हैं उनको मनाने के लिए 50 वर्ष और लगेंगे। कानून का अपने हाथ में हथियार होगा, लेकिन उससे बढ़कर बात है वह यह है कि जनमत बनाना पड़ेगा, उनकी एजूकेट करना पड़ेगा तभी जाकर यह कुरीतियां बन्द होंगी। उसके लिए जीवन के मूल्यों में तब्दीली लानी पड़ेगी।

यह बात सही है कि हमारे यहां कुछ दूर इलाकों में कन्या-वध आज भी होता है। उसके लिए हम कोशिश करते हैं, उन्हें समझाने की हमारे यहां अभी 20-सूत्री कार्यक्रम के लिए मीटिंग हुई थी उसमें भी कहा गया था कि उसके बारे में कदम उठाना चाहिए। मैं समझता हूं कि सरकार को इस तरफ कदम उठाना चाहिए। इसके अन्दर एजूकेशन देनी चाहिए और परिस्थितियों में बदलाव लाना है ताकि इसके अन्दर कुछ भी सुधार ला सकें......

श्री श्रीराम गोटेवाला आप क्या कर रहे हैं ?

श्री गोपालसिंह : मैं कर रहा हूं एजूकेशन देने का काम उनके लोगों के अन्दर जगह जगह जाकर यह बात करेंगे और मीटिंगें करेंगे उसका जो कानूनी परिणाम होता है उससे हम उनको अवगत सदा करायेंगे और उसके लिए और क्या कर सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : बालिका को आप देख सकते हैं क्या ?

श्री गोपालसिंह : घरों में जाकर देख नहीं सकता हूं। हमारी जो व्यवस्था है उसके अनुसार हम अपनी बाइयों को नहीं देख सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : आपके लड़कियां है ?

श्री गोपालसिंह : मेरी लड़कियां जिन्दा हैं।

सही बात तो यह है कि जीवन के मूल्यों के अन्दर तब्दीली लानी है, जनमानस बनाना है, एजूकेशन होना चाहिए। जो समाजिक कार्यकर्ता हैं और जो समाज में कार्य करते हैं वह तीनों रूप से, तीनों तरीकों से धन लेना और देना है उसको बन्द करा सकते हैं। कानून का अपना महत्व है इसको हथियार के रूप में जहां उचित समझें काम में ले सकते हैं, उसके द्वारा काफी उस चीज को टाल सकते हैं और उस चीज को दूर कर सकते हैं।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी !

श्री मोहनलाल छंगाणी (समाज कल्याण मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने दहेज प्रथा पर काफी विचार प्रकट किये हैं। वैसे यह कुप्रथा बहुत पुराने समय से चली आ रही है। सही बात तो यह है कि इस प्रथा के लिए हम सुसंगठित संस्थाओं से लगातार लड़े हैं, और यह सामन्ती युग की देन है, सामन्ती युग की भोंडी अभिव्यक्ति है, और पूंजीवाद की अभिव्यक्ति है। कब तक यह सामाजिक अवस्था चलेगी ? प्राचीनकाल से यह व्यवस्था चली आ रही है तो इस प्रथा का रूप भयावह हो गया है, जिसके लिए कानून लाने को बाध्य होना पड़ रहा है। यह सही बात है जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, इसके लिए जनमत बड़े पैमाने पर तैयार करना पड़ेगा, तब जाकर इस प्रथा पर प्रहार

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

हो सकता है। यह समस्या विकराल बनी हुई है। समाज कुछ नहीं है सिवाय पैसे के। पैसा ही मात्र वैल्यू का पैमाना है। उसके कारण से पैसे की कीमत ज्यादा होने के कारण से और दो नम्बर का व्यापार चलने के कारण से इस प्रथा का भौंडा रूप हो गया है।

प्रदर्शन पर रोक लगाना है। शादियों में प्रदर्शन बहुत होता है। एक मिनिस्टर के नाते हमारे पास कई कार्ड आते हैं और एक-एक कार्ड डेढ़-डेढ़, दो-दो रुपये का होता है। हजारों कार्ड छपते हैं, और कार्ड में ही 20-25 हजार खर्च हो जाता है। शादियों का जो काम करते हैं वह आदमी की हैसियत से होता है। कई आदमी कम खर्च करते हैं। परन्तु इस प्रदर्शन से जो वातावरण देश में बनता है वह खराब बनता है। सामूहिक शादियों को लिया जाय तो बड़े पैमाने पर हो रही हैं। जो भी समाज है, अग्रवाल समाज है, माहेश्वरी समाज है और दूसरे समाज हैं...

एक माननीय सदस्य : खण्डेलवाल समाज है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : खण्डेलवालों का समाज है, उनमें शादी की प्रथा ने कुरूप धारण कर लिया था उनमें सामूहिक शादियां अब हो रही हैं। सामूहिक प्रथा में प्रदर्शन में कमी आती है। अभी मैं एक बड़े सेठ के यहां शादी में गया तो वहां साधारण काम था। यह मुझे पता नहीं कि लेन-देन किस तरह से हुआ है। उसमें प्रदर्शन नहीं हुआ था। बाद में पता लगा कि लेन-देन हुआ है। उसका सबूत नहीं है। वहां पर खाना नहीं दिया गया। सिर्फ यह था कि बुलाये गये थे वह सब आ गये। शादी जो हुई वह काफी सादेपन से हुई। उसके बाद लोग कहते हैं कि उनका लेन-देन हुआ है। उसका कैसे पता लगायें यह मुश्किल है। राज्य सरकार इस पर गम्भीरता से विचार कर रही है कि कानून के जरिये कोई कानूनी प्रावधान लाये जायं। वास्तव में कानून से परिवर्तन लाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। कानून के जरिये वेल्यू सिस्टम में चेन्ज आता है। 500 साल के बाद आदमी ने सीखा कि कमरे के अन्दर वेन्टीलेटर होना चाहिए। इसको सीखने के लिए उसको 500 साल लग गये। यह वेल्यू सिस्टम बाद में बना कि बिना वेन्टीलेटर के इन्डिविजुअल कमरे खड़े होते हैं तो हवा नहीं आती है। हम कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं। अभी पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार में जो इस तरह के कानून बने हैं उन कानूनों को हम मंगा रहे हैं, और यह पता लगा रहे हैं कि जो 1961 में दहेज का डावरी एक्ट आया था तो 1961 के कानून में डावरी को वायड करार दे दिया था, लेकिन वह एन्फोर्सिबल नहीं हुआ। वह आपस में व्यवहार में होता रहा। वायड करार दे दिया उसके बाद में भी यह प्रथा खत्म नहीं हुई। आज भी नये नये कानून दूसरे राज्य ला रहे हैं, उनको हम मंगा रहे हैं। उनका अध्ययन करेंगे। जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं, खास तौर से चित्तौड़गढ़ से आने वाली माननीय सदस्या ने यह सुझाव दिया है कि इतने कानून नहीं बनाये जायं कि हम कानून की अवहेलना करने लगें। कानून बनायें या नहीं बनायें, इस पर सरकार अपनी निश्चित राय बना रही है। इसलिए मैं संकल्पकर्ता से निवेदन करूंगा कि वह संकल्प वापिस ले लें। मैं इस पर जल्दी से जल्दी नजरिया बनाकर जल्दी से जल्दी निश्चित करूंगा।

श्री सभापति : श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल।

Page No 106

(106)

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : सभापति महोदय, मैं ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, यह ठीक है कि आप इस बारे में कानून बनाने की सोच रहे हैं। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि आप कानून की अनुपालना करायेंगे तो यह कानून की अनुपालना तभी हो सकती है, जब कि आप इसकी जनजागरण के द्वारा अनुपालना करायें। आप कानून बनाने जा ही रहे हैं तो मैं इतना ही कह कर अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल द्वारा दिनांक 2-4-76 को जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है, वह वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

संकल्प वापिस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : सभापति महोदय, मैं संकल्प वापिस लेता हूं।

श्री सभापति : संकल्प वापिस लिया गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री श्रीराम गोटेवाला : हांडा साहब का भी है।

श्री सभापति : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(अनुपस्थित)

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 3-4-76 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म०प० 4.2 बजे शनिवार, दिनांक 3 अप्रेल, 76 के म० पू० 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गयी)

परिशिष्ट 1

(ता० प्र० सं० 605 की सूची)

सूची कार्यवाहक तहसीलदार जो अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के कार्य कर रहे हैं:-

अनुसूचित जाति

1. श्री लक्ष्मीचन्द गर्वा दिनांक 1-3-67
2. श्री सुगनचन्द गोठवाल दिनांक 18-7-60
3. श्री रतनलाल बैरवा दिनांक 8-7-60
4. श्री कल्याणसहाय वर्मा दिनांक 20-11-69

अनुसूचित जन-जाति

1. श्री बीरबलसिंह दिनांक 5-4-71
2. श्री खैरातीराम मीणा दिनांक 6-1-69

Page No 108

(108)

परिशिष्ट 2

(ता० प्र० सं० 606 की प्रति)

(क)

(राजकार्य में हिन्दी प्रयोग संबंधी राज्यादेश)

राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956

राजस्थान राज्य के विभिन्न शासकीय प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सातवें वर्ष में राजस्थान विधान-मण्डल यह अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ:—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राजस्थान राज भाषा अधिनियम, 1956 है।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य है।

(3) यह तुरन्त प्रभुत्त होगा।

2. निर्वचन:—(1) जब तक विषय अथवा संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में शब्द "राज्य" से, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम, 37) की धारा 10 द्वारा यथा निर्मित नया राजस्थान राज्य अभिप्रेत है।

(2) पुनर्गठन से पूर्व राजस्थान राज्य में प्रवृत्त, राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम 8) के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित, यावत्शक्य इस अधिनियम पर लागू होंगे।

3. राज्य के कतिपय प्रयोजनों के लिए हिन्दी राजभाषा होगी:—देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी, ऐसी तारीख से, जो राज्य सरकार इस निमित्त राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, धारा 4 में उल्लिखित प्रयोजनों को छोड़कर राज्य के अन्य समस्त या किन्हीं भी शासकीय प्रयोजनों के बारे में उपयोग में लाई जाने वाली भाषा होगी और ऐसे भिन्न भिन्न प्रयोजनों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

3. (क) अंकों का स्वरूप:—राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले अंकों का स्वरूप भारतीय अंकों की अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप होगा।

4. विधेयकों, अधिनियमों, आदि के लिए राजभाषा:—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए और धारा में किसी बात के होने पर भी निम्नलिखित की भाषा या तो देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी होगी या अंग्रेजी:—

(1) राज्य विधान सभा में पुर:स्थापित समस्त विधेयक,

(2) राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित समस्त अधिनियम,

(3) भारत के संविधान के अधीन अथवा किसी केन्द्रीय या राज्य विधि के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए समस्त आदेश, नियम, विनियम तथा उपविधियां :

परन्तु ऐसे प्रत्येक मामले में, जिसमें अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाए, राज्य सरकार के प्राधिकार से यथाशीघ्र देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी में उसका अनुवाद प्रकाशित किया जाएगा।

5. निरसन:—पुनर्गठन से पूर्व के राजस्थान राज्य में प्रवृत्त राजस्थान राज भाषा अधिनियम, 1952 (राजस्थान अधिनियम 57, सन् 1952) अजमेर क्षेत्र में प्रवृत्त अजमेर राजभाषा अधिनियम, 1952 (अजमेर अधिनियम 4, सन् 1952) आबू क्षेत्र में और सुनेल क्षेत्र में प्रवृत्त तत्समान विधियां तथा उक्त अधिनियम या विधियों में संशोधन करने वाली कोई भी विधियां एतद्द्वारा निरसित की जाती हैं।

राजस्थान सरकार

भाषा विभाग

क्रमांक एफ. 1 (12) हि० वि०/85/2739 , जयपुर, दिनांक 8 दिसम्बर, 1967

आदेश

राजस्थान में संपूर्ण राजकार्य हिन्दी में करने संबंधी मंत्रि-मण्डलीय पूर्वादेश दिनांक 25 जनवरी, 1965 के अनुसरण में राज्य सरकार आदेश देती है कि 26 जनवरी, 1968 से राजस्थान में राज्य कार्य पूर्ण रूप से हिन्दी में किया जाय :

परन्तु अहिन्दी भाषी प्रान्तों के रहने वाले वे अधिकारी जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है—

(1) यदि उनकी आयु 45 वर्ष अथवा उससे अधिक है तो उक्त नियत तारीख के पश्चात् भी वे अपनी सुविधानुसार हिन्दी या अंग्रेजी में राज्य कार्य कर सकेंगे।

(2) यदि उनकी आयु 45 वर्ष से कम है तो उनके लिये यह आवश्यक होगा कि वे 5 वर्ष की अवधि में हिन्दी भाषा सीख लें। इस अवधि में उन्हें छूट होगी कि वे अपनी सुविधानुसार हिन्दी अथवा अंग्रेजी में राज्य कार्य निष्पादित करें।

सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि राजस्थान हाई कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालयों को छोड़ कर राज्य सरकार के समस्त न्यायालयों में, जिनमें वाणिज्य कर न्यायालय, राजस्व मण्डल आदि सभी न्यायालय सम्मिलित होंगे, दिनांक 26 जनवरी, 1968 से सारा राज कार्य हिन्दी में किया जाय, किन्तु सचिवालय स्तर पर विधि विभाग आगामी तीन वर्ष तक टिप्पणी, पत्र-व्यवहार आदि में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर सकेगा।

साथ में यह भी निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार से पत्र-व्यवहार सुविधा अथवा आवश्यकतानुसार हिन्दी या अंग्रेजी में किया जा सकेगा।

ह०।– विष्णुदत्त शर्मा,
शासन सचिव

क्रमांक एफ. 1 (12) हिं० वि०।65।2740-2950 जयपुर, दिनांक 8 दिसम्बर, 1967

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है:—

(1) समस्त शासन सचिव, (2) सचिव, राज्यपाल महोदय, (3) सचिव, मुख्य मंत्री, (4) समस्त निजी सचिव, मंत्री, राज्य मंत्री एवं उप-मंत्रीगण, (5) सचिवालय के समस्त अनुभाग, (6) समस्त जिलाधीश, (7) समस्त विभागाध्यक्ष, (8) निदेशक, जन-संपर्क कार्यालय, राजस्थान, जयपुर। आपसे निवेदन है कि इस राज्यादेश को अधिकाधिक प्रचार करने की व्यवस्था करें। (9) अधीक्षक, केन्द्रीय राज्य मुद्रणालय, जयपुर। कृपया उक्त आदेश राजस्थान राज-पत्र भाग 1 (ख) के आगामी अंक में प्रकाशित करने की व्यवस्था करें।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को भी प्रेषित है:—

(1) सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर, (2) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर एवं (3) पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

ह०।–मेघराज मुकुल,
शासन उप-सचिव।

भाषा विभाग के प्रकाशनों की सूची

1. राजस्थान में नित्य प्रति उपयोग में आने वाले पदनाम वाक्यांश और शब्दों के हिन्दी पर्यायों की पहली सूची।
2. वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों में प्रयुक्त होने वाले अंग्रेजी शब्दों और वाक्यांशों के हिन्दी पर्याय।
3. हिन्दीकरण निदेशिका

4. पदनाम सूची
5. वित्तीय प्रतिमान प्रारूपों की पुस्तिका 1961
6. भाषा विभाग कार्य विवरण, 1965
7. भाषा विभाग कार्य विवरण, 1966-67
8. हिन्दी व्यक्ति और विचार
9. प्रशासन शब्दावली, 1972
10. पदनाम शब्दावली, 1972
11. कार्य विवरण, 1970-71
12. कार्य विवरण, 1971-72
13. कार्य विवरण, 1972-73
14. फोल्डर, 1972
15. भाषा परिचय के सात अंक
16. हिन्दीकरण सहायिका

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 608 की सूची)

जिला नागौर में तीन हजार से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों की सूची

क्र० सं० नाम ग्राम		विद्यालय
1	2	3
1. जसवन्तगढ़	रा. उ. मा. वि.	प्राथमिक विद्यालय
2. कोलिया	रा. मा. वि.	"
3. डेह	"	"
4. जायल	"	"
5. छोटी खाटू	रा. मा. वि.	"
6. अलाय	रा. मा. वि.	"
7. खींवसर	रा. उ. मा. वि.	"
8. बासनी	रा. मा. वि.	"
9. कुचेरा	रा. मा. वि.	"
10. मारोठ	रा. उ. मा. वि.	"
11. मीण्डा	रा० मा० वि०	"
12. हरसोर	"	"
13. थावला	"	"
14. मेड़ता रोड	"	"
15. गोटन	"	"
16. डेगाना	रा. उ. मा. वि.	"
17. रेण	रा. मा. वि.	"
18. जसनगर	"	"

Page No 113

(113)

1	2		3
19.	रियां बडी	रा. मा. वि.	प्राथमिक विद्यालय
20.	पालड़ासिद्धा	–	रा. उ. प्रा. वि.
21.	गुड़ा भगवानदास	–	"
22.	बालाजी	–	"
23.	ताउसर	–	"
24.	पावचा	–	"
25.	मीठड़ी	–	"
26.	दुणया	–	"
27.	आलनियावसा	–	"
28	बड़सू	–	"
29.	धीरावड़	–	"
30.	बडू	–	"
31.	हरसालाव	–	"
32.	पादूकलां	–	"

Page No 114

(११५)

परिशिष्ट 4

(ता० प्र० सं० 615 की सूची)

जिला, विकास अधिकरण, नागौर के सदस्यों की सूची

क्र० सं०	नाम	पद	पता
1.	श्री नरेन्द्रसिंह सिसोदिया	चेयरमैन, डी. डी. ए.	जिलाधीश, नागौर
2.	श्री लिखमा राम	प्रमुख, जिला परिषद्	स्टेशन रोड, नागौर
3.	श्री नाथूराम मिर्धा	सांसद	नागौर
4.	श्री राम रघुनाथ	विधायक, सदस्य, विधान सभा, डेगाना	नागौर
5.	श्री मोहम्मद उस्मान	सदस्य, विधान सभा, विधायक	नागौर
6.	श्री अवानी	मैनेजर, सेन्ट्रल कोअोपरेटिव बैंक	नागौर
7.	श्री राम रघुनाथ	अध्यक्ष, भूमि विकास बैंक	नागौर
8.	श्री के. एल. बन्सल	मैनेजर, यू० को० बैंक	नागौर
9.	श्री उप-सचिव, डी. पी. ए. पी.	उप-सचिव, डी. पी. ए. पी.	जयपुर
10.	श्री गुरुदेव सिंह	जिला कृषि अधिकारी	नागौर
11.	श्री बी० एस० तोमर	भू-संरक्षण अधिकारी	नागौर
12.	श्री सतीश कुमार	सहायक रजिस्ट्रार	नागौर
13.	श्री जगदीश पुरी	अधिशाषी अभियन्ता	जोधपुर
14.	श्री जे० पी० कपूर	मण्डल वन अधिकारी	जोधपुर
15.	श्री कुलकर्णी	जिला पशु-पालन अधिकारी	नागौर
16.	श्री नरेश माथुर	भेड व ऊन अधिकारी	नागौर
17.	श्री एच० सी० तनेजा	भू-जल विभाग अधिकारी	नागौर
18.	श्री एस० म हेचा	प्रतिनिधि, राजस्थान पश्चिमी दुग्ध उत्पादक संघ, जोधपुर	जोधपुर
19.	श्री ओ० पी० भार्गव	परियोजना निदेशक	नागौर
20.	श्री सी० पी० विनायक	भू-सर्वेक्षण अधिकारी	नागौर

परिशिष्ट 5

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी के निदेशक का चयन

621. श्री गोपीलाल (पीपल्दा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी के निदेशक के रिक्त पद के चयन करने के लिये प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किये गये थे ? यदि हां, तो कब और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(2) उक्त रिक्त स्थान के चयन के लिये किस योग्यता के उम्मीदवारों की दरख्वास्त मांगी गई है और उसमें कितनी दरख्वास्तें किस किस योग्यता के उम्मीदवारों की प्राप्त हुई हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त पद के चयन के लिये गठित बोर्ड की कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(4) क्या यह सही है कि इस अकादमी के कार्य के मार्गदर्शन के लिये शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में गठित उच्च समिति ने निदेशक के स्थान के शीघ्र चयन के लिये हिदायत की है ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त हिन्दी ग्रंथ अकादमी के खरीद में घोटाले की सी० बी०आई० द्वारा जांच कराई गई थी ? यदि हां, तो उसकी क्या रिपोर्ट है और उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(6) क्या सरकार निदेशक के स्थान के शीघ्र चयन के लिये आदेश प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। इसके लिये माह सितम्बर, 75 में विज्ञापन निकाला गया था। ये प्रार्थना-पत्र निर्णय के लिए चयन समिति के विचाराधीन है।

(2) निर्धारित योग्यता की सूची तथा प्रार्थना-पत्रों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी हां, क्योंकि समिति के अधिकांश सदस्यों की सुविधा के अनुकूल तिथियां निश्चित न हो सकीं।

(4) जी हां, अप्रेल के माह में समिति की बैठक बुलाने के लिये हिदायत दे दी गई है।

(5) जी हां, मामला सी०बी०आई० को सुपुर्द किया गया था किन्तु उन्होंने सूचित किया कि यह मामला उनकी जांच क्षेत्र में नहीं आता। अतः मामला निदेशक, कालेज शिक्षा को सौंपा गया है।

(6) जी हां।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

बाड़मेर जिले के गांव

622. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर जिले में ऐसे कितने

Page No 116

(११८)

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
गांव हैं जिनका क्षेत्रफल 25 वर्ग मील से अधिक है ? सूची प्रत्येक ग्राम का क्षेत्रफल एवं उनकी सन् 71 की जनसंख्या का विवरण देते हुये सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार उक्त ग्रामों के अधिक क्षेत्रफल होने के कारण यानि बड़े ग्राम होने के कारण उक्त ग्रामों की जनता की सुविधा एवं उनके विकास को प्रोत्साहन देने के लिये अनेक ग्रामों में विभाजन करना उचित समझती है ?

(3) क्या राज्य सरकार ने उपरोक्त वर्णित सिद्धान्त को मानते हुये बाड़मेर जिले के ग्राम सुन्दर, हरसाणी-गिराब, चैंसिधर एवं मेंदूसर को अनेक ग्रामों में विभाजित किया है ?

(4) क्या राज्य सरकार उपरोक्त वर्णित सिद्धांत जिले के दूसरे गांवों में, जिनका क्षेत्रफल 25 वर्ग मील से अधिक है, लागू करने में क्यों विलम्ब कर रही है ?

(5) राज्य सरकार उक्त ग्रामों को अनेक ग्रामों में विभाजन का कार्य कब हाथ में ले रही है ?

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर में 25 वर्ग मील से अधिक क्षेत्रफल के 96 ग्राम हैं। सूची संलग्न है ।

(2) ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है ।

(3) बहुत बड़े ग्राम होने के कारण प्रशासनिक दृष्टि से इन ग्रामों का विभाजन किया गया था ।

(4) ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है ।

(5) प्रस्ताव आने पर परीक्षण किया जा सकता है ।

गेहूं की पैदावार

623. **श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत** (चित्तौड़गढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राज्य में गेहूं की अच्छी पैदावार से गेहूं के भावों में अत्यधिक गिरावट होने की सम्भावना है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस गिरावट को रोकना चाहेगी ? यदि हां, तो इसके लिये कौन कौन से कदम उठाये जायेंगे ?

उत्तर

जी हां, राज्य में गेहूं की अच्छी पैदावार होने की संभावना से भावों में भी कहीं कहीं गिरावट आने की संभावना है । राज्य सरकार ने मण्डियों में गेहूं खाद्य निगम के मार्फत प्राइस सपोर्ट स्कीम के अन्तर्गत खरीद करने की पूर्ण व्यवस्था की है, तथा आने वाली फसल के लिये भी खरीद किये जाने की योजना बनाई जा रही है।

थाना माणक चौक, जयपुर के हैड कान्स्टेबलों का मामला

624. **श्री मोमाराम चौधरी** (डीडवाना) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दो हैड कान्स्टेबिल, श्री गुलाम मुस्तफा व श्री मान प्रकाश, थाना मानक चौक, जयपुर को

(श्री मोमाराम चौधरी)

मोअत्तिल करने के गृह विभाग के आदेश एस० पी० को भेजे गये थे पर एस०पी० ने एक महीने तक इस आदेश की पालना नहीं की ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि पुनः आदेश होने पर एस०पी० ने केवल 3 दिन के लिये ही उक्त हैड कान्स्टेबिल को मोअत्तिल किया तथा बिना जांच के पुनः नौकरी पर ले लिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि श्री गुलाम मुस्तफा, हैड कान्स्टेबिल, थाना मानक चौक, जयपुर के विरुद्ध गत 4-5 माह में 3-4 जांच हो चुकी हैं ? यदि हां, तो एस०पी० जयपुर ने इसके विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की ?

(4) क्या राज्य सरकार उन दोनों हैड कान्स्टेबिलों को पुनः मोअत्तिल कर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा इनके विरुद्ध जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा पुलिस महानिरीक्षक को आदेश भेजे गए थे । पुलिस अधीक्षक, जयपुर को महानिरीक्षक, पुलिस द्वारा 28-10-75 को लिखा गया । दुबारा 15-11-75 को लिखे जाने के बाद पुलिस अधीक्षक, जयपुर द्वारा दोनों हैड-कान्स्टेबिलों को 17-11-75 को निलम्बित किया गया ।

(2) इन हैड कान्स्टेबिलों को दिनांक 25-11-75 व 28-11-75 को बहाल किया गया ।

(3) विगत 4-5 माह में केवल एक शिकायत आने पर श्री गुलाम मुस्तफा, हैड कान्स्टेबिल के विरुद्ध दिनांक 1-2-76 को पुलिस थाना रामगंज में मुकदमा दर्ज कर चालान न्यायालय में दिनांक 6-3-76 को प्रस्तुत कर दिया गया है । इनको दिनांक 2-2-76 से निलम्बित कर दिया गया है ।

(4) दूसरे हैड कान्स्टेबिल को निलम्बित करने के आदेश दिये जा चुके हैं । दोनों के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है ।

छबड़ा में हायर सैकन्डरी स्कूल

625. श्री जगमोहन सिंह (छबड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि छबड़ा तहसील (जिला कोटा) में पूरी तहसील की 1 लाख जन संख्या पर छात्रों के लिये एक मात्र सैकन्डरी स्तर तक का स्कूल कस्बा छबड़ा में है ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि यह स्कूल सन् 1950 से अब तक सैकेन्डरी स्तर का ही चला आ रहा है और पिछले 26 वर्षों में इसे हायर सैकन्डरी स्तर तक भी क्रमोन्नत नहीं किया गया है ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि स्थानीय जनता ने चंदे से करीब 50,000 रुपये लगाकर अतिरिक्त तीन कमरों का निर्माण इस वर्ष और कराया है ? यदि हां, तो क्या यह उम्मीद की जाये कि उक्त सारे तथ्यों को मद्देनजर रखते हुये राज्य सरकार इस विद्यालय को हायर सैकन्डरी स्तर तक क्रमोन्नत कर देगी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(शिक्षा मंत्री)

(2) जी हां।

(3) उपलब्ध सूचना के अनुसार स्थानीय जनता ने चंदे से38,000/- की राशि एकत्रित कर तीन कमरों का निर्माण पूरा करा दिया है। इसके अलावा 8,000/- की राशि और एकत्रित है। अभी राज्य सरकार छात्रों के सैकण्डरी स्कूलों को क्रमोन्नत नहीं कर रही है।

तहसील किशनगंज एवं शाहबाद में भूमिहीनों को भूमि का आवंटन

626. श्री **राम गोपाल** (किशनगंज) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

तहसील किशनगंज व शाहबाद, जिला कोटा में कितने अनुसूचित जाति व जन-जाति के भूमिहीनों को 5 बीघा भूमि से कम रकबा आवन्टन किया गया है ? प्रत्येक व्यक्ति की रकबा सहित तहसीलवार सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

तहसील किशनगंज एवं शाहबाद में इन वर्गों के जिन व्यक्तियों को माह नवम्बर, 1975 से अब तक किए गये आवंटन में पांच बीघा से कम भूमि आवंटित की गई, उनकी संख्या निम्न प्रकार है :—

नाम तहसील	संख्या		योग
	अनुसूचित जाति	जनजाति	
किशनगंज	78	141	219
शाहबाद	51	88	139
	129	229	358

सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जालोर जिले में गेहूं की फसल को रोली लगने से क्षति

627. श्री **बिरधाराम फुलवारिया** (जालोर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जिला जालोर में गेहूं की फसल को रोली (गेरु) लगने से नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो कितना एवं इसकी रोकथाम के लिये राज्य सरकार ने क्या व्यवस्था की ?

उत्तर

जालोर जिले की पंचायत समिति, सांचोर, आहोर, जसवन्तपुरा, सारयका, जालोर, रानीवाड़ा एवं भीनमाल के गेहूं के क्षेत्र में रोली (गेरु) रोग का प्रकोप हुआ हैं। रोग से फसल में हुए नुकसान का सही अनुमान खड़ी फसल में लगाना कठिन हैं।

जिले की सांचोर पंचायत समिति के नेहड़ क्षेत्र में सर्व प्रथम रोली रोग के प्रकोप की सूचना प्राप्त हुई तथा रोली रोग के प्रकोप की सूचना प्राप्त होते ही भारत सरकार एवं राज्य सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण किया गया। रोग के प्रकोप वाले क्षेत्र पर प्रदर्शन के बतौर शत प्रतिशत अनुदान पर फफूंदनाशक दवा छिड़क कर प्रसारण को रोका गया। इसके अतिरिक्त नेहड़ क्षेत्र के ग्राम टूठवा में 5 प्रदर्शन लगाए गये। जिलाधीश, जालोर की सिफारिश के अनुसार राज्य सरकार ने जिले की पंचायत समिति, सांचोर, आहोर, जसवन्तपुरा, सायला, जालोर, रानीवाड़ा एवं भीनमाल में बोई गई

(कृषि मंत्री)

गेहूं की फसल में रोली रोग के प्रसारण पर रोक हेतु महामारी घोषित कर 50 प्रतिशत अनुदान व 50 प्रतिशत ऋण पर फफूंदनाशक दवा वितरित करने हेतु आदेश दिये। क्षेत्र में छिड़काव कार्य हेतु रसायनों व उपकरणों की समुचित व्यवस्था करदी गई।

फ्लोराइड माइन्स माण्डव की पाल डूंगरपुर के श्रमिकों की फिक्स्ड डिपोजिट राशि

628. श्री **महेन्द्र कुमार** (पाड़वा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम की फ्लोराइड माइन्स माण्डव की पाल, डूंगरपुर (राजस्थान) में कितने श्रमिक कार्य करते हैं? क्या यह सही है कि यहां के श्रमिकों ने (सी०डी०एस०) फिक्स्ड डिपोजिट में पैसा जमा करवाये थे? यदि हां, तो यह श्रमिकों के पैसे किसके पास हैं? पूरा ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम की फ्लोराइड माइन्स, माण्डव की पाल डूंगरपुर पर अब तक हुए, वार्षिक आय व लाभ का ब्यौरा सन् 1971 से अब तक का सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 1,114 श्रमिक। जी हां। स्टेट बैंक आफ इण्डिया, जयपुर के पास है। ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है। (सूची—1)

(2) आय व लाभ का ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है। (सूची-2)

———

सूची (1)

श्रमिकों से प्राप्त अतिरिक्त परिलब्धियां (अनिवार्य जमा योजना) में जमा राशि का ब्योरा:

क्र. सं.	अतिरिक्त परिलब्धियां (अनिवार्य जमा) योजना में भाग लेने वाले श्रमिकों की संख्या	अतिरिक्त परिलब्धियां (अनिवार्य जमा) योजना में भाग लेने की तारीख	अतिरिक्त परिलब्धियां (अनिवार्य जमा) योजना में प्रति वर्ष जमा की गयी राशि		बैंक जिसमें राशि जमा की गयी
			वर्ष	राशि	
1	2	3	4	5	6
1.	114 श्रमिक	17-10-74	1974-75	71838.46	राशि स्टेट बैंक आफ इण्डिया, जयपुर, राजस्थान, बैंक के द्वारा जमा की गयी।
			1975-76	143959.12	

सूची (2)

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल एण्ड मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन लि० की फ्लोराइड माइन्स, मांडव की पाल, डूंगरपुर पर हुए वार्षिक आय व लाभ का ब्योरा 1970-71 से 1974-75 तक निम्न प्रकार है:—

क्र. सं०	वर्ष	बिक्री (लाख रु० में)	लाभ (लाख रु० में)
1.	1970-71	27.8	14.00
2.	1971-72	31.09	14.42
3.	1972-73	14.17	2.61
4.	1973-74	20.37	3.12
5.	1974-75	20.53	5.5[illegible]

नोट:—लाभ के आंकड़ों में निम्न मदों पर हुए व्यय सम्मिलित नहीं है:—

(1) मुख्य कार्यालय एवं प्रशासनिक खनिज विभाग के खर्चों का उप-परिव्यय।

(2) नियोजित पूंजी पर ब्याज।

अध्यापकों के स्थानान्तरण

629. श्री. **हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** (गंगापुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार के आदेश हैं कि प्राईमरी स्कूल के अध्यापक को एक ही स्थान पर 15 वर्ष एवं मिडिल स्कूल के अध्यापक को 10 वर्ष हो जाने पर दूसरे स्थान पर तबादला कर देना चाहिये ?

(2) अगर हां, तो सवाई माधोपुर जिले में कितने अध्यापक ऐसे हैं जो कि 15 वर्ष एवं 10 वर्ष से एक ही ग्राम एवं कस्बे में कार्य कर रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) केवल जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा एवं अजमेर डिवीजन मुख्यालयों पर ही यह स्थानान्तरण नीति लागू है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजगढ़ के विद्यालय में वाणिज्य विषय की मांग

630. श्री **हरिकिशन** (राजगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि वर्तमान बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, राजगढ़ (अलवर) सन् 1928 का एक पुराना हाई स्कूल है और यहां वाणिज्य विषय बार बार मांग करने पर भी नहीं खोला गया है ? यदि हां, तो क्यों और क्या राज्य सरकार अगले सत्र में यहां वाणिज्य विषय खोल देगी ?

उत्तर

जी हां, बजट प्रावधान कम होने के कारण। बजट प्रावधान होने पर अन्य प्रस्तावों के साथ इस पर विचार किया जायेगा।

राजगढ़ (चूरू) में इन्डस्ट्रियल शैड्स

631. श्री **मोहर सिंह** (सादुलपुर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही नहीं है कि कई वर्ष पूर्व राजगढ़ में विकास हेतु इन्डस्ट्रियल एरिया मुकर्रर किया गया था।

(2) क्या यह सही है कि चान्दगोठी योजनानुसार राजगढ़ कस्बे में पीने के पानी की समस्या काफी मात्रा में हल हुई है ?

(3) क्या यह सही नहीं है कि अभी तक उपरोक्त एरिया में एक भी इन्डस्ट्री नहीं खुल सकी है ?

(4) क्या यह सही नहीं है कि सुविधा प्रदान करने पर कई उद्योगपति यहां उद्योग लगा सकते हैं ?

(5) क्या सरकार उपरोक्त एरिया में राजगढ़ के विकास और रोजगार के प्रश्न को ध्यान में रख कर कुछ इन्डस्ट्रियल शैड्स बनवाने का विचार रखती है ? अगर हां, तो क्या इस बजट में इसका प्रावधान रख सकेगी ?

उत्तर

(1) कुछ वर्ष पूर्व राजगढ़ में इण्डस्ट्रियल एरिया घोषित किया गया था।

122

(उद्योग मंत्री)

(2) यह सही है कि राजगढ़ में चान्दगोठी योजना के क्रियान्वित होने से पीने के पानी की समस्या का समाधान हो गया है।

(3) अभी कोई इण्डस्ट्री नहीं खुली है।

(4) अभी तक का अनुभव यह है कि आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने के उपरान्त भी किसी उद्योगी ने उद्योग लगाने में रुचि नहीं दिखाई है।

(5) जी नहीं।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 26 मार्च, 1976)

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राजस्थानी पशुपालकों से चराई की वसूली

383. श्री **अजीत सिंह** (टोंक) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान से सन् 1975 में कितने पशु दूसरे प्रान्तों में चरने गये थे ?

(2) क्या यह सही है कि मध्य प्रदेश सरकार राजस्थानी पशुपालकों से निर्धारित दर से दूनी चराई वसूल करती है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस समस्या पर कोई विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) राजस्थान से सम्वत् 2031 में 1,52,644 पशुओं का निष्क्रमण निकटवर्ती राज्य मध्य प्रदेश में हुआ था।

(2) मध्य प्रदेश के पशुओं को चराई दरों से राजस्थानी पशुपालकों से ली जाने वाली दर में भिन्नता है। मध्य प्रदेश सरकार से इस सम्बन्ध में बात चल रही है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 26 मार्च, 1976)

विश्वविद्यालयों के शिक्षक एवं कर्मचारियों के संगठन

393. श्री **रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान के तीनों विश्वविद्यालयों में शिक्षक संघों और अन्य कर्मचारियों के संगठनों को जैसे रुटा, ऊटा, जुटा और रुटाना को भंग कर दिया गया है ?

(2) यदि हां, तो क्या यह भंग करने के आदेश किसी केन्द्रीय आदेश के आधार पर किये गये या तीनों विश्वविद्यालयों ने अपनी ही पहलकदमी पर ऐसे आदेश किये ? यदि किसी केन्द्रीय आदेश के आधार पर ऐसे आदेश राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालयों द्वारा किये गये हों तो सम्बन्धित केन्द्रीय आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि विश्वविद्यालयों को अपने शिक्षकों अथवा अन्य कर्मचारियों के संगठनों को बरखास्त करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है ? यदि हां, तो राजस्थान के तीनों विश्वविद्यालयों ने यह कदम किसी कानूनी अधिकार के तहत उठाया है ?

उत्तर

(1) जी हां। ऊटा (उदयपुर टीचर्स एसोसिएशन) को छोड़कर।

(2) जी नहीं। आपातकाल स्थिति लागू होने पर तीनों विश्वविद्यालयों की

Page No 123

(123)

(शिक्षा मंत्री)
समन्वय समिति ने इस आशय का निर्णय लिया।

(3) जी हां। आपतकालीन परिस्थितियां होने के कारण।

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 26 मार्च, 1976)

जिला जालोर की ग्राम पंचायतों में सरपंचों एवं उप-सरपंचों के रिक्त पद

402. श्री **रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि जिला जालोर में कई ग्राम पंचायतों में सरपंचों एवं उप सरपंचों के पद रिक्त पड़े हैं ? अगर हां, तो कौन कौन सी पंचायतों के कौन कौन से पद रिक्त कब से पड़े हैं ?

(2) उक्त रिक्त पदों की पूर्ति सरकारी आदेशों के अनुसार कब तक कर दी जावेगी ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि जिला परिषद् जालोर के प्रमुख का पद रिक्त है ? अगर हां, तो कब से ? उक्त रिक्त पद का चुनाव कब तक करवा दिया जावेगा ?

(4) उक्त क्षेत्र की कौनसी पंचायत समिति में प्रधान या उप-प्रधान के पद कब से रिक्त हैं ? इन रिक्त पदों के चुनाव कब तक करवाये जाकर पद भर दिये जावेंगे ?

(5) क्या यह सत्य है कि न्याय पंचायतें सरकार द्वारा खत्म कर दी गई हैं ? अगर हां, तो कब से ? जिला जालोर में न्याय पंचायतों के स्थान पर अब कार्य कौन कर रहा है एवं कबसे ?

(6) क्या यह सत्य है कि जिला जालोर में कई ग्राम पंचायतों में अभी तक पंचायत सचिव भी नहीं हैं ? अगर हां, तो कौनसी पंचायतों में कब कब से पंचायत सचिवों के स्थान रिक्त हैं ? रिक्त पदों को कब तक भरा जाकर ग्राम पंचायतों के कार्य शुरू करवा दिए जावेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां, सरपंच एवं उप-सरपंच के रिक्त स्थानों की सूची (क) मय उनके रिक्त होने की तारीख के सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जिन पंचायतों में सरपंच एवं उप-सरपंच के दोनों स्थान रिक्त होने के कारण कार्य ठप्प पड़ गया है वहां उप-सरपंच के अप्रत्यक्ष चुनाव कराये जाने के आदेश जिलाधीशों को प्रसारित कर दिये गये हैं ?

(3) जी हां, परन्तु राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार प्रमुख पद का उप-चुनाव कराना आवश्यक नहीं हैं ?

(4) जी हां, केवल मात्र सायला पंचायत समिति के प्रधान का पद रिक्त है। यह स्थान 1-3-1967 से रिक्त है। राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार प्रधान पद के उप-चुनाव कराना आवश्यक नहीं है।

(5) जी हां, न्याय पंचायतें दि० 24-9-75 से समाप्त की जा चुकी हैं। दि० 24-9-75 से जब तक न्याय उप-समिति गठित न कर दी जाय तब तक आपराधिक एवं सिविल न्याय का प्रशासन उस क्षेत्र की पंचायत द्वारा किया जावेगा।

(6) जी हां, पंचायत सचिवों के रिक्त स्थानों की सूचना सूची (ख) सदन की मेज पर रख दी गई है। रिक्त पदों के भरे जाने की जिम्मेवारी ग्राम पंचायतों की ही है।

जालोर जिला में सरपंच एवं उप सरपंचों के रिक्त स्थानों की सूची

पंचायत समिति	पंचायत	पद रिक्त होने की तारीख	
		सरपंच	उप-सरपंच
1	2	3	4
जालोर	लेटा	1970	–
	बोवलसर	–	1971
	भागली सोंधलाना	–	22-2-76
	सियाणा	22-12-75	–
सायला	आंवलोज	17-1-75	–
	अलासन	–	रिक्त
	पापेडी	8-12-73	–
	थलवाड़	20-10-73	–
	सुराना	–	17-10-73
	बावतरा	–	12-7-69
	जीवाणा	–	18-6-73
	सांगणा	–	12-6-69
	गोल	18-3-73	–
	डोगरा	–	16-2-74
आहोर	सुगालिया जोधा	11-3-73	–
	वांकली	5-7-69	–
	भादर	–	14-8-72
	डोडियली	–	14-2-69
	रोडला	4-3-68	–
	भूती	9-1-76	–
रानीवाडा	रानीवाडा	8-3-72	–
	धामसीणा	–	10-8-74
	कूडा	25-1-76	19-8-73
	करडा	11-5-75	–
	बणधर	11-10-73	–
	चितरोडी	6-12-65	–
	कागमाला	6-2-72	–
भीनमाल	बोरटा	1-1-70	15-2-75
	फागोतरा	13-9-66	–
	रंगाला	2-4-70	–
	जूंजानी	15-5-71	–
	भाडवी	–	उप-सरपंच
	जैसावास	–	चुनाव नहीं हुए।

Page No 125

125

1	2	3	4
जसवंतपुरा	दांतलावास	—	6-12-74
	पंचेरी	—	4-12-73
	जसवंतपुरा	—	उप-सरपंच का चुनाव नहीं हुआ।
सांचोर	सूथडी	—	10-5-72
	डूंगरी	14-2-74	14-5 70
	कारोला	6-10-74	—
	गोलासन	—	1972
	चितलवाना	—	25-4-68
	बडयेत (बडसल)	—	29-4-68
		22	23

126

जिला जालौर में पंचायत सचिवों के रिक्त स्थानों की सूची

क्रसं0	नाम पंचायत समिति	नाम ग्राम पंचायत जहां पंचायत सचिव का स्थान रिक्त है	
1.	सांचोर	1. खारा	
		2. जानवी	
2.	रानीवाड़ा	1. घामसीण	27-10-67
		2. रतनपुर	17-8-75
		3. कूडा	15-7-75
		4. दांवाड़ा	5-12-73
		5. वणधर	31-3-66
		6. रोपसी	31-3-75
		7. चितरोडा	31-3-73
		8. आखराड	जब से पंचायत बनी है
3.	जालोर	1. चान्दना	
		2. सांधू	
		3. नून	
		4. नारणावास	
		5. वादनवाडी	
		6. आकोली	
		7. देवावास	
4.	आहोर	1. भैंसवाड़ा	फरवरी, 65 से
		2. मादडी	फरवरी, 65 से
		3. चवस्या	दिसम्बर, 68 से
		4. अगवरी	मार्च, 76 से
		5. पांचोटा	फरवरी, 65 से
		6. भूति	फरवरी, 65 से
		7. कंवला	फरवरी, 65 से
		8. शंखवाली	फरवरी, 65 से
		9. नोखा	अप्रेल, 70 से
		10. रामा	फरवरी, 65 से
		11. मोरडा	फरवरी, 65 से
		12. आईपुरा	अप्रेल, 70 से
5.	भीनमाल	1. बोरटा	
6.	जसवन्तपुरा	1. मुड़तला सिली	
7.	सायला	सूचना प्राप्त नहीं हुई है।	

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 26 मार्च, 1976)

वेयरहाउस, मेड़ता द्वारा आमंत्रित टैण्डर

404. **श्री दीपंकर** (लाडनूं) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वेयरहाउस, मेड़ता, जिला नागौर में दिनांक 9-1-76 से 15-1-67 तक रेल्वे स्टेशन मेड़ता सिटी से गोदाम तक खाद रखने हेतु टैण्डर आमंत्रित किये गये थे ? अगर हां, तो किसका टैण्डर स्वीकार किया जाकर माल ढ़ोने की आज्ञा दी गई और उसकी रेट क्या थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि दिनांक 9-1-76 को चार टैण्डर आये थे और उन्हीं टैण्डरों को उसी दिन खोल कर एक पार्टी को खाद रेल्वे स्टेशन से गोदाम तक ले जाने की लिखित आज्ञा दे दी जिस पर उसने खाद गोदाम तक पहुंचाने का काम 17-1-76 तक पूरा कर सूचना मेड़ता एवं जयपुर कार्यालयों में दे दी ?

(3) क्या यह भी सही है कि दिनांक 15-1-76 आखिरी तारीख को कम रेट के दो टैण्डर आये जिस पर पूर्ण आदेश के अन्तर्गत नियुक्त ठेकेदार को दिनांक 19-1-76 को कम रेट पर काम करने के आदेश दिये गये जब कि माल ढोने का काम वह दिनांक 17-1-76 को ही पूर्ण कर चुका था ?

(4) क्या यह सही है कि माल रेल्वे स्टेशन पर दिनांक 11-1-76 को ही पहुंच गया था अतः टैण्डर समय के पूर्व ही डेमरेज से बचने के लिये खोले गये और ठेका देना तय कर लिया गया ? अगर हां, तो दिनांक 15-1-76 को कम रेट के टैण्डर आने पर 19-1-76 को कम रेट पर काम करने का आदेश पूर्व निर्धारित रेट वाले ठेकेदार को कैसे दिया गया जबकि ठेकेदार ने माल ढोने का काम पूरा कर लिया था ?

(5) क्या यह भी सही है कि ठेकेदार को पेमेंट नहीं दिया जा रहा है ? अगर हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, खाद रखने हेतु टैण्डर आमन्त्रित किये गये थे। श्री सुख राम सोलंकी का टैण्डर स्वीकृत कर उन्हें निम्न दरें दी गई:—

1. रेल्वे स्टेशन पर वेगन से माल उतारना, अनलोड करना, वजन करवाना, बैलगाड़ी, ट्रक, ट्रोली में लोड करना, स्टेशन से गोदाम तक ले जाना, गाडी, ट्रेक्टर ट्रोली इत्यादि से माल को उतारना व तोलने के बाद गोदाम में चट्टे लगाने तक की समस्त प्रक्रिया के लिये 70 पैसा प्रति कट्टा
2. डिलिवरी के समय चट्टों से कट्टों को उतारना, कांटे पर रखकर ट्रोली इत्यादि में लोड करना 24 पैसा प्रति कट्टा

(2) दिनांक 9-1-76 तक 5 टैण्डर प्राप्त हुये थे और टेण्डरों को खोलकर एक पार्टी को कार्य करने के आदेश दे दिये गये। दिनांक 17-1-76 तक कार्य पूरा नहीं हुआ अतः कार्य दिनांक 12-2-76 को पूर्ण हुआ। चूंकि कार्य भण्डार व्यवस्थापक, मेड़ता सिटी के देखरेख में हुआ था अतः सूचना देने का

Page No 128

(128)

(कृषि मंत्री)

प्रश्न ही पैदा नहीं होता है ।

(3) दिनांक 15-1-76 को 2 और टैण्डर प्राप्त हुये थे जिसमें से एक की दरें श्री सोलंकी से कम थी दिनांक 19-1-76 को कम रेट पर काम करने के लिये श्री सोलंकी को कोई आदेश नहीं दिये गये थे ।

(4) माल रेल्वे स्टेशन पर दिनांक 11-1-76 को पहुंचा । डेमरेज व वारफेज से होने वाला आर्थिक हानि से बचने की दृष्टि से ही टेण्डर समय से पूर्व खोले गये । कम रेट पर काम करने के लिये दिनांक 19-1-76 को ठेकेदार को कोई आदेश नहीं दिये गये और ना ही इस तारीख तक कार्य पूर्ण हुआ था ।

(5) यह सही नहीं हैं, ठेकेदार ने तारीख 9-3-76 को बिल प्रस्तुत किया जिसका 12-3-76 को भुगतान कर दिया गया ।

———

परिशिष्ट 6

(तारांकित प्रश्न सं० 604 की सूची)

राज्य सरकार द्वारा (उद्योग सचिव के माध्यम से) उद्योगपतियों, उद्योगों को दिये गये ऋण, उसकी वसूली एवं बकाया आदि का विवरण

(रुपये लाखों में)

क्र० सं०	उद्योगपतियों/उद्योगों का विवरण	स्वीकृत ऋण राशि	कब दिया गया	29-2-76 तक वसूली की राशि	29-2-76 तक बकाया की राशि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1.	जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर	60.00	2-1-57	53.34	6.66	कम्पनी को भुगतान हेतु नोटिस दिये गये हैं। कम्पनी की आर्थिक हालत खराब है।
2.	जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर	12.00	29-6-60	12.00	..	पूरी राशि वसूल हो चुकी है
3.	जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर	25.00	12-10-68	..	25.00	कम्पनी को भुगतान हेतु नोटिस दिये गये हैं।

1	2	3	4	5	6	7
4.	मै० जे० के० सिन्थेटिक्स लि०, कानपुर	30.00	12-2-59 व 16-3-61	30.00	००	पूरे ऋण की अदायगी 28-8-68 को हो चुकी है ।
5.	मै० जे० के० सिन्थेटिक्स लि०, कानपुर	20.00	24-7-65 व 3-9-65	20.00	००	10-4-68 को ऋण वसूल हो चुका है ।
6.	मै० जे० के० सिन्थेटिक्स लि०, कानपुर	50.51	31-3-67	50.51	००	15-1-73 को ऋण वसूल हो चुका है ।
7.	मै० जे० के० सिन्थेटिक्स लि०, कानपुर	60.00	28-3-68	60.00	००	26-3-74 को ऋण वसूल हो चुका है ।
8.	मै० जे० के० सिन्थेटिक्स लि०, कानपुर	50.00	14-8-68	50.00	००	22-2-75 को ऋण पूरा वसूल हो चुका है ।
9.	मै० जे०के० सिन्थेटिक्स लि०, कानपुर	50.00	11-4-69	50.00	००	22-1-75 को ऋण वसूल हो I है
10.	मै० जे० के० सिन्थेटिक्स लि०, कानपुर	25.00	10-2-70	20.00	5.00	आगे की किश्त 12-3-76 को देय थी जो प्राप्त हो गई है एवं अब 12-9-76 को देय होगी ।

11.	मैं० जे० के० सिन्थेटिक्स लि०, कानपुर	25.00	27-1-71	17.50	7.50	आगे की किस्त 27-7-76 को दिय है।
12.	मैं० महालक्ष्मी मिल्स, ब्यावर	18.10	7-4-69 11-10-71 31-3-72 31-3-73 31-3-73 31-3-74	18.10	..	महालक्ष्मी मिल्स एवं एडवर्ड मिल्स, ब्यावर को दिया गया ऋण को एन०टी० सी० लि० में विनियोजन के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया जा चुका है एवं आवश्यक स्वीकृति प्रचलित करदी गई है अतः वसूली का प्रश्न ही नहीं उठता।
13.	मैं० एडवर्ड मिल्स, ब्यावर	19.90	26-3-73 19-9-73 21-3-73 28-2-75 31-3-75	19.90	..	
14.	विजय नगर शुगर मिल्स	3.85	20-11-59	2.20	1.65	वसूली की कार्यवाही जिलाधीश, अजमेर के यहां पी०डी०आर० लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत चल रही है।
15.	कमानी इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन	4.50	5-7-65	4.55	..	यह ऋण कम्पनी को उदयपुर में पिग आयरन प्रोजेक्ट के लिये भूमि आवंटित में सम्भावित व्यय के लिये दिया गया था कम्पनी को औद्योगिक लाइसेन्स भारत सरकार द्वारा निरस्त किये जाने के फलस्वरूप भूमि

1	2	3	4	5	6	7
						राजस्थान उद्योग एवं खनिज विकास निगम को औद्योगिक क्षेत्र के लिये दी गई जिसकी कीमत भी निगम ही देगा।
16.	राजस्थान राज्य उद्योग एवं खनिज विकास निगम लि०	0.05	25-4-69	0.05	..	26-6-69 को राज्य कोष में जमा हो चुका है।
17.	ओरियन्टल पावर के० मिल्स लि०	5.00	29-3-72	5.00	..	26-8-72 को ऋण चुकाया जा चुका है।
18.	आदित्य मिल्स लि०, मदनगंज-किशनगढ़	5.00	14-7-73	1.00	4.00	अग्रिम किस्त 1-7-76 को देय है।
19.	जयपुर स्पिनिंग एवं विविंग मिल्स लि०; जयपुर	10.73	24-9-74	..	10.73	कम्पनी ने भुगतान की तिथि के री-शिड्यूलिंग के लिये आवेदन किया था जो स्वीकार नहीं किया गया कंपनी को रुपया जमा कराने हेतु नोटिस दिया गया है।
20.	फालना उद्योग मण्डल लि०, फालना	3.04	27-6-72 12-3-73 23-6-73 व 19-6-74	2.06	0.98	जिलाधीश, पाली के यहां पी०डी०आर० एक्ट के तहत वसूली की कार्यवाही चल रही है।

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 337 की सूची 185)

उन संस्थाओं की सूची जो दसवीं कक्षा तक के व्यय का 80% एवं ग्यारहवीं कक्षा के लिए 50% अनुदान स्वीकृत किया जाता है:—

1.	सुमेर उ०मा०वि०, जोधपुर	50%
2.	सुमेर मा०वि०, जोधपुर	80%
3.	के०के० अभिचन्दानी मोडर्न उ०मा०वि०, जोधपुर ..	50%
4.	के०के० अभिचन्दानी मोडर्न मा०वि०, जोधपुर	80%
5.	भैरवरतन मातृ उ०मा०वि०, बीकानेर	50%
6.	भैरवरतन मातृ मा०वि०, बीकानेर	80%
7.	नवभारत उ०मा०वि०, उदयपुर	50%
8.	नवभारत मा०वि०, उदयपुर	80%

134

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 342 की सूची)

मान स्ट्रक्चरल लि०, जयपुर

1. कर्मचारी भविष्य निधि 5. ई०एस०आई० कन्ट्रीब्यूशन	कम्पनी के विरुद्ध पी०एफ० व ई०एफ०आई० के मामले विभिन्न न्यायालयों में संबंधित अधिनियमों के अन्तर्गत विचाराधीन हैं। फिर भी कम्पनी ने 9-11-75 को 17,863/- रुपये (कर्मचारी भविष्य निधि हिस्सा) जमा करा दिये हैं व स्वयं का हिस्सा जो करीबन 45,781/- होता है के लिये आर०पी०एफ० कमिशनर को किस्तें निर्धारित करने हेतु प्रार्थना-पत्र दिया है)। ई०एस०आई० के नवम्बर, 75 तक 50,000/- रुपये बाकी थे, जिसकी किश्तें तय करने हेतु कम्पनी ने प्राधिकारियों को आवेदन दिया है।
4. जीवन बीमा निगम का (एस०एस०सी०) प्रीमीयम	कर्मचारियों की रुचि न होने से उनके अनुरोध पर जी०वी० निगम पालिसी प्रीमीयम की राशि कम्पनी द्वारा उन्हें वापस लौटा दी गई, यद्यपि इसके भेजने में कम्पनी से विलम्ब हुआ था।
4. अनिवार्य बचत कानून के तहत 3. सी०टी०डी० अकाउन्ट्स (पोस्ट ऑफिस)	सूचना संकलित की जा रही है।

मान इण्डस्ट्रीयल कार्पोरेशन लि०
के वार्षिक लेखा, 1974-75 के आधार पर

	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. कर्मचारी भविष्य निधी	2,55,471/-	70,690/-
2. ए०एस०आई० फण्ड ड्यूज	1,75,525/-	76,985/-
3. जीवन बीमा निगम (एस०एस०सी०) का प्रीमीयम	4,334/-	1,620/-
4. कर्मचारियों से क्यूमुलेटिव टाईम डिपोजिट व रेकरिंग डिपोजिटर्स (पोस्ट ऑफिस)	5,670/-	14,988/-
5. अनिवार्य बचत कानून के तहत	सूचना संकलित की जा रही है।	

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 348 की सूची)

पाली तहसील के ग्रामों में सिलिंग नियमों के अन्तर्गत कब्जा लिया गया एवं आवंटन की गई भूमि की सूची निम्न प्रकार है:—

क्र०सं०	नाम गांव	कब्जा लिया गया भूमि का रकबा	एलॉट की गई भूमि का रकबा	अन्य
1	2	3	4	5
1.	वाली	379।।।)3		
2.	बीठू	887)4		
3.	मनीहारी	442।)1		
4.	खाण्डी	400।।)		
5.	हेमावास	7)3		
6.	धोलेरिया	28।।)4		
7.	नीमलीउरा	108।।)		
8.	साली	536)		
9.	डिरी	129।।।)3		
10.	साकदड़ा	166।।।)3		
11.	पेणावा	419।।)1		
12.	भाकरीवाला	120) 1		
13.	वायद	261।।।)1		
14.	वान्डाई	338)1		
15.	गढवा	424।)	81।।।)1	
16.	कूरना	496।।)		
17.	पाली	211।।।)1		
18.	खारडा	28)4		
19.	भीतड़ा	17)		
20.	गैलावास	161।।।)		
21.	सोनाईमा	201)4		
22.	कलाली	311)1		
23.	तिगरालालकी	205)3		
24.	खुटाणी	205।।।)2		
25.	डूंगरपुर	57।।)		
26.	बीमादड़ा	112।।।)2		

1	2	3	4	5
27.	नादाना भाटान	104)1		
28.	खेतावास	108)		
29.	वाणियावास	948॥)4		
30.	कुलथाना	97॥)3		
31.	उमकली	190॥)2		
32.	गुन्दोज	24।॥)		
33.	डंडा	780)		
34.	खैरवा	30)		
35.	लाम्बीया	143।)4		
36.	भागेसर	95)1		
37.	भाडावास	198)2		
38.	रूपावास	1185)	256।॥)1	
39.	दयालपुरा	497।)2	418।॥)3	
40.	भादड़ी	91॥)3		
41.	पूसी	113॥)3		
42.	बालाराई	13।)2		
43.	चेन्डा	491॥)2		
44.	डिंगाई	23।॥)		
45.	गिरादड़ा	88।)	567।॥)	
46.	भांवरी	1399)1		
47.	खोड	77॥)		
48.	सेंदरिया	457।॥)2		
49.	निम्बाड़ा	92)		
50.	मुलीयावास	102।॥)2	102।॥)2	
51.	जवाड़िया	378।॥)	243।)	
52.	दिवान्दी	16।॥)2	16।॥)2	
53.	रोहिट	109।॥)2		
	योग..	14840।)2	1698)4	

(137)

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 352 की सूची)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
(CO-OPERATIVE DEPARTMENT)

[No. F. 8 (22) Co-op/I/67. Jaipur, 26th Nov., 1969.]

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of section 44 of the Rajasthan Co-operative Societies Act, 1965 (Rajasthan Act 13 of 1965) the State Government hereby exempts Co-operative Societies from the payment of surcharge levied upon land revenue under section 3 of the Rajasthan Land Revenue (Surcharge) Act, 1960 (Rajasthan Act 16 of 1960) in respect of their agricultural lands.

By Order of Governor,
Sd/-
(Anand Mohanlal)
Special Secretary to Government.

Copy forwarded to the:—

(1) Superintendent, Government, Central Press, Jaipur for publication in the Rajasthan Rajpatra, Part GSR.
(2) Registrar, Co-operative Societies, Rajasthan, Jaipur.
(3) Revenue (C) Department.
(4) Legal Affairs Department.
(5) All Collectors.
(6) All Dy./Asstt. Registrars.
(Regions) (Distts.)
(7) Director of Public Relations. He will please arrange vide publicity.

Sd/-
(M. S. Jha),
Assistant Secretary to Government

——

(138)

शुद्धि-पत्र

शुक्रवार, दिनांक 2 अप्रेल, 1976

क्र. सं.	स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	11	ऊपर से 12	उनकी	उनका
2	24	नीचे से 12	वाप्त	अवाप्त
3	41	ऊपर से 10	अनुदान पुस्तक को	पुस्तक को अनुदान
4	67	ऊपर से 3	प्त	प्राप्त
5	68	नीचे से 7	पदों र	पदों पर
6	77	अंतिम	जागी	जागीर
7	78	नीचे से 6	सदन	सूची सदन
8	82	ऊपर से 14	श्रेणीयों	श्रेणियों
9	91	नीचे से 14	अमेन्डमेन्ट्स	अमेंडमेंन्ट्स के
10	92	ऊपर से 9	रेट्रक्चर्स	स्ट्रक्चर्स
11	93	नीचे से 4	as	ass-
12	97	ऊपर से 6	संशद	संशन
13	97	नीचे से 17	colleagees	colleagues
14	120	नीचे से 16	सस्दय	सदस्य
15	124	ऊपर से 7	है	है, शामिल
16	131	नीचे से 5	हृद	हद तक
17	139	ऊपर से 3	सी०	—
18	140	प्रथम	to	two
19	152	नीचे से 4	महोद	महोदय
20	164	नीचे से 17	वंचित	वंचित
21	176	अंतिम	लड़के	लड़के के
22	181	नीचे से 5	लोगी	लगी
23	188	ऊपर से 12	यदि उस	यदि
24	192	ऊपर से 16	आज युग	आज के युग
25	192	ऊपर से 19	जाति बेरियर	जाति के बेरियर
26	221	नीचे से 13	बोई	बोर्ड